

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



नवंबर 2018

खंड 72 अंक 11

संपादन समिति

राजीव रंजन

डी. पी. रथ

सितीकांत पट्टनाईक

जी. पी. सामंता

एस. गंगाधरन

पल्लवी चव्हाण

स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2018

सर्वाधिकार सुरक्षित।

सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,

बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से

<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई: वित्तीय स्थिरता फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य तत्त्व विरल. वी. आचार्य	1
स्वतंत्र विनियामकीय संस्थाओं का महत्त्व – केंद्रीय बैंक का मामला विरल वी. आचार्य	21
क्रेडिट जोखिम और बैंक पूंजी विनियमन पर मेरे विचार एन.एस. विश्वनाथन	33

लेख

वैश्वीकरण की ओर बढ़ते लोग : भारत का आवक विप्रेषण	45
भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्त्व	57
वर्तमान सांख्यिकी	67
हाल के प्रकाशन	111

भाषण

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई: वित्तीय स्थिरता फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य तत्त्व
विरल. वी. आचार्य

स्वतंत्र विनियामकीय संस्थाओं का महत्त्व – केंद्रीय बैंक का मामला
विरल वी. आचार्य

क्रेडिट जोखिम और बैंक पूंजी विनियमन पर मेरे विचार
एन.एस. विश्वनाथन

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई: वित्तीय स्थिरता फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य तत्त्व*

विरल वी. आचार्य

सार

इस व्याख्यान में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा इसके वित्तीय स्थिरता फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य तत्त्व है। यह ऐसे बैंकों के विनियामकों को शीघ्र हस्तक्षेप और समाधान की एक व्यवस्था उपलब्ध कराता है जिनकी पूंजी खराब आस्ति गुणवत्ता के कारण अपर्याप्त रह जाती है या जो लाभप्रदता कम हो जाने के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। व्याख्यान में आरबीआई के संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क के तहत अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाइयों का ब्योरा देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित पीसीए फ्रेमवर्क के साथ इसकी तुलना की गयी है। आखिर में, अनुभव के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि इस पीसीए ढांचे के तहत बेहतर पूंजीकरण, पूंजी संरक्षण और घाटे के लिए प्रावधानीकरण के जरिए भारतीय बैंकों को कैसे फिर से मजबूत बनाया जा रहा है।

मुझे एक बार पुनः आईआईटी आने का मौका देने के लिए मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), बॉम्बे को धन्यवाद देना चाहूंगा जहां से मैंने स्नातक की उपाधि ली है, विशेष रूप से प्रोफेसर पुष्पा त्रिवेदी का जिनसे मुझे अर्थशास्त्र और वित्त का अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। पवई कैम्पस में आना मेरे लिए हमेशा से ही अत्यधिक गर्व और संतोष की बात रही है क्योंकि यहां आकर मेरे स्मृति-पटल पर वह सब कुछ फिर से ताजा हो जाता है जो मैंने यहाँ सीखा था - बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए उन्हें कैसे पहचानना, विश्लेषणात्मक नज़रिए से उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना और कई बार दिखने में आकर्षक परंतु अपूर्ण समाधानों तक पहुंचना और इसी प्रक्रिया

* डॉ. विरल वी. आचार्य, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को आईआईटी, बॉम्बे में दिया गया भाषण।

मैं गवर्नर डॉ. ऊर्जित आर. पटेल और उप गवर्नर डॉ. एन. एस. विश्वनाथन से प्राप्त सतत प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के लिए उनका आभारी हूँ। यह भाषण तैयार करने के दौरान वैभव चतुर्वेदी से मिले शानदार सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ; मैं भारतीय रिजर्व बैंक के आर. गुरुमूर्ति, जगन मोहन, बी. नेताजी, सूरज मेनन और विनीत श्रीवास्तव; और मेरे सहयोगी लेखकों, फ्रैंकफर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऐण्ड फाइनांस के शाशा स्टीफेन और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के ली स्ट्राइनरुकेन के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

में ऐसे स्थायी समाधान तलाश लेना जिनसे समस्याओं के मूल में निहित कारणों को दूर किया जा सके।

लगभग तेरह महीने पहले, 7 सितंबर 2017 को मैंने 8वें आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान में 'अपूर्ण कार्ययोजना : भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पुनः मजबूत बनाना' विषय पर बात की थी, जिसमें मैंने तीन विषयों पर चर्चा की थी :-

- कैसे अपर्याप्त पूंजी वाली बैंकिंग प्रणालियों में दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के ऋणों को चिरकालिक बनाए रखा जाता है ('जॉम्बी लेंडिंग') जैसा कि 1980 के दशक में बचत और ऋण (एस&एल) संकट के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1990 के दशक में जापान में और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में यूरोजोन में देखा गया;
- भारतीय बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या को हल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन से कदम उठाए थे, जैसे कि, 2014 के आरंभ में बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भण्डार (सीआरआईएलसी) की स्थापना; 2015 में की गयी आस्ति-गुणवत्ता समीक्षा; और बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (जो कि अब एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है) द्वारा बैंक को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक बड़ी राशि वाली, लंबी अवधि से अनर्जक बनी हुई आस्तियों (एनपीए) को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को संदर्भित करना; और अंत में,
- भारत सरकार (जीओआई) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की पुनः पूंजीकरण संबंधी जरूरतों को पूरा करना, चाहे यह उनके वर्तमान स्वामित्व ढाँचे में किया जाए या उन्हें किसी भिन्न ढाँचे में रखते हुए।

तब से लेकर अब तक, भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में पीएसबी के लिए ₹2.11 ट्रिलियन के पुनःपूँजीकरण पैकेज की घोषणा की है जिसमें से ₹1.53 ट्रिलियन सरकारी पूंजी होगी और शेष पूंजी का वित्तपोषण बाजार से मार्च 2019 तक किए जाने का लक्ष्य है। ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए 12 फरवरी 2018 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें इन मामलों को आईबीसी को संदर्भित करने को इन आस्तियों के समाधान हेतु प्रमुख उपाय के रूप में मान्यता दी गयी है और इसका लक्ष्य उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों में बेहतर क्रेडिट संस्कृति का विकास करना है।

इसी के समानांतर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसे संभवतः उतनी सराहना नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। वह था – ऐसे अनेक बैंकों पर **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)** आरोपित करना जिनकी पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और / अथवा लाभप्रदता पूर्व-निर्दिष्ट मानकों पर खरी नहीं उतरती। आज, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों पीसीए रिज़र्व बैंक (आम तौर पर कहें तो, किसी भी बैंकिंग पर्यवेक्षक) के वित्तीय स्थिरता ढाँचे का एक अनिवार्य तत्व है।

हानि-अवशोषक के रूप में बैंक पूंजी की भूमिका

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के दृष्टिकोण पर बात करने से पहले, इस बात की चर्चा कर लेना उपयोगी होगा कि दबावग्रस्त बैंकों के समाधान की प्रक्रिया में बैंक पूंजी का कितना महत्व है।

बिलकुल सरल शब्दों में बात करें तो, बैंक बैलेंस शीट में बायीं ओर आस्तियां होती हैं और दायीं तरफ देयताएं होती हैं जो इक्विटी पूंजी और जमाराशियों (और कर्ज देयताओं के अन्य प्रकार जैसे अप्रतिभूत बॉन्ड और थोक वित्त यथा अंतर-बैंक देयताएं अथवा अल्पावधि वाणिज्यिक पेपर) के रूप में देखी जा सकती हैं।

बैंक की आस्ति को होने वाले नुकसान के विरुद्ध प्राथमिक हानि-अवशोषण बफर – सुरक्षा उपाय – के रूप में इक्विटी पूंजी होती है। इसे ऐसी उच्च मात्रा में रखना होता है कि यह अप्रत्याशित हानि को अवशोषित कर सके और इतने पर्याप्त मार्जिन के साथ बनाकर रखा जाता है कि बैंक बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ कारोबार कर सके और कार्यक्षम बना रहे, विशेष रूप से बैंक को हुए नुकसान का असर लेनदारों पर डाले बिना। बिगड़ते वित्तीय हालात के चलते जब एक बार पूरी पूंजी का उपभोग कर लिया जाता है, तब यह जमाकर्ताओं सहित सभी अप्रतिभूत लेनेदारों के लिए जोखिम उत्पन्न कर देता है। हालांकि, जमाराशियां एक निश्चित स्तर तक प्रतिभूत होती हैं, परंतु इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अधिकतर मामलों में पूरी की पूरी जमाराशि का भुगतान करने की लागत आखिरकार सरकार को ही वहन करनी पड़ती है, खासकर बड़े, जटिल और अंतः-संबद्ध बैंकों के मामले में।

पूंजी की कमी अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रणालीगत स्तर पर होने से भी कमजोर बैंकों के समाधान पर बुरा असर पड़ता है। ग्रैंजा, मैटवोस एण्ड सेरू (2017) द्वारा व्यक्त किया गया युनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा अनुभव यह दर्शाता है कि किसी अपेक्षाकृत

मजबूत बैंक – एक बड़ा अधिग्रहणकर्ता बैंक जो किसी कमजोर बैंक की कीमत इस आधार पर लगाता है कि उसकी जमाराशियों से मिलने वाला फ्रेंचाइजी मूल्य कितना है - पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि उसकी खुद की पूंजी स्थिति अच्छी नहीं है। बड़े उधारकर्ताओं की खराब पूंजी स्थितियां किसी भी असफल बैंक के लिए भुगतान करने की उनकी इच्छा और क्षमता में कमी ला सकती हैं। इस प्रकार पूरी प्रणाली की हानि-अवशोषण क्षमता में वृद्धि करने में बैंकों की पूंजी के अच्छे स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे मजबूत बैंक कमजोर बैंकों को खरीदने में स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं।

बैंकों को होने वाले नुकसान को झेल लेने में बैंक पूंजी के महत्व को देखते हुए ही पूरी दुनिया के बैंकों में न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं लागू की गयी हैं और यही कारण है कि पर्यवेक्षकीय निगरानी के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मर्दें होती हैं, उनमें एक पूंजी भी है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है जिसे संशोधित बासेल मानकों यथा बासेल-III में देखा जा सकता है।

बासेल-III का लक्ष्य है - बैंकों के पूंजी-आधार की गुणवत्ता, निरंतरता और पारदर्शिता को बढ़ाना ताकि वे अप्रत्याशित नुकसान को सहन कर सकें और पूंजी संरचना के समग्र जोखिम कवरेज को सुदृढ़ किया जा सके। क्रेडिट जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अनुपात अपेक्षाओं को संशोधित करने के अतिरिक्त बासेल-III पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) और प्रतिचक्रिय पूंजी बफर की संकल्पना लेकर आया। सीसीबी यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि वित्तीय दबाव से मुक्त रहने की अवधि में बैंकों को चाहिए कि वे एक पूंजी बफर का निर्माण करें जिसका उपयोग वे वित्तीय संकट (प्रणालीगत या विशेष प्रकार के) की अवधि में कर सकें। ऐसे बैंक जो दबाव की स्थितियों में अपने पूंजी संरक्षण बफर का इस्तेमाल करते हैं, उनसे यह अपेक्षित है कि उनके पास इसकी भरपायी करने और पूंजी-वितरण संबंधी बाध्यताओं से निपटने की सुनिश्चित योजना हो। प्रतिचक्रिय पूंजी बफर का उद्देश्य है पूंजी को एक समष्टि-विवेकपूर्ण लिखत के रूप में इस्तेमाल करना जिससे जब कुल क्रेडिट संवृद्धि आवश्यकता से अधिक हो तब बैंकिंग क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की जा सके क्योंकि प्रायः इसे प्रणाली-व्यापी जोखिम उत्पन्न कर देने वाली माना जाता है।

इस संबंध में यह बात सबक लेने वाली है कि बासेल मानकों के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम बैंक पूंजी अनुपात (समुचित जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में) केवल न्यूनतम सीमा है। वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से बहुत से देश अपने बैंकों के लिए इससे अधिक पूंजी अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा कर रहे हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। इसके अलावा, यूएस और यूके जैसे कई क्षेत्रों में पूंजी अपेक्षाएं प्रभावी रूप से कहीं ज्यादा हुआ करती हैं क्योंकि इनमें कई अन्य चीजें भी जुड़ जाती हैं: उदाहरण के लिए, यूएस में अपेक्षाकृत अधिक लीवरेज अनुपात (आसान शब्दों में कहा जाए तो, बैंक पूंजी और अभारित आस्तियों का अनुपात) और दबाव परीक्षणों – वार्षिक समग्र पूंजी विश्लेषण और समीक्षा (सीसीएआर) – के कारण भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण और / अथवा बड़े बैंकों के लिए प्रभावी पूंजी अपेक्षाएं बासेल अपेक्षाओं से अधिक हो गयी हैं।

जहाँ बैंक पूंजी के प्रति इस दृष्टिकोण में बैंक विशेष के स्तर पर और प्रणालीगत रूप से इसकी हानि अवशोषक क्षमता के रूप में इसके फायदों की बात की जाती है, वहीं बैंक पूंजी की प्रेरक भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

बैंक पूंजी की प्रेरक भूमिका

अब मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि इससे काफी पहले कि बैंक-पूंजी का पूरी तरह क्षरण हो जाए, बैंक पर्यवेक्षकों के लिए हस्तक्षेप करना क्यों आवश्यक हो जाता है। अवधारणात्मक रूप से विचार करें तो विश्व भर यह देखा जाता है कि ऐसे बैंक जो पूंजी की कमी के कारण नुकसान झेल रहे होते हैं, उनके शीघ्र पुनः पूंजीकरण न करने या उनका पूंजीकरण न किए जाने के पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं।

पहला, हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक सामान्यतया विनियामकीय अपेक्षा से अधिक पूंजी रखते हैं, फिर भी जब बैंक को घाटा होने लगता है तब शेयरधारक अपनी पूंजी लगाने से परहेज करने लगते हैं क्योंकि यह पूंजी मुख्य रूप से बैंक को हुए नुकसान की भरपायी करने में लगायी जाती है। पूंजी-निवेश के उद्देश्य से दिए जाने वाले धन के बदले शेयरधारक बैंकों में पूंजी की बेहतर स्थिति की तुलना में ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत काफी ज्यादा प्रतिलाभ की आशा रखते हैं, लेकिन अपेक्षित प्रतिलाभ की इतनी उच्च दर बैंकिंग कारोबार को अलाभकारी गतिविधि बना देती है। इसी का अध्ययन सुपरिचित 'डेट ओवरहैंग' की समस्या के रूप में पूरे विश्व में व्यापक पैमाने पर किया जाता है (मायर्स, 1977)।

दूसरा, जब सामूहिक रूप से बैंकों में पूंजी की स्थिति कमजोर हो जाती है, अथवा जब सरकारी स्वामित्व में बैंक अपना कारोबार प्रारंभ करते हैं, तो प्रायः यह विचार आता है कि बैंकों का पूंजीकरण न किए जाने के फलस्वरूप होने वाले वास्तविक और प्रणालीगत जोखिमों से निपटने में आने वाली लागत - वह लागत जिसे सरकार को वहन करना चाहिए- को देखते हुए इनका पुनः पूंजीकरण तेजी से होना चाहिए। हालांकि, व्यवहार में देखें तो कई बार बैंकिंग क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि सरकारों के तुलन-पत्रों के आकार को देखते हुए उन्हें उबार पाना संभव नहीं होता। अगर ऐसा न भी हो तो यह भी संभव है कि सरकारें खुद ही वित्तीय तंगी में हों : ऐसे में यह अति आवश्यक है कि बैंकों के पुनः पूंजीकरण से प्रभावी रूप से इतना लाभ हो जो अतिरिक्त वित्त (सामान्यतया अतिरिक्त उधारियाँ) की उगाही पर आने वाली लागतों से अधिक रहे अथवा अन्य राजकोषीय खर्चों में कटौती करते हुए ऐसा करना होगा। इसीलिए यह आम बात है कि यदि पूंजी की कमी झेल रहे बैंकों का समुचित रूप से पुनः पूंजीकरण किया भी जाता है तो उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, भले ही वे सरकारी बैंक ही क्यों न हों।

क्षेत्र	न्यूनतम साझा पूंजी अनुपात	न्यूनतम टिअर 1 पूंजी अनुपात	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात
बासेल III द्वारा निर्धारित	4.5	6.0	8.0
ब्राजील			2013 से 11, 2019 तक धीरे धीरे बासेल III के अनुरूप ढलते हुए, उसके बाद बासेल के समरूप
चीन	5.0	6.0	8.0
भारत	5.5	7.0	9.0
मेक्सिको (न्यूनतम अपेक्षाओं में सीसीबी को शामिल किया गया है)	7.0	8.5	10.5
सिंगापुर	6.5	8.0	10.0
दक्षिण अफ्रीका	5.0	6.75	9.0
स्विट्ज़रलैंड	4.5 से 10.0	6.0 से 13.0	8.0 से 19.0
तुर्की	4.5	6.0	12.0

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटिलमेंट्स (बीआईएस) की रेगुलेटरी कसिस्टेंसी असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएपी) रिपोर्टें।

बैंकों की पूंजी स्थिति अपर्याप्त बनी रहने के पीछे निहित कारणों को अगर छोड़ भी दें तो यह पाया गया है कि खराब पूंजी स्थिति वाले बैंकों के ऋणदाताओं को बदले में न केवल तुलनपत्रेतर सरकारी गारंटियां, बल्कि अप्रतिभूत ऋणदाताओं को जारी निहित गारंटियां भी दी जाती हैं। वित्तीय स्थिरता के हित को देखते हुए तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है परंतु इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि अपर्याप्त पूंजी वाले बैंक प्रायः कृतिम रूप से कम उधार लागत पर क्रेडिट बाजार के संपर्क में आना जारी रखते हैं। परिणाम यह होता है कि यदि समुचित विनियामकीय प्रतिबंध लागू न किए गए हों तो ऐसे बैंक अपने नुकसान को दर्शाने में विलंब करते हैं और ऋणों की एवर-ग्रीनिंग या जॉम्बी बैंकिंग में लिस हो जाते हैं जो कि वास्तव में ऐसे उधारकर्ताओं के ऋणों को रोल ओवर करना ही होता है, जो अन्यथा उन्हें चुकाने वाले नहीं थे।

वास्तव में, पिछली शताब्दी की समाप्ति के वर्षों में जापान में ठीक ऐसा ही हुआ था जब अनर्जक ऋणों और बैंक पूंजी में कमी की समस्या एक दशक से अधिक अवधि तक बनी रही थी। होशी और कश्यप (2010) ने इस समस्या के मूल में दो कारणों की पहचान की थी : पहला, बैंक एनपीए के कारण होने वाले नुकसानों को नहीं दर्शाते और ऐसा करके वे अपने ऋणों की गुणवत्ता वास्तविकता से अधिक रिपोर्ट करते हैं ; और दूसरा, खराब पूंजी वाले बैंकों में जॉम्बी बैंकिंग का प्रचलन। वर्ष 2003 में जब बैंक आस्तियों का कड़ाई से मूल्यांकन, बैंक पूंजी में वृद्धि, और पुनर्पूजीकृत बैंकों की गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित वित्तीय पुनरुद्धार कार्यक्रम (टाकेनाका प्रोग्राम) लागू हुआ, तब जाकर जापानी बैंकों ने अनर्जक ऋणों की एवर-ग्रीनिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई और आगामी पाँच वर्षों तक बनी रहने वाली आय पर आधारित पूंजी संचय प्रारंभ किया।

जापान पर आधारित उपर्युक्त उदाहरण जिसे मैंने थोड़े विस्तार के साथ 8वें आर. के. तलवार मेमोरियल व्याख्यान में कवर किया था, के अलावा 'किंकिंग दि कैन डाउन दि रोड : गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दि यूरोपियन बैंकिंग सेक्टर' शीर्षक मेरे अध्ययन में जो मैंने हाल ही में शाशा स्टीफेन और ली स्टाइनरुकेन के साथ मिलकर किया है, मैंने 2007 से 2009 के बीच के वित्तीय संकट की अवधि में यूरोपियन बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सभी सरकारी हस्तक्षेपों का परीक्षण किया। खास तौर पर हमने इस बात का विश्लेषण किया कि बाद में आए संप्रभु कर्ज

संकट की स्थिति पैदा होने में इन हस्तक्षेपों की क्या भूमिका रही और हमने पाया कि :

- ऐसी सरकारें जिनके पास लोक-वित्त की उपलब्धता कम थी, वित्तीय संकट के समय दबावग्रस्त बैंकों के पुनर्पूजीकरण की उनकी अनिच्छा अधिक थी; और,
- इसी का परिणाम था कि बैंकों का पुनःपूजीकरण अपर्याप्त रहा जिसके गंभीर नकारात्मक परिणाम वास्तविक क्षेत्र की उधार क्षमता पर पड़े। विशेष रूप से कमजोर बैंकों को भविष्य में आघात लगने की संभावना बनी रही और उनमें जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी। इतना ही नहीं, इन बैंकों ने ऋणों में हुई चूक को दर्शाया नहीं, बल्कि जॉम्बी उधारकर्ताओं को ऋण के रूप में इनकी एवर ग्रीनिंग करते रहे और इस प्रक्रिया में मजबूत उधारकर्ता ऋण से वंचित रहे।

विनियामकीय त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई का मुद्दा

पूंजी अपर्याप्तता के शिकार बैंक और आम तौर पर वे बैंक जो खराब आस्ति गुणवत्ता और कम लाभप्रदता के कारण भविष्य में दबावग्रस्त हो सकते हैं, उन्हें संभालने के कौन से उपाय किए जाएं, खास तौर पर इस वास्तविकता के मद्देनजर कि प्रकट और निहित सरकारी गारंटियों की मौजूदगी से बैंक उधारकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला बाजार अनुशासन कमजोर पड़ा है?

यूनाइटेड स्टेट्स में बचत और ऋण (एस एण्ड एल) संकट के बाद इस प्रश्न ने अकादमिक और नीति निर्माण से जुड़े बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह वो संकट था जिसमें 1980 के दशक के दौरान बहुत बड़ी संख्या में थ्रिफ्ट्स को छोटी-छोटी मात्रा में पूंजी प्रदान करते हुए इनका समाधान करना पड़ा और अंततः ऐसी स्थितियां पैदा हो गयीं कि ब्लैकट डिपॉजिट इंश्योरेंस के रूप में एक बड़ा सरकारी बेल-आउट पैकेज लाना पड़ा। प्रभावी तौर पर कहें तो विनियामकीय अनुशासन के उपाय जब लागू किए गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अन्यथा वे बाजार अनुशासन में आयी कमी की भरपायी कर सकते थे; परिणामस्वरूप प्राधिकारियों को अत्यधिक सहिष्णु बनने पर मजबूर होना पड़ा और पूरा-पूरा बेल-आउट करना पड़ा।

(एस एण्ड एल) संकट से संबंधित वाद-विवाद से जो मुख्य बात निकल कर सामने आयी वह यह थी कि बैंकिंग विनियामक को 'संरचनाबद्ध तरीके से शीघ्र हस्तक्षेप और समाधान' (एसईआईआर)

का रुख अखितयार करना चाहिए था (उदाहरण के लिए, बेंसटन एण्ड कॉफमैन, 1990, एण्ड हाइट, 1991 देखें)। यही सोच फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) इम्प्रूवमेंट ऐक्ट (एफडीआईसीआईए), 1991 पास किए जाने का कारण बनी थी और आज की बैंकिंग में जिसे एफडीआईसी के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढाँचे के रूप में जाना जाता है, उसका जन्म यहीं से हुआ था। [इसी समय इसके एक जुड़वा भाई ने भी जन्म लिया था जिसे जोखिम आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है !]

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचों में संरचनाबद्ध तरीके से शीघ्र हस्तक्षेप और समाधान के मूल सिद्धांत को निम्नानुसार अपनाया जाता है :-

- i. कार्यनिष्पादन (एफडीआईसी के मामले में बैंक पूंजीकरण) की न्यूनतम सीमाएं निर्धारित की जाती हैं ताकि उन बैंकों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सके जो न्यूनतम सीमा का उल्लंघन करते हैं, उदाहरण के लिए, एफडीआईसी के मामले में 'अपर्याप्त पूंजी वाले', 'काफी कम पूंजी वाले' और 'चिंताजनक रूप से कम पूंजी वाले'। प्रारंभिक न्यूनतम सीमाएं उस स्तर से काफी ऊपर निर्धारित की जाती हैं जो बैंकों के प्रभावी समाधान और पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित होता है।
- ii. ऐसे बैंक जो न्यूनतम निर्धारित सीमाओं तक नहीं पहुंच पाते, उन पर चरणबद्ध, क्रमशः कठोर होता जाता 'कार्यक्रम' आरोपित किया जाता है जिसमें अनिवार्य और विवेकपूर्ण विनियामकीय कार्रवाईयाँ शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य स्थिति को और बिगड़ने से रोकना होता है और जो उल्लंघन करने वाले बैंकों को प्रभावी रूप से कारोबार से तब तक के लिए अलग कर देते हैं जब तक कि उनका समाधान नहीं हो जाता। एक अन्य कारण यह है कि इससे पर्यवेक्षकों को नियमबद्ध तरीके से सुधारात्मक उपाय लागू करने में सहायता मिलती है और इससे विनियामकीय सहिष्णुता के कारण उत्पन्न जोखिम में कमी आती है।

आसान शब्दों में कहा जाए तो, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) का उद्देश्य यही होता है- शीघ्र हस्तक्षेप करते हुए समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई करना ताकि जोखिमग्रस्त बैंकों के हालात में बदतरी को रोकते हुए और बची हुई पूंजी को सुरक्षित

रखते हुए उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को फिर से वापस लाया जा सके। तदुपरांत, एक रचनात्मक दृष्टिकोण से पीसीए के तहत बैंक के कार्यक्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और कुछ विस्तार किया जाता है क्योंकि ऐसा न करने पर बैंकों के तुलन-पत्रों पर आवश्यकता से अधिक जोखिम हो सकता है। इसी प्रकार, पीसीए बैंकों की बाजार में बिक्री करना और/ अथवा बैंक प्रबंध-तंत्र को बदल देना त्वरित समाधान के बड़े उपायों के तौर पर अपनाए जाते हैं। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि बैंकिंग विनियामक अपनी विनियामकीय शक्तियों का जितना अधिक प्रयोग कर सकेगा, पीसीए फ्रेमवर्क उतना ही मजबूत होगा।

हालांकि पीसीए का इरादा प्राथमिक रूप से उपचारात्मक है, तथापि इसे एक निवारक उपाय के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके माध्यम से बैंकों के प्रबंध-तंत्र और शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे अपने जोखिम को इस प्रकार नियंत्रित रखें कि वे पीसीए के अंतर्गत आए ही नहीं। इसके अलावा, पूरी तरह नियमबद्ध होने के कारण पीसीए में विवेकाधिकार की संभावना बहुत कम बचती है, इसके तहत विनियामक खुद को अपने ही बनाए नियमों में इस प्रकार जकड़ कर रखते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन या ढील की संभावना ही न बचे; ठीक वैसे ही जैसे यूलिसीज ने साइरेन्स के घातक संगीत से बचने के लिए खुद को जहाज के मस्तूल (मास्ट) से बँधवा लिया था।

रिजर्व बैंक का त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

एफआईडीसी के पीसीए फ्रेमवर्क की ही तर्ज पर रिजर्व बैंक का त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क एक संरचनाबद्ध शीघ्र हस्तक्षेप क्रियाविधि के रूप में दिसंबर 2002 में लाया गया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मद्देनजर और भारत में वित्तीय संस्थाओं में समाधान व्यवस्थाओं पर गठित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के कार्यबल (जनवरी 2014) और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी, मार्च 2013) की सिफारिशों को देखते हुए इस फ्रेमवर्क की समीक्षा की गयी। इस प्रकार 13 अप्रैल 2017 को रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया और बैंकों के वित्तीय लेखांकन अवधि को देखते हुए इसे 31 मार्च 2017 से लागू किया गया।

इस संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं का ब्योरा अनुबंध 1ए पर दिया गया है, जो कि जनसाधारण के लिए <https://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध करवाया गया है। इसे पूंजी (सीआरएआर – पूंजी और जोखिम भारित आस्ति का अनुपात - और लीवरेज अनुपात), आस्ति गुणवत्ता (एनएनपीए –

निवल अनर्जक आस्ति और अग्रिमों का अनुपात) और लाभप्रदता (आरओए – आस्तियों पर प्रतिलाभ) से जोड़ा गया है। माप के प्रत्येक तरीके में, न्यूनतम सीमा का अतिक्रमण करते ही बाद की न्यूनतम सीमाएं आरोपित करते हुए बैंकों को केवल न्यूनतम सीमा 1 का उल्लंघन करने वाले, केवल न्यूनतम सीमा 1 और 2 का उल्लंघन करने वाले अथवा न्यूनतम सीमा 3 का भी उल्लंघन करने वाले जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

संशोधित पीसीए ढांचे ने बहुत से आयाम जोड़ते हुए पूर्ववर्ती व्यवस्था को मजबूत बनाया। मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं :

- i. संशोधित ढांचे के तहत पूंजी, आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता निगरानी के मुख्य क्षेत्र बने रहे, किंतु लीवरेज की निगरानी किए जाने के साथ ही एक अतिरिक्त ट्रिगर के रूप में सामान्य इक्विटी की टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में सामान्य इक्विटी की टियर-1 पूंजी) पूंजी अनुपात को भी शामिल किया गया है। इस परिवर्तन से इस बात को समर्थन मिलता है कि किसी बैंक की सामान्य इक्विटी पूंजी में हानि-वहन करने की क्षमता सर्वाधिक है और यह पूंजी कर्ज की भांति बिल्कुल भी नहीं है। समग्ररूप से, संशोधित ढांचे के अंतर्गत जोखिम की सीमा रेखा का निर्धारण अधिक बारीकी से किया गया है।
- ii. पर्यवेक्षक द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों, जो पूर्व में 'संरचित (अनिवार्य) कार्रवाइयों' का हिस्सा थे, को नए ढांचे (विस्तृत तुलना अनुबंध I बी में दी गई है) के तहत 'विवेकसम्मत कार्रवाइयों' के अधिक व्यापक मेन्यू के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से, जोखिम की सभी सीमाओं के अंतर्गत अनिवार्य कार्रवाइयों की संभावना को विशिष्ट रूप से निम्नलिखित तक सीमित कर दिया गया है :
 - ए. लाभांश वितरण/लाभों के विप्रेषण पर प्रतिबंध।
 - बी. प्रवर्तकों/मालिकों/पालकों से अधिक पूंजी जुटाने की अपेक्षा।
 - सी. शाखा विस्तार पर प्रतिबंध।
 - डी. अधिक प्रावधान करने की अपेक्षा; और,
 - ई. प्रबंधन कंपनियों पर प्रतिबंध।
- iii. अभी तक किसी भी बैंक द्वारा खुदरा जमाराशि स्वीकार करने संबंधी गतिविधि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई

है, किंतु संशोधित ढांचे के अंतर्गत लागत में कमी लाने के उपाय के रूप में बैंकों को उच्च-मूल्य वाली एकमुश्त राशि के रूप में जमा स्वीकार करने में कमी लाने या पूर्णतः ऐसा नहीं करने को कहा जा सकता है। इसके स्थान पर उन्हें अपने चालू खाता और बचत खाता (सीएसए) में जमाराशियों के स्तर में सुधार लाने को कहा जा सकता है।

रिज़र्व बैंक के इस संशोधित पीसीए ढांचे की तुलना एफडीआईसी के पीसीए ढांचे, अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में, से करना उपयोगी है।

एफडीआईसी के पीसीए ढांचे से तुलना

एफडीआईसी के पीसीए ढांचे के तहत विभिन्न सीमाओं के साथ ही अनिवार्य और विवेकसम्मत कार्रवाइयों के विवरण अनुबंध II में दिए गए हैं। संकल्पनात्मक डिजाइन के लिहाज से, दोनों ही ढांचे प्रारंभिक स्तर पर संरचित हस्तक्षेप और समाधान के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं। हालांकि, इनमें कम से कम तीन महत्वपूर्ण अंतर हैं :

- i. एफडीआईसी, सिर्फ बैंक पूंजी की सीमाओं के आधार पर पीसीए की शुरुआत करता है, किंतु रिज़र्व बैंक की पीसीए सीमाओं में आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता भी शामिल हैं। इस अंतर के पीछे तर्क नीचे दिया जा रहा है। जब बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात (सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्रावधानों का अनुपात) अमेरिका के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्तर पर होता है, तब तक अधिकांश अनुमानित हानियां बैंक की पूंजी को पहले ही प्रभावित कर चुकी होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रावधानों को घटाकर अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए अनुपात) बहुत कम हैं। हालांकि, भारतीय बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत बहुत निम्न स्तर पर रहा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है (चार्ट 8), जिसका आंशिक कारण न्यूनतम अपेक्षित प्रावधानों के स्तर को सिर्फ बनाए रखना रहा है। परिणामस्वरूप, बैंक पूंजी के वर्तमान स्तर की पूंजी को भविष्य में बड़ेखाते डाले जाने की संभावना बढ़ जाती है। भविष्य में पूंजी के जरूरत से कम स्तर पर रहने के इस जोखिम को अपेक्षित सीमा से कम स्तर पर आस्ति गुणवत्ता (यदि एनएनपीए अनुपात अधिक रहता है) और लाभप्रदता

(यदि आस्तियों पर प्रतिलाभ या आरओए कम रहता है, जिससे पूंजी का जुटाव भविष्य में कमजोर रहेगा) की पहचान करते हुए दर्शाया गया है।

- ii. एफडीआईसी के मामले में, अनिवार्य कार्रवाइयां अधिक कठोर हैं और पूंजीकरण के स्तरों के संबंध में अपेक्षाकृत पहले कार्रवाइयां प्रारंभ होती हैं। उदाहरण के लिए, आस्तियों में वृद्धि और विस्तार के विशिष्ट प्रस्तावों के पूर्वानुमोदन के कारण सीमारेखा-1 के उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई की जाती है (एफडीआईसी के पीसीए के बैंक वर्गीकरण में 'अपेक्षा से कम स्तर पर पूंजीकरण' की श्रेणी)।
- iii. सीमा-रेखा 2 ('काफी अधिक अपेक्षा से कम स्तर पर पूंजीकृत') से परे एफडीआईसी द्वारा अनिवार्य कार्रवाई के अंतर्गत पुनर्पूजीकरण, प्रबंध-तंत्र में बदलाव लाने या यहां तक कि स्वामित्व-हरण (डाइवेस्टिट्यूर) भी किया जा सकता है। वास्तव में, एफडीआईसी के पीसीए के तहत अधिकांश बैंकों का समाधान नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जिसका विशिष्ट परिणाम यह रहा है कि बैंक की देयताओं के संबंध में पीसीए की मान्यताओं के अनुसार दूसरे बैंक द्वारा उसकी खरीद कर ली जाती है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के संबंध में इस तरह की कार्रवाई की शक्तियां भारत सरकार के पास होती हैं। जैसा कि गवर्नर पटेल के मार्च 2018 के भाषण, 'बैंकिंग विनियामकीय शक्तियां स्वामित्व निरपेक्ष होना चाहिए' में निरूपित किया गया, रिजर्व बैंक के पास पीएसबी के स्वामित्व-हरण या प्रबंध-तंत्र में परिवर्तन को लागू करने की वैधानिक शक्तियों की कमी है।

इसलिए, संतुलन कायम रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पीसीए ढांचा एफडीआईसी के पीसीए ढांचे की तुलना में कम दुष्कर है।

मैं, उक्त बिंदु (iii) को विस्तारपूर्वक कहना चाहूंगा। पर्चेज एंड एजेंप्शन (पी एंड ए) प्रणाली, एफडीआईसी द्वारा सामान्यरूप से सर्वाधिक प्रयुक्त प्रणाली है, जिसके अंतर्गत कोई मजबूत संस्थान विफल बैंक की सभी आस्तियों को खरीद लेता है और थोड़ी या सभी देयताओं को स्वीकार कर लेता है। इनमें से किसी तरीके का इस्तेमाल किए जाने के बारे में एफडीआईसी वैधानिक रूप से 'करदाताओं को न्यूनतम लागत' की अपेक्षा से प्रेरित होता

है। विफल बैंकों की आस्तियों और जमाराशियों सहित विशिष्ट देयताओं की स्वीकृति के संबंध में एफडीआईसी अर्हताप्राप्त बोली लगाने वालों से बोली आमंत्रित करता है। सबसे कम लागत वाली बोली को स्वीकार किया जाता है।

यदि कोई भी व्यवहार्य पी एंड ए खरीदकर्ता नहीं मिल पाता, तब एफडीआईसी विशेषरूप से जमाराशि भुगतान का सहारा लेता है। जमाराशि भुगतान के अंतर्गत बीमाकृत जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान किया जाना, बैंक की आस्तियों का परिसमापन, तथा आस्तियों के परिसमापन से प्राप्त आय को स्वयं तथा गैर-बीमाकृत जमाकर्ताओं के बीच बांटा जाना शामिल है। विफल बैंक के समाधान के लिए एफडीआईसी निक्षेप बीमा राष्ट्रीय बैंक (डीआईएनबी) या सेतु बैंकों का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए मुद्रा नियंत्रक कार्यालय (ओसीसी) से अल्पावधिक चार्टर सहित नए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जरूरत होगी। एफडीआईसी अपनी कॉर्पोरेट क्षमता में अधिकांश आस्तियों को प्राप्तकर्ता के रूप में अपने पास रखता है और यदा-कदा उन्हें बेचता है।

भारत में, अतीत में कमजोर बैंकों का अपेक्षाकृत मजबूत बैंकों में विलय किया जाना कमजोर बैंकों के समाधान का तरीका रहा है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 से रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि जमाकर्ताओं के हित में अथवा समग्ररूप से बैंकिंग प्रणाली के लिए हित में होने पर वह किसी बैंक का अन्य बैंक में विलय की योजना तैयार कर सके। कमजोर बैंक के परिचालनों को निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि योजना को निर्बाध रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रणाली के तहत निजी क्षेत्र के कई बैंकों को निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समामेलित किया जा चुका है। भारतीय बैंकिंग जगत में वर्ष 1991 में सुधारों की शुरुआत किए जाने के समय से 2010 तक 22 विलय घटित हुए, जिनमें से 11 विलय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत किए जाने वाले अनिवार्य विलय हुए (बिश्नाई एवं देवि, 2015)। हालांकि, इस उपागम के सफल होने की महत्वपूर्ण पूर्व-शर्तों में एक यह थी कि बैंकिंग क्षेत्र का काफी हिस्सा अच्छी तरह पूंजीकृत हो। यदि क्षमता-युक्त अधिग्रहणकर्ता पूंजी की दृष्टि से कमजोर हो तो यह इस तरह के अधिग्रहणों के द्वारा स्वयं अधिग्रहणकर्ताओं के लिए कमजोरी बढ़ने का जोखिम होने के अलावा मूल्यों के साथ ही साथ कमजोर बैंकों के समाधान की सामयिकता की निष्फलता के रूप में परिणत हो सकता है।

भारत में पीसीए बैंकों का कार्यनिष्पादन

मैं अब कुछ आंकड़ों का जिक्र करूंगा। इसका उद्देश्य उन बैंकों के दस-वर्षीय कार्यनिष्पादन (जहां कहीं आंकड़े उपलब्ध हैं) को समझना होगा, जिन पर रिज़र्व बैंक ने पीसीए के तहत कार्यवाई की है। दीर्घावधि में इन बैंकों के कार्यनिष्पादन की जांच करने का कारण इस तथ्य को समझना है कि पीसीए के अधीन बैंकों की प्रगति के संबंध में निर्णय अपेक्षाकृत अल्प समय मान के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अपेक्षा से कम पूंजीकृत होने की अवधि जितनी लंबी होगी और आस्ति गुणवत्ता की समस्याएं उतनी गंभीर होंगी, पुर्नस्थापना प्रक्रिया के दौरान हमें उतना अधिक संयम का परिचय देना होगा। इस समस्या का कोई फौरी या रातोंरात समाधान नहीं है। सुधारों को लागू किया जाना होगा और उनकी प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा। सुधारों को मध्य में समाप्त नहीं किया जा सकता या उन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता। पूरा ध्यान टिकाऊ स्थिरता पर केंद्रित किया जाना होगा।

जैसा कि मैं नीचे व्याख्या कर रहा हूँ, इस बात के संकेत उभर रहे हैं कि पीसीए के अधीन बैंकों का कार्यनिष्पादन धीमा है, किंतु यह मजबूती से बहाल हो रहे हैं।



वर्तमान में, रिज़र्व बैंक के संशोधित पीसीए ढांचे के अधीन बारह बैंक हैं, जिनमें से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और एक निजी



क्षेत्र का है। इन पर पीसीए के तहत कार्यवाई फरवरी 2014 और जनवरी 2018 के बीच की गई है। यहां पर मैं पीसीए के अधीन 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, अग्रिमों और जमाराशियों के अंतर्गत पीसीए के अधीन इन बैंकों की हिस्सेदारी क्रमशः 18.5 प्रतिशत और 20.8 प्रतिशत थी।

पूंजीकृत होने और आस्ति गुणवत्ता की दृष्टि से इन बैंकों के कार्यनिष्पादन की निम्नसूचित प्रवृत्तियों से एक ही बात निकल कर आती है -

(i) **पूंजीकृत होना** (चार्ट 1, 2): पीसीए के अधीन बैंकों से संबंधित सीआरएआर और टियर-1 पूंजी अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति, जो 2011 में प्रारंभ हुई थी, थम गई है और 2014 से यह अनुपात स्थिर रहा है या अंतरराष्ट्रीय मानक स्तरों से ऊपर रहा है। हालांकि, यह नोट किया जा सकता है कि पीसीए बैंकों का सीआरएआर और उनका टियर-1 पूंजी अनुपात उन बैंकों की तुलना में कम रहा है जो पीसीए के अधीन नहीं हैं (2011 को छोड़कर), ऐसा विशेषरूप से निजी बैंकों के संदर्भ में (2009 से) देखा गया है।

(ii) **आस्ति गुणवत्ता** (चार्ट 3, 4, 5): 2014 के करीब तक पीसीए के अधीन बैंकों के सकल और निवल एनपीए - दोनों अनुपातों ने पीसीए के अधीन नहीं आने वाले बैंकों के





समरूप रहे। हालांकि, आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) किए जाने के बाद पीसीए के अधीन आने वाले बैंकों के एनपीए को मान्यता दिए जाने से पीसीए के अंतर्गत नहीं आने वाले बैंकों के सापेक्ष सकल और निवल -दोनों ही एनपीए में तीव्र वृद्धि हुई है, यह वृद्धि विशेषरूप से निजी बैंकों के सापेक्ष रही है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक्यूआर के कारण एनपीए उत्पन्न हुए, बल्कि इसके कारण लंबे समय से बकाया एनपीए की पहचान की गई।


पीसीए बैंकों के दिन फिर रहे हैं...



जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की है, पीसीए का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है- सबसे पहले भविष्य में होने वाले नुकसान को नियंत्रित किया जाए और बैंक के लिए स्थिरता का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए उसकी पूंजी में क्षरण को रोका जाए, और ऐसा करते हुए संरचनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेपों को लागू करने की जमीन तैयार की जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए।

नीचे तीन क्रमवार निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं जो इस बात का आकलन करते हैं कि उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं:

(i) **पुनर्पूँजीकरण** (चार्ट 6): भारत सरकार वर्ष 2005 से लेकर अब तक सरकारी बैंकों में ₹ 2300/- बिलियन से अधिक पूंजी डाल चुकी है जिनमें से आधे से अधिक राशि उन बैंकों को मिली है जो वर्तमान में पीसीए के अधीन हैं। यदि पीसीए बैंकों के भीतर देखा जाए जो कुल डाली गयी पूंजी का लगभग आधा पीसीए के तहत बैंकों का वर्गीकरण किए जाने के बाद वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 में डाला गया है। इन बैंकों में और बाकी बैंकिंग प्रणाली जिससे ये जुड़े हुए हैं, में वित्तीय स्थिरता लाने में इस पुनर्पूँजीकरण ने महत्वपूर्ण योगदान किया है।

(ii) **और अधिक नुकसान को रोकना** (चार्ट 7) : अन्य बैंकों की तुलना में पीसीए बैंकों में पूंजी और दबावपूर्ण आस्ति अनुपात की अपेक्षाकृत खराब स्थिति के बावजूद 2014 तक पीसीए बैंकों की ऋण वृद्धि दर उतनी ही मजबूत थी जितनी







अन्य बैंकों की। बहरहाल, एक्यूआर के आने और पीसीए लागू किए जाने के बाद से पीसीए बैंकों के अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष कमी ही आती गयी है और ये वर्ष 2014 के 10 प्रतिशत से अधिक के स्तर से नीचे आते हुए 2016 तक शून्य से नीचे (संकुचन) की अवस्था में आ गए और तब से लेकर अब तक संकुचन की ही अवस्था में बने हुए हैं। यह सही है कि पीसीए बैंकों में आस्ति गुणवत्ता की समस्या लगातार बनी हुई है (चार्ट 3, 4 और 5), फिर भी इनके तुलन-पत्रों में और अधिक गिरावट को रोकने की दवा वास्तव में यही है।

(iii) **प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार (चार्ट 8) :** पुनर्पूँजीकरण तथा और अधिक नुकसान को रोकने के उपायों के चलते पीसीए बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) जो अन्य बैंकों की तुलना में 2011 से गिरते हुए 2012-16 के दौरान 40 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी, में अब सुधार हुआ है और यह गैर पीसीए सरकारी बैंकों के बराबर हो गया है। वर्तमान में भी सुधार का यह स्तर 50 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है जो कि निजी बैंकों की तुलना में अभी 10 और कम है तथा यह अब भी 70 प्रतिशत के वांछित स्तर से दूर है। ये आंकड़े बताते हैं कि पीसीए बैंकों की हानि सहन क्षमता में सुधार हो रहा है परंतु लेकिन एक मजबूत स्तर तक पहुंचने में उन्हें अभी कुछ दूरी तय करनी है।

कुछ लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पीसीए लागू किए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रेडिट क्षेत्र को झटका

लगा है। इस आरोप का कुछ तथ्यात्मक आधार भी है, चाहे वह पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो या क्षेत्र विशेष के स्तर पर। जबकि यह सही है कि पीसीए बैंकों की औसत उधार-दर (समग्र अग्रिमों में उनकी वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के रूप में) संकुचित हुई है, जैसा कि ऊपर दर्शाया भी गया है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सामान्य खाद्येतर क्रेडिट वृद्धि बीती कई तिमाहियों से द्विअंकीय होने के करीब या उससे ऊपर रही है और वास्तविक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इसका अच्छा-खासा वितरण रहा है (चार्ट 9)। इसका





कारण है कि पीसीए बैंकों में उधार में होने वाली कमी की भरपायी मजबूत बैंकों में होने वाली क्रेडिट वृद्धि से अधिक है। वास्तव में यही तो वो चीज है जो हर कोई चाहता है – सभी बैंकों के तुलन-पत्रों में जोखिम को संतुलित रूप से बांटते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए क्रेडिट का प्रभावी तरीके से पुनः आबंटन। वस्तुतः, इस अवधि के दौरान समग्र अर्थव्यवस्था के लिए निधीयन में काफी विविधता आयी है जिसका एक कारण पूंजी बाजारों की आयी संवृद्धि भी रही है।

पीसीए बैंकों द्वारा बड़े उद्योगों, जहाँ समग्र क्रेडिट वृद्धि न के बराबर बनी हुई है, को ऋण देने की बात भी की जाती रही है। यह बात ध्यान देने की है कि इनमें से बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो प्रारंभ से ही भारी ऋणग्रस्तता के शिकार हैं और ये आईबीसी के तहत डीलिवरेजिंग की प्रक्रिया में हैं (जिससे वर्तमान में उनकी क्षेत्रवार क्षमता अभी भी कुछ अतिरिक्त ही है और क्रेडिट मांग खुद ही कम है)। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीसीए बैंक अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से परहेज करते हुए और कम जोखिम वाले क्षेत्रों एवं सरकारी प्रतिभूतियों को वरीयता देते हुए अपने तुलन-पत्र के आस्त-पक्ष के जोखिम को कम कर रहे हैं; ऐसे में पहली और सर्वप्रमुख प्राथमिकता यह है कि पीसीए बैंकों के नुकसान को नियंत्रित (प्रभावी रूप से, करदाता) किया जाए और उनकी पूंजी के और अधिक क्षरण को रोका जाए।

निष्कर्ष

मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि समुचित मात्रा में बैंक पूंजी की उपलब्धता बैंकों के तुलन-पत्रों को मजबूत बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है और बैंक पर्यवेक्षकों के लिए यह एक प्रमुख संकेतक है जिसकी कड़ी निगरानी उन्हें करनी चाहिए; और, यह कि कैसे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग पर्यवेक्षकों और विनियामकों द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क को संरचनाबद्ध शीघ्र हस्तक्षेप और समाधान के स्वीकृत माध्यम के रूप में अपनाया गया है जो बैंकों की पूंजी को सुरक्षित रखते हुए उन्हें फिर से सुदृढ़ बनाने में सहायक है।

उसके बाद, मैंने रिज़र्व बैंक के पीसीए फ्रेमवर्क, जो कि समग्र वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का एक आवश्यक तत्व है, की प्राथमिक विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा की।

जो साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किए हैं, वे इस ओर संकेत करते हैं कि यदि पीसीए फ्रेमवर्क लागू न किया गया होता, तो कुछ बैंकों को और भी अधिक नुकसान झेलना पड़ता और उनके पुनःपूंजीकरण में करदाताओं का और अधिक धन लगाना पड़ता। इसलिए पीसीए को सर्वप्रथम जोखिमग्रस्त बैंकों में स्थिरता लाने और तदुपरांत, इन बैंकों के कारोबारी मॉडल को दीर्घावधि तक संभाव्य बनाने रखने के लिए आवश्यक बैंकिंग क्षेत्र में गहन संशोधनों के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों के लिए पीसीए फ्रेमवर्क को बनाए रखा जाए। जब कोई कार्य अति आवश्यक हो, तब अपने स्वयं के ढील दे देना एक सुपरिचित परिपाटी है जो असमय नुकसान पहुंचाने वाली होती है और जिससे परहेज किया जाना चाहिए।

जैसी कि कहावत है, अच्छी शुरुआत से केवल आधी सफलता ही मिल पाती है!

संदर्भ :

Acharya, Viral V. (2017) *'The Unfinished Agenda: Restoring Public Sector Bank Health in India.'* R K Talwar Memorial Lecture, Indian Institute of Banking and Finance.

Acharya, Viral V., Sascha Steffen and Lea Steinruecke (2018) *'Kicking the Can Down the Road: Government Interventions in the European Banking Sector.'* Working Paper, Frankfurt School of Management and Finance.

Benston, George and George Kaufman (1990) *'Understanding the Savings and Loan Debacle.'* The Public Interest, Spring, pp. 79-95.

Bishnoi, T.R. and Sofia Devi (2015) 'Mergers and Acquisitions of Banks in Post-Reform India,' *Economic & Political Weekly*, 50(37), pp. 50-58.

Granja, Joao, Gregor Matvos and Amit Seru (2017) *'Selling Failed Banks.'* *Journal of Finance*, 72(4), pp. 1723-1784.

Hoshi, T. and A.K. Kashyap (2010) *'Will the U.S. bank recapitalisation succeed? Eight lessons from Japan.'* *Journal of Financial Economics* 97, 398-417.

Myers, Stewart (1977) *'Determinants of Corporate Borrowing.'* *Journal of Financial Economics*, 5, pp. 147-175.

Patel, Urjit R. (2018) *'Banking Regulatory Powers Should be Ownership Neutral.'* Inaugural Lecture – Center for Law & Economics; Center for Banking & Financial Laws, Gujarat National Law University.

White, Larry (1991) *'The S&L Debacle: Public Policy Lessons for Bank and Thrift Regulation.'* Oxford University Press.

परिशिष्ट Iए: आरबीआई का संशोधित पीसीए मैट्रिक्स (अप्रैल 2017) – संकेतक एवं जोखिम सीमा

संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क				
	संकेतक	जोखिम सीमा 1	जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 3
पूंजी <i>(या तो सीआरएआर या ट्रिगर पीसीए के सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन)</i>	सीआरएआर - जोखिम आस्ति अनुपात की तुलना में पूंजी के लिए न्यूनतम विनियामक निर्देश + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 10.875 प्रतिशत का मौजूदा न्यूनतम निर्देश (31 मार्च, 2018 तक 9 प्रतिशत न्यूनतम कुल पूंजी और सीसीबी की 1.875 प्रतिशत*) और/या कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1-न्यून.) + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के विनियामक पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर 7.375 प्रतिशत का मौजूदा न्यूनतम आरबीआई निर्देश (31 मार्च, 2018 तक सीसीबी का 5.5 प्रतिशत और 1.875 प्रतिशत*) या तो सीआरएआर या ट्रिगर पीसीए के सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन	संकेतक के नीचे 250 बीपीएस तक <10.875 प्रतिशत लेकिन >=8.375 प्रतिशत संकेतक के नीचे 162.50 तक < 7.375 प्रतिशत लेकिन >=5.75 प्रतिशत	250 से अधिक बीपीएस लेकिन संकेतक के नीचे 400 बीपीएस से अधिक नहीं <8.375 प्रतिशत लेकिन >= 6.875 प्रतिशत 162.50 बीपीएस नीचे से अधिक लेकिन संकेतक के नीचे 312.50 बीपीएस नीचे से अधिक नहीं <5.75 प्रतिशत लेकिन >=4.25 प्रतिशत	- - संकेतक के नीचे 312.50 बीपीएस से अधिक <4.25 प्रतिशत
आस्ति गुणवत्ता	निवल-अनर्जक अग्रिम (एनएनपीए) अनुपात	>=6.0 प्रतिशत लेकिन <=9.0 प्रतिशत	> = 9.0 प्रतिशत लेकिन <12.0 प्रतिशत	<12.0 प्रतिशत
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	लगातार दो वर्षों तक ऋणात्मक आरओए	लगातार तीन वर्षों तक नकारात्मक आरओए	लगातार चार वर्षों तक नकारात्मक आरओए
लीवरेज	टीयर 1 लीवरेज अनुपात	<= 4.0 प्रतिशत लेकिन >= 3.5 प्रतिशत (लीवरेज टियर 1 पूंजी के 25 गुना से अधिक है)	<3.5 प्रतिशत (लीवर टियर 1 पूंजी से 28.6 गुना अधिक है)	

परिशिष्ट 1बी: आरबीआई के पुराने (2002) और संशोधित (2017) पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत अनिवार्य एवं विवेकाधीन सुधारात्मक कार्रवाई

विशेष विवरण	अनिवार्य / संरचित कार्य		विवेकाधीन कार्य	
	पुराना पीसीए फ्रेमवर्क (संरचित कार्रवाई)	संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क (अनिवार्य कार्रवाई)	पुराना पीसीए फ्रेमवर्क	संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क
पूँजी जोखिम सीमा 1	<ul style="list-style-type: none"> बैंक द्वारा पूँजी बहाली योजना का प्रस्तुतिकरण और कार्यान्वयन बैंक अपने जोखिम-भारित आस्तियों के विस्तार को सीमित करेगा बैंक कोई नया कारोबार शुरू नहीं करेगा बैंक महंगी जमाराशियों और सीडी का उपयोग / नवीनीकरण नहीं करेगा बैंक लाभांश भुगतान को कम करेगा / छोड़ देगा 	<p>विदेशी बैंकों के मामले में मूल बैंक को लाभांश वितरण / लाभ के विप्रेषण पर प्रतिबंध</p> <p>पूँजी लगाने के लिए विदेशी बैंकों के मामले में प्रवर्तक / मालिक / मूल कंपनी</p>	<ul style="list-style-type: none"> आरबीआई पुनर्पूँजीकरण का आदेश देगा बैंक सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा बैंक पूँजी बाजार, रियल एस्टेट या गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपने एक्सपोजर को कम करेगा आरबीआई अंतर बैंक बाजार से उधारियों के संबंध में बैंक पर प्रतिबंध लगाएगा बैंक अपनी क्रेडिट / निवेश रणनीति और नियंत्रण को संशोधित करेगा 	<p>सामान्य मेन्सू</p> <p>विशेष पर्यवेक्षी सहभागिता</p> <ul style="list-style-type: none"> तिमाही या अन्य चिह्नित अंतराल पर विशेष पर्यवेक्षी निगरानी बैठकें (एसएसएसएमएम) बैंक का विशेष निरीक्षण / लक्षित संवीक्षा बैंक का विशेष लेखापरीक्षा <p>कार्यनीति से संबंधित</p> <p>आरबीआई बैंक के बोर्ड को सलाह देगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> बहाली योजना को सक्रिय करने के लिए जिसे पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है कारोबार मॉडल की स्थिरता, कारोबार श्रेणी और गतिविधियों की लाभप्रदता, मध्यम और दीर्घकालिक व्यवहार्यता, तुलन-पत्र अनुमानों, आदि के संदर्भ में कारोबार मॉडल की विस्तृत समीक्षा करने के लिए।
एनपीए जोखिम सीमा 1	<ul style="list-style-type: none"> बैंक को एनपीए के स्टॉक को कम करने और नए एनपीए की संतति को शामिल करने के लिए विशेष अभियान शुरू करना है बैंक अपनी ऋण नीति की समीक्षा करेगा बैंक ऋण मूल्यांकन कौशल और प्रणालियों के उन्नयन के लिए कदम उठाएगा बैंक बड़े ऋण के लिए ऋण समीक्षा तंत्र सहित अग्रिमों के फॉलो-अप को सुदृढ़ करेगा बैंक प्रभावी ढंग से दायर मुकदमे / आज्ञासि कर्ज को फॉलो-अप करेगा बैंक उचित ऋण-जोखिम प्रबंधन नीतियाँ / प्रक्रिया / कार्यविधि / विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित करेगा बैंक ऋण एकाग्रता - व्यक्तिगत, समूह, क्षेत्र, उद्योग, आदि को कम करेगा 		<ul style="list-style-type: none"> बैंक कोई नया कारोबार शुरू नहीं करेगा बैंक लाभांश भुगतान को कम करेगा / छोड़ देगा बैंक सहयोगी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा 	<ul style="list-style-type: none"> तत्काल चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पकालिक रणनीति की समीक्षा करने के लिए मध्यम अवधि की कारोबार योजनाओं की समीक्षा करने, प्राप्त कर सकने योग्य लक्ष्यों की पहचान करने और ठोस उल्लेखनीय प्रगति एवं उपलब्धि निर्धारित करने के लिए वृद्धि / संकुचन की गुंजाइश की पहचान करने हेतु सभी कारोबारों की समीक्षा करने के लिए उचित रूप से कारोबार प्रक्रिया की पुनर्चना करना उपयुक्त ढंग से संचालन का पुनर्गठन करना <p>शासन संबंधी</p> <ul style="list-style-type: none"> आरबीआई उपयुक्त समझे जाने वाले विभिन्न पहलुओं पर बैंक के बोर्ड के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा आरबीआई नए प्रबंधन / बोर्ड में लाने के लिए मालिकों (सरकार / प्रमोटर / विदेशी बैंक शाखा के मूल कंपनी) को सिफारिश करेगा आरबीआई यथा लागू बैंककारी अधिनियम 1949 की धारा 36ए अधिनियम के तहत प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों को हटाएगा आरबीआई यथा लागू बैंककारी अधिनियम 1949 की धारा 36एसीएके अंतर्गत बोर्ड का अधिक्रमण कराएगा / बोर्ड पर रोक लगाने की सिफारिश करेगा

विशेष विवरण	अनिवार्य / संरचित कार्य		विवेकाधीन कार्य	
	पुराना पीसीए फ्रेमवर्क (संरचित कार्रवाई)	संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क (अनिवार्य कार्रवाई)	पुराना पीसीए फ्रेमवर्क	संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क
आरओए जोखिम सीमा 1	<ul style="list-style-type: none"> बैंक महंगी जमाराशियों और सीडी का उपयोग / नवीकरण नहीं करेगा शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए बैंक कदम उठाएगा बैंक प्रशासनिक खर्चों को रोकने के लिए कदम उठाएगा एनपीए के स्टॉक को कम करने और नए एनपीए होने से रोकने के लिए बैंक विशेष अभियान चलाएगा बैंक नया कारोबार शुरू नहीं करेगा बैंक लाभांश भुगतान को कम करेगा / छोड़ देगा आरबीआई अंतर बैंक बाजार से उधारियों पर बैंक पर प्रतिबंध लगाएगा 		<ul style="list-style-type: none"> बैंक तकनीकी उन्नयन और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर इस तरह के आकस्मिक प्रतिस्थापन के अलावा कोई पूंजीगत व्यय नहीं करेगा बैंक अपने कर्मचारियों का विस्तार नहीं करेगा / रिक्तियों को नहीं भरेगा 	<ul style="list-style-type: none"> आरबीआई से अपेक्षित होगा कि बैंक विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कराधान द्वारा वापसी एवं दंडात्मक उपबंधों को लागू करें और अन्य कार्रवाई करें तथा बीआर अधिनियम, 1949 के तहत अनुमत अन्य प्रतिबंध या शर्तें लगाए। जैसा कि लागू हो, निदेशकों या प्रबंधन क्षतिपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना <p>पूंजी संबंधी</p> <ul style="list-style-type: none"> पूंजी नियोजन की बोर्ड स्तर की विस्तृत समीक्षा अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए योजनाओं और प्रस्तावों को प्रस्तुत करना बैंक को धारित लाभ के माध्यम से आरक्षित निधि को बढ़ाना आवश्यक है सहायक / सहयोगी कंपनियों में निवेश पर प्रतिबंध पूंजी संरक्षण के लिए उच्च जोखिम-भारित आस्ति के विस्तार में प्रतिबंध
पूंजी जोखिम सीमा 2	<ul style="list-style-type: none"> पहले की तरह सभी संरचित कार्रवाईयां आरबीआई द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना के संबंध में बैंक के बोर्ड के साथ चर्चा आरबीआई पुनर्पूजीकरण का आदेश देगा Bबैंक सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा बैंक अपनी ऋण / निवेश से संबंधित कार्यनीति को संशोधित और नियंत्रण करेगा 	<p>श्रेसहोल्ड 1 के अनिवार्य कार्रवाईयों के अलावा, शाखा विस्तार पर प्रतिबंध; घरेलू और/या विदेश में कवरेज व्यवस्था के हिस्से के रूप में उच्च प्रावधान</p>	<ul style="list-style-type: none"> बैंक / सरकार नए प्रबंधन / बोर्ड के लिए कदम उठाएगा बैंक कारोबार / संगठनात्मक पुनर्चना के लिए सलाहकार नियुक्त करेगा बैंक / सरकार प्रवर्तकों को बदलने / स्वामित्व बदलने के लिए कदम उठाएगा यदि बैंक पुनर्पूजीकरण योजना को प्रस्तुत करने / कार्यान्वित करने में विफल रहता है या उस अवधि के भीतर जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, किसी आदेश के अनुसरण में पुनर्पूजीकरण करने में विफल रहता है, तो आरबीआई / सरकार बैंक का विलय करने के लिए कदम उठाएगा। 	<ul style="list-style-type: none"> पूंजी संरक्षण के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के एक्सपोजर में कमी सहायक और अन्य समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने पर प्रतिबंध <p>क्रेडिट जोखिम संबंधी</p> <ul style="list-style-type: none"> एनपीए के स्टॉक में कमी के लिए समयबद्ध योजना की तैयारी और प्रतिबद्धता नए एनपीए न होने देने के लिए योजना तैयार करना और उसके प्रति प्रतिबद्धता ऋण समीक्षा तंत्र को मजबूत करना कूछ रेटिंग ग्रेड से नीचे के उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट विस्तार पर प्रतिबंध / में कमी जोखिम आस्तियों में कटौती अनरेटेड उधारकर्ताओं के लिए ऋण विस्तार पर प्रतिबंध / में कमी असुरक्षित एक्सपोजर में कमी ऋण सांद्रता में कमी; चिह्नित क्षेत्रों, उद्योगों में या उधारकर्ताओं के ऋण संकेंद्रण में कमी
एनपीए जोखिम सीमा 2	<ul style="list-style-type: none"> पहले की तरह सभी संरचित कार्रवाईयां आरबीआई द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना के संबंध में बैंक के बोर्ड के साथ चर्चा बैंक नया कारोबार शुरू नहीं करेगा बैंक लाभांश भुगतान को कम करेगा / छोड़ देगा बैंक सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा 			<ul style="list-style-type: none"> आस्तियों की बिक्री क्षेत्रों की पहचान (भूगोलवार, उद्योग-खंड वार, उधारकर्ता वार इत्यादि) के माध्यम से आस्तियों की वसूली के लिए कार्य योजना तैयार करना और समर्पित रिकवरी टास्क फोर्स, एडलाट्स, आदि की स्थापना।

विशेष विवरण	अनिवार्य / संरचित कार्य		विवेकाधीन कार्य	
	पुराना पीसीए फ्रेमवर्क (संरचित कार्रवाई)	संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क (अनिवार्य कार्रवाई)	पुराना पीसीए फ्रेमवर्क	संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क
पूँजी जोखिम सीमा 3	<ul style="list-style-type: none"> पहले की तरह सभी संरचित कार्रवाई आरबीआई बैंक के कामकाज का अधिक बारीकी से प्रेक्षण करेगा यदि बैंक अपने सीआरएआर में एक वर्ष या इस तरह की सहमति की गयी विस्तारित अवधि के भीतर 3 प्रतिशत से अधिक का सुधार नहीं करता है तो आरबीआई / सरकार बैंक को विलय करने / समामेलन करने / चलनिधि उपलब्ध कराने या बैंकों पर अधिस्थगन लगाने के लिए कदम उठाएगा। 	<p>शेसहोल्ड 1 के अनिवार्य कार्रवाई के अलावा,</p> <p>शाखा विस्तार पर प्रतिबंध; घरेलू और / या विदेशी</p> <p>प्रबंधन मुआवजा और यथा लागू निर्देशकों की फीस पर प्रतिबंध</p>	-	<p>बाजार संबंधी जोखिम</p> <ul style="list-style-type: none"> अंतर-बैंक बाजार से उधारी पर प्रतिबंध / कमी थोक जमाराशियों / महंगी जमाराशियों / जमाराशि प्रमाण-पत्रों का उपयोग करने / नवीनीकरण पर प्रतिबंध व्युत्पन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध, व्युत्पन्न जो संपार्श्विक प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं रखे गए संपार्श्विक के अतिरिक्त रखरखाव पर प्रतिबंध जिसे प्रतिपक्ष द्वारा किसी भी समय अनुबंधित रूप से वापस लिया जा सकता है <p>एचआर संबंधित</p> <ul style="list-style-type: none"> कर्मचारियों के विस्तार पर प्रतिबंध मौजूदा कर्मचारियों की विशेष प्रशिक्षण जरूरतों की समीक्षा <p>लाभप्रदता संबंधी</p> <ul style="list-style-type: none"> बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के अलावा अन्य पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंध लाभांश भुगतान पर प्रतिबंध कर्मचारियों के विस्तार पर प्रतिबंध <p>संचालन संबंधी</p> <ul style="list-style-type: none"> शाखा विस्तार योजनाओं पर प्रतिबंध; घरेलू या विदेशी विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों / अन्य संस्थाओं में कारोबार में कमी नया कारोबार शुरू करने पर प्रतिबंध गैर-निधि आधारित कारोबार में कमी के माध्यम से लीवरेज में कमी जोखिमपूर्ण आस्तियों में कमी गैर-ऋण आस्ति सृजन पर प्रतिबंध यथा निर्दिष्ट कारोबार करने में प्रतिबंध <p>कोई अन्य</p>

अनुबंध II: एफडीआईसी पीसीए मैट्रिक्स

	समुचित रूप से पूंजीकृत (पूरी की जाने वाली सभी सीमाएं)	पर्याप्त रूप से पूंजीकृत (पूरी की जाने वाली सभी सीमाएं)	अल्प-पूंजीकृत (कोई एक या अधिक सीमा भंग होने पर)	उल्लेखनीय रूप से अल्प-पूंजीकृत (कोई एक या अधिक सीमा भंग होने पर)	अत्यंत अल्प-पूंजीकृत
सीमा रेखा					
कुल जोखिम-आधारित पूंजी अनुपात	> 10 प्रतिशत	> 8 प्रतिशत	< 8 प्रतिशत	< 6 प्रतिशत	मूल इक्विटी/कुल आस्ति \leq 2 प्रतिशत
टियर 1 जोखिम-आधारित पूंजी अनुपात	> 8 प्रतिशत	> 6 प्रतिशत	> 6 प्रतिशत	> 4 प्रतिशत	
सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात	> 6.5 प्रतिशत	> 4.5 प्रतिशत	> 4.5 प्रतिशत	> 3 प्रतिशत	
लीवरेज अनुपात	> 5 प्रतिशत	> 4 प्रतिशत	> 4 प्रतिशत	> 3 प्रतिशत	
पूंजी निर्देश / अन्य	किसी भी पूंजी उपाय के लिए एक विशिष्ट स्तर को पूरा करने हेतु किसी पूंजी निर्देश के अधीन नहीं	समुचित रूप से पूंजीकृत की परिभाषा को पूरा नहीं करता है			
प्रावधान					
अनिवार्य कार्रवाई		एफडीआईसी की मंजूरी के सिवाय कोई ब्रोकर्री जमाराशि नहीं	<ul style="list-style-type: none"> (i) पूंजी वितरण और प्रबंधन शुल्क के भुगतान को सीमित करना (ii) अपेक्षित है कि एफडीआईसी-पर्यवेक्षित संस्थान की स्थिति की निगरानी करे (iii) स्थापित अनुसूची के भीतर एक पूंजी बहाली योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है (iv) आस्तियों की संवृद्धि को सीमित करना (v) कुछ विस्तार प्रस्तावों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है 	<p>ग्रेसहोल्ड 1 के अलावा</p> <p>संस्था के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को भुगतान किए गए प्रतिपूर्ति को सीमित करना निम्नलिखित में से कोई 1 या उससे अधिक:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता (ii) संबद्ध संस्थाओं के साथ लेनदेन को सीमित करना (iii) ब्याज दरों के भुगतान को सीमित करना। (iv) आस्तियों की संवृद्धि को सीमित करना (v) गतिविधियों को सीमित करना (vi) प्रबंधन में सुधार <ul style="list-style-type: none"> (ए) निदेशकों का नए सिरे से चुनाव। (बी) निदेशकों या वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को पदच्युत करना (सी) योग्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को बहाल करना (vii) कोरेस्पोंडेंट बैंकों से जमाराशि को निषेध करना 	<p>ग्रेसहोल्ड 1 के अलावा</p> <p>संस्था के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले प्रतिपूर्ति को सीमित करना।</p> <p>अत्यंत अल्प-पूंजीकृत होने के 60 दिनों के बाद अधीनस्थ कर्ज पर मूलधन या ब्याज का भुगतान करने पर रोक।</p> <p>एफडीआईसी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना निम्नलिखित में से कुछ भी करने से निषिद्ध:</p> <ul style="list-style-type: none"> (ए) किसी भी निवेश, विस्तार, अधिग्रहण, आस्तियों की बिक्री, या अन्य समान कार्रवाई सहित सा मान्य कारोबार को छोड़कर किसी महत्वपूर्ण लेनदेन करना जिसके संबंध में निक्षेपागार संस्था को उचित संघीय बैंकिंग एजेंसी को नोटिस प्रदान करना अपेक्षित है। (बी) किसी भी उच्च लीवरेज्ड लेनदेन के लिए क्रेडिट का विस्तार करना।

	समूचित रूप से पूंजीकृत (पूरी की जाने वाली सभी सीमाएं)	पर्याप्त रूप से पूंजीकृत (पूरी की जाने वाली सभी सीमाएं)	अल्प-पूंजीकृत (कोई एक या अधिक सीमा भंग होने पर)	उल्लेखनीय रूप से अल्प-पूंजीकृत (कोई एक या अधिक सीमा भंग होने पर)	अत्यंत अल्प-पूंजीकृत
				<p>(viii) बैंक होल्डिंग कंपनी द्वारा पूंजी वितरण के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता।</p> <p>(ix) अधिकार-त्याग की आवश्यकता</p> <p>(x) कोई अन्य कार्रवाई</p>	<p>(सी) किसी कानून, विनियमन, या आदेश की किसी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक छोड़कर, संस्थान के चार्टर या उपनियमों में संशोधन करना।</p> <p>(डी) लेखांकन पद्धति में कोई भी ठोस परिवर्तन करना।</p> <p>(ई) किसी रक्षात्मक लेन-देन शामिल होना</p> <p>(एफ) अत्यधिक प्रतिपूर्ति या बोनस का भुगतान करना।</p> <p>(जी) नए या नवीकृत देयताओं पर उस दर से ब्याज का भुगतान करना जो सामान्य बाजार क्षेत्रों में बीमित जमाराशि पर ब्याज की प्रचलित दरों को पार करते हुए संस्था की भारित औसत लागत को एक स्तर तक बढ़ा दे।</p> <p>किसी बीमाकृत निक्षेपागार संस्था के अत्यंत अल्प-पूंजीकृत होने के बाद 90 दिनों से अनधिक होने पर उपयुक्त संघीय बैंकिंग एजेंसी:</p> <p>(i) संस्थान के लिए रिसेवर (या, कॉर्पोरेशन की सहमति से कोई संरक्षक) नियुक्त करेगी</p> <p>(ii) ऐसे अन्य कार्रवाई करेगी जिसे एजेंसी कॉर्पोरेशन की सहमति से निर्धारित की जाती है, जो इस खंड के उद्देश्य को बेहतर ढंग से हासिल करेगा, यह प्रलेखित करने के बाद कि क्यों यह कार्रवाई उद्देश्य को बेहतर ढंग हासिल करेगी।</p>

	समुचित रूप से पूंजीकृत (पूरी की जाने वाली सभी सीमाएं)	पर्याप्त रूप से पूंजीकृत (पूरी की जाने वाली सभी सीमाएं)	अल्प-पूंजीकृत (कोई एक या अधिक सीमा भंग होने पर)	उल्लेखनीय रूप से अल्प-पूंजीकृत (कोई एक या अधिक सीमा भंग होने पर)	अत्यंत अल्प-पूंजीकृत
विवेकाधीन कार्य			<p>(i) पुनर्पूजीकरण की आवश्यकता</p> <p>(ii) संबद्ध के साथ लेनदेन को सीमित करना</p> <p>(iii) ब्याज दरों के भुगतान को सीमित करना</p> <p>(iv) आर्स्ति वृद्धि को सीमित करना</p> <p>(v) गतिविधियों को सीमित करना</p> <p>(vi) प्रबंधन में सुधार (ए) निदेशकों का नया चुनाव (बी) निदेशकों या वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को पदच्युत करना (सी) योग्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को बहाल करना</p> <p>(vii) कोरेस्पोंडेंट बैंकों से जमाराशि को निषिद्ध करना</p> <p>(viii) बैंक होल्डिंग कंपनी द्वारा पूंजी वितरण के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता।</p> <p>(ix) अधिकार-त्याग की आवश्यकता कोई अन्य कार्रवाई</p>	<p>(i) गतिविधियों को सीमित करना, और</p> <p>(ii) कम से कम, ऐसी किसी भी संस्था को कॉर्पोरेशन के पूर्व लिखित मंजूरी के बिना निम्नलिखित में से कोई भी करने से निषिद्ध: (ए) किसी भी निवेश, विस्तार, अधिग्रहण, आर्स्तियों की बिक्री, या अन्य समान कार्रवाई सहित सामान्य कारोबार को छोड़कर कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन करना जिसके संबंध में निक्षेपागार संस्था को उचित संघीय बैंकिंग एजेंसी को नोटिस प्रदान करना अपेक्षित है। (बी) किसी भी उच्च लीवरेज्ड लेनदेन के लिए क्रेडिट का विस्तार करना। (सी) किसी कानून, विनियमन, या आदेश की किसी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, संस्थान के चार्टर या उपनियमों को संशोधित करना। (डी) लेखांकन पद्धति में कोई भी ठोस परिवर्तन करना। (ई) किसी रक्षात्मक लेन-देन शामिल होना (एफ) अत्यधिक प्रतिपूर्ति या बोनस का भुगतान करना। (जी) नए या नवीकृत देयताओं पर उस दर से ब्याज का भुगतान करना जो सामान्य बाजार क्षेत्रों में बीमित जमाराशि पर ब्याज की प्रचलित दरों को पार करते हुए संस्था की भारत और आसत लागत को एक स्तर तक बढ़ा दे।</p>	

स्वतंत्र विनियामकीय संस्थाओं का महत्त्व – केंद्रीय बैंक का मामला*

विरल वी. आचार्य

कोई भी समरूपता पूर्ण नहीं होती है; फिर भी, समरूपताओं के जरिए बातों को बेहतर ढंग से कहने में मदद मिलती है। कई बार, मामूली आदमी भी व्यावहारिक और यहां तक कि अकादमिक बात भी सारगर्भित तरीके से कह देता है। लेकिन, संप्रेषणकर्ता के कार्य को आसान बनाने के उदाहरण असल जीवन में कभी-कभार ही सुंदरता के साथ आते हैं। मैं 2010 की एक घटना के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ क्योंकि यह मेरे वक्तव्य के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है:

“इस केन्द्रीय बैंक में मेरा समय पूरा हुआ और यही कारण है कि मैंने अपने कर्तव्यों को निभाने की संतुष्टि के साथ अपने पद को निश्चित रूप से छोड़ने का निर्णय ले लिया है”, यह बात अर्जेन्टिना के केंद्रीय बैंक के प्रमुख श्री मार्टिन रेडरेडो ने शुक्रवार, 29 जनवरी 2010 को समाचार सम्मेलन में कही।

उन्होंने कहा कि “अपनी राष्ट्रीय सरकार द्वारा संस्थाओं के स्थायी दमन के कारण हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं।” “मूल रूप से, मैं दो मुख्य अवधारणों का बचाव कर रहा हूँ: एक हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और यह कि आरक्षित निधियों का उपयोग मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के लिए होना चाहिए।”

इस नाटकीय प्रस्थान की जड़ें हैं क्रिस्टिना फर्नांडिज के नेतृत्व वाली अर्जेन्टिना सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2009 को पारित उस आपात आदेश में जिसके अनुसार उस वर्ष परिपक्व हो रहे लोक ऋणों का वित्तपोषण करने के लिए द्विशताब्दिक स्थायित्व

* डॉ. विरल वी. आचार्य, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई में 26 अक्टूबर 2018 को दिया गया ए. डी. श्राफ स्मारक व्याख्यान

मैं गवर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का, जिन्होंने भाषण हेतु इस विषय को ढूँढने, मुझे स्व. दीना खटकटे, (2005) के काम को संदर्भित करने, और उनके निरंतर प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। मैं येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश मोहन और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर के साथ अंतर्दृष्टिपूर्ण आदान-प्रदान हेतु; बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के डॉ. नचिकेत मोर, भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय बोर्ड सदस्य के रूप में कार्यकाल के दौरान; मेरे साथी उप गवर्नर, एन. एस. विश्वनाथन; मेरे सहयोगी, डॉ. माइकल डी. पात्र, कार्यपालक निदेशक और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य; साथ ही आरबीआई के जोस कट्टूर, मुदुल सागर और विनीत श्रीवास्तव का भी ऋणी हूँ। सभी त्रुटियां जो भी रहेंगी वो मेरी हैं।

और न्यूनकृत ऋणग्रस्तता निधि की स्थापना की जा रही थी। इसमें केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधियों में से 6.6 बिलियन डॉलर की रकम को नेशनल ट्रेजरी में अंतरित करना निहित था। दावा यह था कि केंद्रीय बैंक के पास 18 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त आरक्षित निधि थी। [वास्तव में, श्री रेडराडो ने यह निधि अंतरित करने से मना कर दिया था, इसलिए सरकार ने दुराचार और कर्तव्यभंग के लिए 7 जनवरी 2010 के एक और आपात आदेश द्वारा उन्हें पद से हटाने का प्रयास किया, तथापि, यह प्रयास विफल हो गया क्योंकि यह असंवैधानिक था।]

सन 2001 में अर्जेन्टिना की आर्थिक मंदी के बाद वहां के सबसे बुरे संवैधानिक संकट को चिंगारी दिखाने के अलावा इस घटनाक्रम से वहां के राष्ट्रिक जोखिम का गंभीर पुनर्आकलन हुआ।

श्री रेडराडो के त्यागपत्र के एक महीने के अंदर, अर्जेन्टिना के सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल और अर्जेन्टिना सरकार के बॉन्डों (सॉवरेन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड द्वारा आकलित) के डिफॉल्ट से हुई हानि से बचाव का बीमा कराने के लिए वार्षिक प्रीमियम लागत लगभग 2.5 प्रतिशत या 250 आधार अंकों तक बढ़ गई जो इसके पिछले स्तरों का चौथाई गुना था।

गोल्डमैन साक्स में अर्जेन्टिना के विश्लेषक अलबर्टो रेमोस ने 7 फरवरी 2010 को यह कहा कि “सरकारी देनदारियों का भुगतान करने के लिए केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधियों का उपयोग करना कोई सकारात्मक गतिविधि नहीं है और आरक्षित निधियों के आधिक्य का विषय तो निश्चित रूप से बहस के लिए खुला है। इससे केंद्रीय बैंक का तुलनपत्र कमजोर हो जाता है और सरकार को गलत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इससे खर्च के तेज विस्तार को नियंत्रित करने का प्रोत्साहन कमजोर होता है और 2010 में राजकोषीय खातों में कुछ समेकन को बढ़ावा मिला”।

इससे भी अधिक क्षति यह हुई कि गवर्नर रेडराडो ने जो चेतावनी दी थी वह जोखिम लगभग सामने आ गया। जनवरी 2010 की शुरुआत में ही थॉमस ग्रेस, न्यूयॉर्क न्यायाधीश ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में अर्जेन्टिना के केंद्रीय बैंक के खाते को बंद कर दिया क्योंकि निवेशकों ने यह दावा किया था कि अब केंद्रीय बैंक स्वायत्त एजेन्सी नहीं रह गया है बल्कि यह देश की कार्यपालिका के अधीन हो गया है।

(उपर्युक्त सारांश आंशिक रूप से अर्जेन्टिना के केंद्रीय बैंक प्रमुख के त्यागपत्र पर आधारित है, ज्यूड वेबर, फाइनेंशियल

टाइम्स, 30 जनवरी 2010, और अर्जेन्टिना: रेडराडो का प्रस्थान बैंक स्वतंत्रता दाव पर, जैसन मिशैल, यूरोमनी, 7 फरवरी 2010)

सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के उपयोग, केंद्रीय बैंक के निकास और बाजार के विद्रोह की जटिल परस्परिक क्रिया आज के मेरे वक्तव्य का केंद्र-बिंदु होगी कि किस प्रकार से सुचारु रूप से चलने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक अर्थात् सरकार की कार्यपालिका से मुक्त स्वतंत्र केंद्रीय बैंक महत्वपूर्ण है। मैं यह भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को दबाने के जोखिम संभाव्य रूप से आफत भरे हो सकते हैं, एक प्रकार का “स्व-लक्ष्य” है क्योंकि इससे पूंजी बाजारों में विश्वास का संकट उत्पन्न हो सकता है जिन बाजारों का उपयोग सरकार (और अर्थव्यवस्था में अन्य) द्वारा वित्त को चलाने के लिए किया जाता है।

देश सफल (या विफल) क्यों होते हैं

इस जटिल परस्पर क्रिया की बात करने से पहले, मैं अधिक सामान्य संदर्भ में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता की बात करना चाहूंगा।

राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के अकादमिक संभाषण में देशों को विकसित करने में सरकारों की जवाबदेही और विधि-विधान द्वारा निर्भाई गई मुख्य भूमिका को मान्यता दी जाती है। फ्रांसिस फुकुयामा (दि ओरीजिन ऑफ पोलिटिकल आर्डर, 2011) ने राज्य और संस्था के पर्याप्त निर्माण के साथ इन दो तत्वों पर विचार किया है क्योंकि लोकतांत्रिक विकास या अन्य शब्दों में स्थिर, शांत, समृद्ध, समावेशी और ईमानदार समाज का सृजन करने के लिए सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं।

डेरोन ऐचेमोग्लू और जेम्स रोबिन्सन (ह्वाइ नेशन्स फेल, 2012) राज्यों की राजनीतिक और आर्थिक सफलता या विफलता को स्पष्ट करने में संस्थाओं की गुणवत्ता के महत्व पर अपने कार्य का सारांश प्रस्तुत करते हैं। जुड़वां देशों वृत्तांत अध्ययन (जैसे कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया) से उदाहरण लेते हुए, यह पुस्तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर को विस्तार से बताती है:

- समावेशी आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में निर्णय-निर्धारण में बहुलता शामिल होती है जो विधि-विधान की गारंटी देता है और प्रतिभा व सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। ऐसी संस्थाओं की मौजूदगी में अर्थव्यवस्था और राजनीति कुछ ऐसे पद्धारियों के समूह की बंधक नहीं बनती है, जहां परिवर्तन से आहत होने की संभावना होती है।

- इसके विपरीत, मालगुजारी वसूलने वाले संस्थान किसी देश के आर्थिक और वित्तीय संसाधनों तक केवल सत्ताधारी कुलीन वर्ग को ही पहुंचने देते हैं, बदलाव और नवोन्मेष को रोकते हैं और कुछ ही समय में इससे ठहराव आ जाता है तथा देश की क्षमता का अपकर्ष होता है।

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस (एनवाईयू स्टर्न) के पुराने सहकर्मियों के साथ चर्चाओं में अर्थव्यवस्थाओं को या तो मूल्य सृजन हेतु प्रोत्साहक और समर्थक के रूप में श्रेणीबद्ध करने का चलन था, जिनमें उद्यमी विश्वास करते थे कि सफलता का मंत्र रूढ़ियों को चुनौती देने से स्थापित होता है, या मालगुजारी वसूलने के रूप में, जहां कारोबारियों को प्रतिगामी सरकारी नीतियों के साथ हाथ मिलाकर काम करने में ही प्रथमतया मुनाफा दिखाई देता है और जो यह सुविधा नहीं ले पाते वे दूर ही रह जाते हैं।

संस्थाओं महत्व के लिए अधिमान्य सिद्धांत और शब्दावली पर ध्यान दिए बिना, यह तो सर्वमान्य है कि एक लोकतंत्र में इनमें अन्य बातों के साथ-साथ संपत्ति के अधिकारों और इनके प्रवर्तन, न्यायप्रणाली और निर्वाचन कार्यालय को शामिल किया जाता है, जो केवल कानूनी तौर पर स्थापित ही नहीं कर दिए जाते हैं, बल्कि इन्हें वस्तुतः स्वतंत्र रूप से परिचालन और प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की अनुमति होती है।

स्वतंत्र केंद्रीय बैंक के तौर पर जो संस्था है वह कुछ कम प्रख्यात है, केवल इसलिए नहीं है कि इस ब्लॉक में केंद्रीय बैंक तुलनात्मक रूप से एक शिशु ही है (अधिकांश मामलों में एक सदी से भी कम पुराना), बल्कि यह आम जनता से भी सीधे-सीधे कम ही जुड़ता है, हालांकि सच में इसका प्रभाव दूरगामी होता है।

सरकार और केंद्रीय बैंक – दो क्षितिजों की कहानी

केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है: यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, पैसा उधार लेने और देने की ब्याज दरें निर्धारित करता है, विनिमय दर सहित बाह्य क्षेत्र का प्रबंधन करता है, वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर बैंकों का पर्यवेक्षण और विनियमन करता है, यह प्रायः क्रेडिट और विदेशी मुद्रा बाजारों को विनियमित करता है तथा घरेलू और बाह्य मोर्चे पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

विश्व भर में, केंद्रीय बैंक को सरकार से अलग संस्था के रूप में स्थापित किया गया है; दूसरे शब्दों में, यह सरकार की

कार्यपालिका का कोई विभाग नहीं है; इसकी शक्तियों को संगत विधान के माध्यम से अलग से प्रतिष्ठापित किया गया है। इसका कार्य कुछ जटिल और तकनीकी है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख पद पर प्रविधि-विशेषज्ञ या इस क्षेत्र के विशेषज्ञ रहते हैं – जो विशिष्ट-या अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, वाणिज्यिक बैंकरों और कभी-कभी निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों में से लिए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है किंतु इन्हें पद हेतु निर्वाचित नहीं किया जाता है। यह संरचना इस थीसिस की स्वीकृति को प्रकट करती है कि केंद्रीय बैंक को अपनी शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए।

केंद्रीय बैंक सरकार से अलग क्यों है? मैं वह बताऊंगा जिसे मैं विशेषरूप से सहज स्पष्टीकरण के रूप में देखता हूँ:

- (1) इस स्पष्टीकरण के पहले भाग का संबंध केंद्रीय बैंक द्वारा निर्णय लेने की तुलना में सरकार के निर्णयों से है।

कई लिहाज से, सरकार के नीति निर्माण का क्षितिज छोटा प्रतीत होता है जैसे कि एक टी-20 मैच (क्रिकेट के उपमान से देखें तो) का होता है। हमेशा किसी न किसी प्रकार के चुनाव – राष्ट्रीय, राज्य, मध्या-वधि, आदि आते रहते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आने को होते हैं, तो पूर्ववर्ती घोषणा-पत्र की बातों को आनन-फानन में पूरा करने की जरूरत होती है, जहां घोषणापत्र की बातों को पूरा नहीं किया जा सकता है, वहां लोक-लुभावने विकल्पों को फौरन अपनाने की जरूरत होती है। वर्तमान परिदृश्य में कम मह-त्वपूर्ण किंतु अभी हाल ही में कुछ यह भी हो गया है कि युद्ध छेड़ना है, उसे वित्तपोषित करना और किसी भी कीमत पर जीतना भी है। सरकारों की इस अदूरदर्शिता या लघु आवधिकता को इतिहास में लुइस XV द्वारा बेहतर ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया जब उसने कहा “Après moi, le deluge” (मेरे बाद जलप्रलय)।²

इसके विपरीत, केंद्रीय बैंक टेस्ट मैच खेलता है, जिसमें वह प्रत्येक सत्र में जीतने का प्रयास करता

है किंतु महत्वपूर्ण बात यह कि वह इसमें बना भी रहता है, ताकि अगला सत्र और इसके बाद के सत्र भी जीतने का मौका मिल सके। विशेषकर, केंद्रीय बैंक सीधे तौर पर राजनीति-जनित समयसीमा के दबावों और भविष्य के लिए अनुमानित उपेक्षा के अधीन नहीं है, कारण कि यह निर्वाचित होने की बजाय नामांकित किया जाता है, केंद्रीय बैंकरों के पास निर्णय-निर्माण का क्षेत्र होता है, जो सरकारों के समय से लंबा होता है, सरकारों के कार्यकाल में चुनावी चक्र और युद्धकाल भी शामिल होते हैं। यद्यपि उन्हें स्पष्ट रूप से अपने नीति-निर्णयों के तत्काल परिणामों भुगतना होता है, जबकि केंद्रीय बैंकर थोड़ा रुकने, विचार करने और यह प्रश्न पूछने में समर्थ होते हैं कि उनके तथा सरकार की नीतियों के दीर्घावधि परिणाम क्या होंगे। वास्तव में, अपने अधिदेश से केंद्रीय बैंक कारोबार और वित्तीय चक्रों में अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और इसलिए वे मध्यावधि से दीर्घावधि की तरफ देखते हैं। हैरानी की बात नहीं कि केंद्रीय बैंक मुश्किल विकल्पों के जरिए विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो यह प्रकट करता है कि अल्प अवधि में होने वाले इजाफे का बलिदान दीर्घा-वधि परिणामों यथा कीमत या वित्तीय स्थायित्व के लिए कर दिया जाए।

- (2) इस स्पष्टीकरण का दूसरा भाग कि केंद्रीय बैंक सरकार से अलग क्यों है, और इसका संबंध इस अवलोकन से है कि केंद्रीय बैंक के मुद्रा सृजन, क्रेडिट सृजन, बाह्य क्षेत्र प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता के लिए प्रबंधन करता है या प्रभावित करता है – और इसमें अर्थव्यवस्था के लिए संभावित फ्रंट-लोडेड लाभ शामिल होते हैं किंतु वित्तीय आधिक्य या अस्थिरता के बैंक-लोडेड लागतों के रूप में “पश्च-जोखिमों” की संभावना भी होती है। उदाहरण के लिए,

- (i) मुद्रा की अधिक आपूर्ति से वित्तीय लेनदेन में सहजता हो सकती है, जिसमें सरकार के घाटे को वित्तपोषित करना भी शामिल है, किंतु इससे अर्थव्यवस्था में यथासमय ओवर हीटिंग हो सकती है और (उच्च) मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ सकते हैं या बड़ा संकट आ सकता है, जिसमें अंततः तेज मौद्रिक संकुचन की जरूरत हो;

² सॉवरेन डेटबाजार की उपस्थिति में सैद्धांतिक विश्लेषण मॉडलिंग सरकार मायोपिया और पॉपुलिज्म (नकद प्रवाह और प्रत्येक अवधि खर्च मात्र अधिकतम); वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीतियों के लिए प्रभाव; और आर्थिक दमन के रूप में सहायक जोखिम और वित्तीय संकट के लिए आचार्य और राजन (2013) देखें।

- (ii) ब्याज दरों को बहुत ज्यादा कम करने और/अथवा बैंकों के लिए पूंजी और चलनिधि अपेक्षाओं में रियायत से क्रेडिट का अधिक सृजन, आस्ति-कीमतों में बढ़ोतरी और अल्पावधि में मजबूत आर्थिक वृद्धि की प्रतीति हो सकती है, किंतु क्रेडिट की अत्यधिक वृद्धि के साथ सामान्यतया उधार देने का काम बढ़ता है और गुणवत्ता वक्र नीचे चला जाता है, जो गलत निवेश को बढ़ाता है, आस्ति-कीमतों में गिरावट लाता है और दीर्घावधि में वित्तीय संकट पैदा करता है;
- (iii) अर्थव्यवस्था में अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह की अनुमति देने से अस्थायी तौर पर सरकार के बढ़ते हुए तुलनपत्र के लिए और अलग चलने वाले निजी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण दबाव सहज हो सकते हैं, किंतु भविष्य में अचानक ही इनके बंद होने या इन प्रवाहों के बहिर्गमन से विनियम दर नीचे गिर सकती है जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्पिल-ओवर हो सकते हैं; और
- (iv) पर्यवेक्षी और विनियामकीय मानकों से समझौता करके बैंक ऋण हानियों को छुपाने से लघु अवधि में वित्तीय स्थिरता का मुखौटा पहना जा सकता है, किंतु यह संभावित रूप से करदाता के लिए बड़े बिल और संभावित आउटपुट में हानि होने के कारण भविष्य में किसी भी समय यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से किसी भी समय ताश के पत्तों की नाजुक गड्डी की तरह बिखर सकती है।

जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, प्रायः स्थायी वृद्धि के लिए अपेक्षित हस्तक्षेप शुरू में राजकोषीय परिव्यय के साथ सरकार द्वारा संरचित सुधार होते हैं; तथापि इनसे लोक-लुभावने व्यय से समझौता करना पड़ सकता है या अप्रिय पदधारी की जरूरत हो सकती है। परिणामस्वरूप, यह सरकार को केंद्रीय बैंक से पूछने/कार्य देने/अधिदेश देने/निदेश देने के लिए सरकार का तीव्र समाधान प्रतीत हो सकता है, जिससे उसकी कार्यनीतियों का अनुसरण किया जाए जो लघुकालिक लाभ उत्पन्न करती हो किंतु प्रभावशाली ढंग से अर्थव्यवस्था में पश्च-जोखिम पैदा करती हैं। अर्थव्यवस्था को ऐसी लघु आवधिकता से संरक्षित करने के लिए केंद्रीय बैंक को सरकार की कार्यकारिणी शाखा से एक सुरक्षित दूरी पर रखना चाहिए।

केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को क्षीण करना

अब, यद्यपित औपचारिक रूप से केंद्रीय बैंक सरकार से अलग संगठित किया जाता है, फिर भी, यदि सरकार चाहे तो वह अपने लघुकालिक लाभों के लिए इसके निर्णय-निर्माण के प्रभावशाली क्षेत्र को विभिन्न व्यवस्थाओं से कम कर सकती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है,

- केंद्रीय बैंक के मुख्य पदों जैसे गवर्नर, और अधिक सामान्य तौर पर वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों की अपेक्षा सरकारी (या सरकार से संबद्ध) अधिकारियों को नियुक्त करना;
- आंशिक विधायी संशोधनों के जरिए केंद्रीय बैंक की सांविधिक शक्तियों को धीरे-धीरे कम करना जो सरकार से केंद्रीय बैंक के पृथक्करण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव डालते हैं;
- नियम आधारित केंद्रीय बैंकिंग नीतियों को रोकना या उनका विरोध करना तथा इसकी बजाय सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से विवेकपूर्ण या संयुक्त निर्णय-निर्माण का पक्ष लेना; और,
- कमजोर सांविधिक शक्तियों के साथ समानांतर विनियामकीय एजेंसियां स्थापित करना और/अथवा अविनियमित (या कम विनियमित) संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना जो केंद्रीय बैंक की परिधि से बाहर वित्तीय मध्यस्थता के कार्य करती हैं।^{3 4}

यदि ऐसे प्रयास सफल हो जाते हैं तो वे अर्थव्यवस्था में नीतिगत अदूरदर्शिता को बढ़ावा देते हैं जिसके कारण समष्टि-आर्थिक स्थिरता की जगह वित्तीय संकट का रूक-रूक कर आगमन होता है।

इसलिए, कई कारण हैं कि क्यों केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को बनाये रखना अर्थव्यवस्था के लिए समावेशी सुधार है तथा

³ संयुक्त राज्य अमेरिका में बंधक और गृह स्वामित्व का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमों (जीएसई) एक सबसे आकर्षक उदाहरण है। जीएसई फेडरल रिजर्व के किसी भी नियामक अधिकार से बाहर हैं, लेकिन लगातार सरकारों द्वारा लोकप्रिय आवासीय नीतियों को आगे बढ़ाने, असंतुलन में महत्वपूर्ण योगदान जो 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट और आनेवाले महामंदी के कारण हुआ में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, के लिए प्रसारित किया गया। (विस्तृत विवरण के लिए देखें, आचार्य, वैन निउवरबर्ग, रिचर्डसन और व्हाइट, 2011)

⁴ केंद्रीय बैंक के पास “शेडो बैंकिंग” के कुछ हिस्सों पर नियामक गुंजाइश है जिसका सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण होने की संभावना है, को सुनिश्चित करने के लिए परिणामी आवश्यकता पर चर्चा के लिए आचार्य (2015) को देखें।

इसके विपरीत इस स्वतंत्रता का दमन करना प्रतिगामी और *एक्सट्रैक्टिव* है:

- i. जब सरकार को प्रायः केंद्रीय बैंक की नीतियों को कमजोर करने और प्रभावशाली ढंग केंद्रीय बैंक को इस प्रकार कमजोर बनाने का प्रयास करते हुए देखा जाता है, तो बैंक और निजी क्षेत्र सामूहिक कल्याण की कीमत पर मूल्य सृजन और वृद्धि में निवेश करने की बजाय उन नीतियों के लिए पक्ष जुटाने में अधिक समय खर्च करते हैं जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त हो।
- ii. जब केंद्रीय बैंक के अभिशासन को क्षीण किया जाता है, तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने या उन्हें बनाए रखने की संभावना नहीं होती, जो स्वतंत्र रूप से बहस करने, स्वतंत्र रूप से सोचने और बदलाव करने की योग्यता को आगे बढ़ाते हैं, केंद्रीय बैंक की शक्तियों को कमजोर बनाने का परिणाम इसकी मानवीय पूंजी को कमजोर बनाना है और आने वाले समय में इसकी क्षमता और विशेषज्ञता में कमी आती है।
- iii. जब वित्तीय मध्यस्थता के महत्वपूर्ण भागों को केंद्रीय बैंक की परिधि से बाहर रखा जाता है तो अच्छे समय में कुछेक निवेशकों के लिए निजी लाभ के साथ “शैडो बैंकिंग” में प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं किंतु ऐसा भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनियंत्रित वित्तीय दुर्बलता के रूप में बड़ी लागतों पर होता है।

परिणामस्वरूप, सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच निर्णय-निर्माण के क्षेत्र में विचलन, जिसपर मैंने प्रकाश डाला है, से किसी प्रकार की परिचालनात्मक बेमेलता को बढ़ावा न मिले जब तक इसे दोनों पार्टियों द्वारा सही ढंग से समझा और स्वीकृत न किया जाए कि केवल इसी विचलन के कारण केंद्रीय बैंक औपचारिक रूप से कार्यकारिणी कार्यालय से अलग है और इसे अपने कार्य स्वतंत्र तरीके से करने हैं। केंद्रीय बैंक निस्संदेह रूप से गलतियां कर सकता है और सामान्य रूप से इसे संसदीय संवीक्षा तथा पारदर्शिता मानदंडों के जरिए सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाता है। इस प्रकार, जनता के प्रति स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्थागत व्यवस्था न केवल इसे संतुलित करती है बल्कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को मजबूत भी बनाती है। तथापि, केंद्रीय बैंक के परिचालनात्मक अधिदेश में सरकार का

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और दखल-अंदाजी इसकी कार्यात्मक स्वायत्तता को नकारती है।

“मौत को गले लगाना” – बाजारों की नाराजगी का सामना करना

सरकार के दूरदर्शी नेता समष्टि-आर्थिक स्थिरता के महत्त्व के बारे में मतदाताओं को समझाकर लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय क्षेत्र के दीर्घकालिक स्वरूप के परिणामों को हासिल करने के लिए निर्णयन प्रक्रिया के संदर्भ में केंद्रीय बैंक स्वायत्तता को कायम रखना और उसे अपने प्रमुख कार्यों को सुचारु ढंग से करने देना। जब सतत आर्थिक समृद्धि के मुख्य तत्व के रूप में स्वतंत्र केंद्रीय बैंक के सुविचारित पहलू को नहीं देखा जाए और/ या सरकार में अदूरदर्शिता हो तो उससे केंद्रीय बैंकिंग के कार्यकलापों और निर्णयन प्रक्रिया में अड़चन पैदा हो जाएगी, जिसके कारण कई अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक समष्टि-आर्थिक प्रबंधन का संबंध है वह स्थिरता हासिल करने और गुमराह करने के बीच रस्साकशी पैदा कर सकता है; दैनिक परिचालनगत निर्णयों से शक्ति का संघर्ष पैदा हो सकता है; तथा, विश्वसनीयता कायम रखने के नाम पर केंद्रीय बैंक पर दबाव डालकर उसे झुकने के लिए मजबूर किए जाने से उसकी स्वतंत्रता बाधित होगी, उसकी स्वतंत्रता को छीनने के प्रयास बढ़ जाएंगे।

इन घटनाओं को बाजार पैनी नजर से देख रहे हैं और यदि अनिश्चितता बढ़ जाए और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता के प्रति विश्वास घट जाए तो बाजार बॉण्ड प्रतिफलों को बढ़ा देंगे और विनिमय दर काफी प्रभावित हो सकती है।

मैं इसे स्पष्ट करता हूँ।

मोटे तौर पर उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आत्मावलंबी नहीं होती हैं; वे अपने निवेश के लिए वित्त प्राप्त करने हेतु पूंजी बाजारों पर निर्भर रहती हैं। यह बात विशेष रूप से सरकारों पर खरी उतरती है, जो कि सॉब्रिन (और अर्ध-सॉब्रिन) कर्ज बाजारों का आकार सापेक्षिक रूप से बढ़ा होने, देशी मुद्रा के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में भी मूल्यवर्गित होने के रूप में परिलक्षित होती है। जिस प्रकार मुद्रास्फीति या वित्तीय अस्थिरता जैसे दीर्घकालिक जोखिम बढ़ते हैं, बाजार उसके अनुरूप सॉब्रिन कर्ज के मूल्य में बदलाव करते हैं और समूचे रूप से वित्तपोषण करना बंद कर देते हैं। इससे विदेशी मुद्रा जैसे अन्य बाजारों और विदेशी निवेशों पर भी तत्काल प्रभाव पड़ता है, साथ ही, अर्थव्यवस्था की बाह्य क्षेत्रगत स्थिरता भी जोखिमग्रस्त हो जाती है।

अतः सरकार और केंद्रीय बैंक (आम तौर पर विनियामक संस्थाएं) के बीच एक तीसरे खिलाड़ी – अर्थात् बाज़ार – की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण फीडबैक व्यवस्था है। बाज़ार सरकार को केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को छीनने से रोककर अनुशासनबद्ध करा सकता है और वह सरकार को इस अत्याचार के लिए कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकता है। मजे की बात है कि बाज़ार केंद्रीय बैंक को उस स्थिति में जवाबदेह और स्वतंत्र रहने के लिए विवश भी करेगा जब वह सरकार के दबाव में आ जाए।⁵

वर्ष 2010 की अर्जेंटिना की घटना, जिसका उल्लेख मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में किया था, के दौरान बाज़ार विद्रोह और अवक्षेप के अलावा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वर्ष में हुए उभरते बाज़ार सॉवरेन बॉण्ड और मुद्रा के मूल्यहास को इस अवधारणा, कि सरकार केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को प्रभावित कर रही है, ने अंजाम दिया, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक की निर्णयन-प्रक्रिया को अपने काबू में लाने की इच्छा समय-समय पर जनता के समक्ष जाहिर करना भी शामिल है। एक ओर बढ़ती मुद्रास्फीति के मद्देनज़र दर में की गई कटौती और बढ़ते राजकोषीय घाटे ने नुकसान पहुंचाया; वहीं दूसरी ओर सरकार जनता के समक्ष ऐसे समय में यह घोषणा कर रही थी ब्याज दर बढ़ाने पर क्या-क्या “खतरे” पैदा हो सकते हैं, जब मुद्रास्फीति दो अंकों पर पहुंच चुकी थी।

वस्तुतः बाज़ार की नापसंदगी उभरते बाज़ारों तक ही सीमित रखने की जरूरत नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी कर-छूट वाली अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सख्ती को लेकर सरकार द्वारा जनता के समक्ष ऐसे समय में, जब मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा बढ़ रहे हों, घबड़ाहट और मायूसी जाहिर किए जाने से निवेशकों के मन में यह विचार पैदा हो गया कि उसकी रिज़र्व मुद्रा की स्थिति को अब कम नहीं आंका जा सकता (अ डिबेट अबाउट सेन्ट्रल-बैंक इंडिपेंडेंस इज़ ओवरड्यू, द इकोनॉमिस्ट, 20 अक्टूबर 2018)।

⁵ माइकल पात्र से एक दिलचस्प सुझाव यह है कि संभवतः अर्थव्यवस्थाओं में न केवल नियम होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से सरकार और केंद्रीय बैंक की भूमिकाओं को चित्रित करते हैं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समान एक विवाद समाधान तंत्र भी होना चाहिए। एक रेफरी की उपस्थिति यह पहचान लेगी कि उद्देश्यों और निर्णय लेने के क्षितिज में अंतर होता है; केंद्रीय बैंक और सरकार कर सकते हैं (अपने सटीक शब्दों को उधार ले सकते हैं) “वहां जाओ, इसे बाहर निकालो, बाहर निकल जाओ, लेकिन आपसी समझ से, चूँकि यहां एक स्पष्ट विजेता होना है जिसका हाथ जूरी द्वारा उठाया जाएगा।”

यूनिवर्सिटी ऑफ कलिफोर्निया, बर्कले में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बैरी आइशेनग्रीन ने बाज़ार की इस आलोचनापरक फीडबैक भूमिका को अपने लेख (2018) में बेहतरीन ढंग से निम्नानुसार कवर किया है :

“कई देशों ने यह उचित समझा है कि मौद्रिक नीति के संबंध में निर्णय लेने का कार्य विशेषज्ञता की दृष्टि से नियुक्त तकनीकों को सौंपा जाए। वे दूरगामी विचार प्रकट कर सकते हैं। वे अल्पकालिक फायदों के लिए मौद्रिक परिस्थितियों में फेरबदल करने के लालच को रोक सकते हैं। इतिहास बताता है कि दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देना आर्थिक कार्यनिष्पादन के लिए सकारात्मक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचित नेताओं को देखा जाता है कि वे सही हैं या गलत।

विचारशील राजनीतिज्ञ इसे भली-भांति समझते हैं। वे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के पक्ष में रहते हैं और केंद्रीय बैंक के निर्णयों को प्रभावित करने के विचार को नामंजूर करते हैं। दुर्भाग्यवश सभी राजनीतिज्ञ विचारशील नहीं होते हैं। कुछ लोगों में दीर्घकालिक लाभों को पाने का धैर्य नहीं होता। कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती जब उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनकी इच्छा के अनुसार झुकते नहीं। कई लोग परंपरागत संस्थाओं और परिपाटियों को सम्मानपूर्वक नहीं देखते, चाहे वह केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता हो या फिर आम तौर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन हो।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे बाज़ारों पर ध्यान देते भी हैं।”

बैरी आइशेनग्रीन ने कुशाग्रता से यह उल्लेख किया है कि यदि सरकार बाज़ारों पर अपना ध्यान देना चाहे तो वह इस बात से सहमत होगी कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता उसका अपना बल है और केंद्रीय बैंक, एक सच्चे मित्र होने के नाते कई अरुचिकर बातें तो कहेगा लेकिन वे सच्चे दिल से कही हुई होती हैं और उसकी बातें सरकार की नीतियों पर दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए होती हैं।

अब मैं यह बताता हूँ कि इन बातों का रिज़र्व बैंक से क्या संबंध है।

दिवंगत दीना खटखटे ने रिज़र्व बैंक का मूल्यांकन निपुणता व विद्वत्तापूर्वक ढंग से प्रस्तुत किया है : *अ स्टडी इन द सेपरेशन एंड अट्रीशन ऑफ पावर्स (2005) । नीचे दी गई चर्चा की मर्दें*

काफी हद तक उनके मूल्यांकन पर आधारित हैं और बाद में उन्हें अद्यतित भी किया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर की गई बेहतरीन चर्चाएं रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नरों, डॉ. सी. रंगराजन (1993) और डॉ. वाई.वी. रेड्डी (2001, 2007) के व्याख्यानों में शामिल हैं। आगे हम यह देखेंगे कि अन्य गवर्नरों और उप गवर्नरों ने भी अपने कार्यकाल में इस चिरकालीन विषयवस्तु पर विचारविमर्श किया है। उनमें से कई लोग ऐसे समय में भी इस बात का निजी रूप से समर्थन करते थे, जब रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता को लेकर कोई कानूनी स्पष्टता नहीं थी, वहीं अन्य लोगों का मानना था कि रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता एक प्रक्रियाधीन मामला है, लंबे अरसे की एक चुनौती है जिसका देश चिरकालीन आधार पर सामना कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता बहाली में सतत प्रगति

रिज़र्व बैंक को हमेशा बहुत सी महत्वपूर्ण शक्तियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1935 एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से प्राप्त होती रही हैं, किंतु मतलब की बात यह है कि व्यवहार में इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाने की वास्तविक स्वतंत्रता कितनी है। रिज़र्व बैंक की परिचालनात्मक स्वतंत्रता की बहाली हेतु केंद्रीय बैंक, बहुत से अर्थशास्त्रियों और अनेक समितियों की रिपोर्टों के आग्रह पर समय-समय पर, उत्तरोत्तर सरकारों ने केंद्रीय बैंक के अधिकारों में बहुत वृद्धि की है। मैं इस क्षेत्र में हुई प्रगति से संबंधित तीन क्षेत्रों की संक्षेप में चर्चा करूंगा।

1. **मौद्रिक नीति:** बहुत से समकालीन केंद्रीय बैंकों की भांति रिज़र्व बैंक भी स्वतंत्रोत्तर सरकार की समाजवादी योजना तैयार करने संबंधी नीतियों के चक्कर में पड़ गया। रिज़र्व बैंक न सिर्फ मुद्रा से संबंधित ब्याज दर निर्धारित करता, बल्कि व्यवहार में यह भिन्न परिपक्वता अवधि वाले ऋणों की दर निर्धारित करने के साथ ही साथ वास्तविक अर्थव्यवस्था को किए जाने वाले क्षेत्रगत ऋण वितरण का कार्य भी करने लगा।

1990 के दशक में ब्याज दर को नियंत्रण-मुक्त किए जाने के बाद, मौद्रिक नीति को अत्याधुनिक आयाम प्राप्त हुए। शुरुआत के तौर पर, ब्याज दरों के निर्धारण के लिए “बहु-सूचकों” वाला एक उपागम आया। मौद्रिक नीति के बहुत से लक्ष्य निर्धारित किए जाने से टिनबर्ग के “एक लक्ष्य, एक लिखत” के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। ऐसा होने से यह समझने या बताने में भी मुश्किल होती है कि किसी दिए गए

समय पर ब्याज दर निर्धारण के माध्यम से किस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि इस उपागम के तहत अक्सर किसी व्यक्ति विशेष, नामतः रिज़र्व बैंक के गवर्नर के स्तर पर बहुत अधिक विनियामकीय विवेक केंद्रित था। ऐसा होने के कारण मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता व्यक्ति-विशेष पर आश्रित हो गई। दूसरे शब्दों में, ऐसा होने पर राजकोषीय विस्तार के समय सरकार द्वारा एक या अन्य रूप में दरें निम्न स्तर पर रखने के संबंध में दबाव डालना आसान था।

वास्तव में यही वह हालात हैं, जहां पर विवेक की तुलना में नियम बेहतर साबित होंगे। ऐसा विशेष रूप से समय-भिन्नता को टालने के लिए, जिसे 1970 के दशक में तथा 1980 के दशक की शुरुआत में नोबल पुरस्कार विजेता फिन कीडलैंड तथा एडवर्ड प्रेस्कॉट के कार्य में भी दर्शाया गया है। कीडलैंड तथा प्रेस्कॉट (1977) का मानना है कि निवेशकों सहित लोग भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं और स्वकेंद्रित सरकारों के बर्ताव का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इसलिए विवेक-सम्मत मौद्रिक नीति में सरकारी दबावों के कारण समझौता करना पड़ सकता है, जो स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को अनियंत्रित छोड़ सकती है, जबकि नियम के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाली मौद्रिक नीति को प्रभावित करना मुश्किल होगा और ऐसी नीति स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रण में रखेगी।⁶

मुद्रास्फीति के द्विअंकीय रहने की कतिपय सांयोगिक घटनाओं के बाद मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी प्रत्याशाओं के विरुद्ध कार्रवाई अंततः सितंबर 2013 में तत्कालीन गवर्नर रघुराम जी. राजन द्वारा शुरू की गई। मौद्रिक नीति ढांचे के पुनरीक्षण और उसे मजबूत बनाने हेतु ऊर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट 2014 में जारी की गई; और अंततः मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन हेतु अगस्त 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया।

एमपीसी में गवर्नर सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के तीन सदस्य और तीन बाहरी सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार करती है। समिति में गवर्नर का मत निर्णायक होता है। एमपीसी को विधायिका द्वारा वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते

⁶ बुड्टर और सिबर्ट (2000) को भी देखें, जिन्होंने, एक प्रभावी मौद्रिक नीति के लिए, केंद्रीय बैंक की मुख्य रूप से परिचालन स्वतंत्रता, अपेक्षित विधिक और संस्थागत व्यवस्था के लिए सैद्धांतिक आधार को प्रदर्शित किया।

हुए मध्यावधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4% के लचीले लक्ष्य को हासिल करने का अधिदेश दिया गया है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और संकल्प के बारे में एमपीसी की जवाबदेही सहित पारदर्शिता लाने हेतु समिति की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं जिसमें समिति के प्रत्येक सदस्य के निर्णय का सारांश दिया जाता है, द्विमासिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट तैयार की जाती है, और तीन निरंतर तिमाहियों में मुद्रास्फीति के लक्षित स्तर में +/- 2% से अधिक का अंतर आने पर सरकार को लिखित रिपोर्ट भेजी जाती है।

एमपीसी, जिसे अस्तित्व में आए अभी दो वर्ष हुए हैं, ने अपने दर-निर्धारित करने संबंधी निणयों के माध्यम से मुद्रास्फीति लक्ष्यों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किये हैं। समिति की निर्णय प्रक्रिया पर आमतौर पर भरोसा किया जाता है और इसका आनुभविक ढंग से दस्तावेजीकरण किया जाता है, ताकि दीर्घावधिक बॉन्ड प्रतिलाभों में कमी किए जाने के साथ ही साथ विनिमय दर को भी स्थिर किए जाने में मदद की जा सके। हालांकि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे के आर्थिक प्रभावों के संबंध में निर्णायक मंडल थोड़े समय के लिए मौन रहेगा किंतु यह निर्विवाद है कि एमपीसी ने मौद्रिक नीति को स्वतंत्र संस्थागत आधार प्रदान किया है। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के इस पहलू को मजबूत बनाने के संबंध में अपेक्षित परिवर्तनों का विधान करते हुए मौद्रिक निर्णय लेने (एमपीसी में बाहरी सदस्यों की नियुक्ति के माध्यम के अलावा) की प्रक्रिया से खुद को दूर रखने की दूरदर्शिता का श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिए।

- (2) **ऋण प्रबंधन:** आजादी के बाद कई दशकों से, सरकार के राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के लघुकालिक खज़ाना बिलों के निर्गम (असाधारण रूप से कम ब्याज दरों पर) में सहभागिता की है। रिजर्व बैंक ने भी सार्वजनिक रूप से माना है कि उसके खुला बाजार परिचालन मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड प्रतिफलों को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसका अभिप्रायः है कि केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र हमेशा से ही कर-प्राप्तियां जैसे संसाधन के रूप में उपलब्ध रहा है-सरकार के अधिक व्यय को मुद्रीकृत करने के लिए तैयार रहा है। इसमें हैरानी नहीं कि मिल्टन फ्रेडमैन और थॉमस सारजेन्ट को प्रसन्न रखने

के लिए भारत में उच्च मुद्रास्फीति डिजाइन की गई अर्थात् यह हमेशा से ही मौद्रिक और राजकोषीय घटनाक्रम रहा है क्योंकि अर्थशास्त्र के इन दोनों नोबल पुरस्कार विजेताओं ने क्रमशः इसका तर्क दिया था (फ्रेडमैन, 1970 और सारजेन्ट, 1982)।

अंततः राजकोषीय अविवेक और सरकार के घाटे के इस प्रकार के स्वचालित मुद्रीकरण से होने वाले मुद्रास्फीतिकारी जोखिमों को देखते हुए, 1994-1997 के दौरान रिजर्व बैंक और सरकार के बीच संयुक्त प्रयासों ने रिजर्व बैंक से निर्धारित उच्चतम सीमा वाले अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) में घाटे के वित्तपोषण को सीमित कर दिया। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 में स्पष्ट रूप से रिजर्व बैंक पर सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भागीदारी करने पर रोक लगाई गई। खुला बाजार परिचालनों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों के घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव को निष्फल किया जा सके और/अथवा अर्थव्यवस्था की टिकाऊ चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, न कि घाटे का वित्तपोषण किया जाए। जबकि पुरानी आदतों में पुनरावर्तन हुआ है, समग्र रूप से इन बदलावों ने राजकोषीय आयोजना तथा अधिक महत्वपूर्ण रूप से सरकार के वित्तपोषण में जटिल सहभागिता करने की बजाय मुख्य रूप से सरकार के ऋण की नीलामी करने और प्रतिभूतियों के बीच इसे स्विच करने तथा पुनर्खरीद आयोजित करने में मदद करने का कार्य रिजर्व बैंक के पास छोड़ दिया है।

इसके अलावा, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के दबावपूर्ण स्तरों, जो बैंक जमाराशियों का बड़ा हिस्सा सरकार को उपलब्ध होना सुनिश्चित करते थे या मौद्रिक विस्तार के माध्यम से मूल्य में कमी किए जाने हेतु तत्काल उपलब्ध होते थे, को अब अधिक युक्तिसंगत बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों के लगभग अनुरूप बना दिया गया है। उदाहरण के लिए, एसएलआर के स्तर में निरंतर कमी की जाती रही है और इसे बासेल III के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के संगत बनाए जाने की योजना है।

(3) **विदेशी मुद्रा विनिमय दर प्रबंध:** आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी मुद्रा विनिमय दर सहित मूल्यों को सतत रहने का अनुमान लगाया गया था, फिर भी चूंकि बाजार मूल्यों और समष्टि-आर्थिक स्थितियों के साथ रुपये के वास्तविक मूल्य में उतार-चढ़ाव आया, स्टर्लिंग धारिताओं पर अनुचित प्रभाव के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रुपये का अंतर्निहित वास्तविक मूल्य भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ, किंतु मौद्रिक नीति और ऋण प्रबंध परिचालनों में यह वास्तव में दिखाई नहीं दिया जो परोक्ष रूप से सरकारी घाटे के बढ़ने में समर्थन दे रहे थे। 'राजकोषीय प्रभाव' के बीच स्थायी विनिमय दर व्यवस्था का परिणाम था कि रिज़र्व बैंक अपरिहार्य विनिमय दर असंतुलन (हालांकि शायद यह इस समय विश्व के अधिकांश भाग में सत्य है) के निर्माण में अनिवार्य रूप से मूक दर्शक बना रहा।

सन 1976 से, जब रुपये का स्तर मुद्राओं के बास्केट के प्रति 'मैनेज्ड फ्लोट' में चला गया और विशेषकर सन 1993 से, विनिमय दर सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए धीरे-धीरे स्थायी दर से बाजार निर्धारित दर में विकसित हो गई। रिज़र्व बैंक अधिक बड़ी गतिविधियों को संभालने के लिए विदेशी पूंजीगत प्रवाहों पर आरक्षित निधि प्रबंधन और समष्टि आर्थिक नियंत्रण लगाता है। ब्याज दर नीति के लिए लचीली मुद्रास्फीति-लक्ष्य निर्धारण अधिदेश के साथ और राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मौद्रिक परिचालनों का उद्देश्य न रहने के साथ ही वांछित विनिमय दर प्रबंधन का कार्य रिज़र्व बैंक के पास है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वर्तमान चुनौतियां

हालांकि, दृढ़ संग्रह के कुछ महत्वपूर्ण घटक कमजोर हुए हैं, परंतु रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता यथावत है। इनमें से कुछ क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता को मजबूत करने के तरीकों के रूप में भारत के 'वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम 2017 (एफएसएपी)' में भी पहचाना गया था, जिसमें से एक एफएसएपी द्वारा भारत

को "भौतिक रूप से गैर-अनुपालित" रूप में मूल्यांकित किया गया था।

(1) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनियमन:** एक महत्वपूर्ण बाधा यह है कि रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विरुद्ध पूर्ण कार्रवाई, जैसे परिसंपत्ति वितरण, प्रबंधन और बोर्ड के प्रतिस्थापन, लाइसेंस निरसन और संकल्प कार्य अर्थात् विलय या बिक्री (निजी बैंकों के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा ये सभी कार्य आसानी से और प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं) करने में संवैधानिक रूप से सीमित दायरे में है। मार्च 2018 में गवर्नर, श्री पटेल के भाषण "बैंकिंग विनियामकीय शक्तियाँ स्वामित्व निरपेक्ष होनी चाहिए" में इस सीमा के महत्वपूर्ण प्रभावों को विस्तार से उजागर किया गया था। जिसमें एफएसएपी की बात को दोहराते हुए (जिम्मेदारियों, उद्देश्यों, अधिकारों, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वों को सारांशित करने में बेसल कोर सिद्धांत, पैरा 39, विस्तृत आकलन रिपोर्ट) कहा गया था कि :

"आरबीआई को वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु दिए गए अधिकारों, विशेष रूप से बोर्ड के सदस्य की बर्खास्तगी, विलय और लाइसेंस निरसन के साथ जब आरबीआई लाइसेंस रद्द करे तो उस हेतु सरकार के समक्ष अपील करने के विकल्प को भी हटाने हेतु, को पीएसबी पर लागू करने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि सांविधिक परिवर्तन कठिन हैं, तो आरबीआई और सरकार को एक ढांचागत समझौते को अपनाने पर विचार करना चाहिए जिसमें सरकार आरबीआई के पूर्ण परिचालन प्राधिकरण और पर्यवेक्षण और विनियमन में स्वतंत्रता को स्वीकार करेगी, जैसा कि उन्होंने हाल ही में मौद्रिक नीति के लिए किया था।"

(2) **रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र की मजबूती:** केंद्रीय बैंक परिचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान को वहन करने के लिए पर्याप्त रिज़र्व होने और लाभ आवंटित करने के लिए उचित नियम (पूंजी और

भंडार के संचय को नियंत्रित करने वाले नियमों (सहित) को सरकार की ओर से, (उदाहरण के लिए, मोजर-बोहेम, 2006) देखें, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस विषय पर रिजर्व बैंक का सरकार के साथ चल रहा एक जटिल मामला (कोजेनसीस, 2018, “सरकार द्वारा आरबीआई के 3.6 ट्रिलियन रुपये को अतिरिक्त पूंजी के रूप में पहचानना एवं उसे अधिशेष के रूप में मांगना) रिजर्व बैंक से अधिशेष को सरकार को अंतरित करने से संबंधित नियम है जो मेरी प्रारंभिक टिप्पणियों में उल्लेखित अग्रणी अर्जेंटीना उदाहरण के बहुत करीब है। रिजर्व बैंक पर हाल के अपने लेख, शीर्षक आरबीआई के तुलन-पत्र की रक्षा, की तीसरी शृंखला में राकेश मोहन (2018) ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि क्यों एक केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए एक मजबूत बैलेंस शीट की आवश्यकता है। मैं उनकी मुख्य बातों का उल्लेख निम्नानुसार करता हूँ :

“सर्वप्रथम, ... यदि सरकार ने व्यय को वित्त पोषित करने के लिए आज नई प्रतिभूतियां जारी की तो उसके दीर्घकालिक राजकोषीय परिणाम समान होंगे। [आर] आरबीआई की पूंजी सरकार के लिए लंबी अवधि हेतु निवल आधार पर किसी नए राजस्व का निर्माण नहीं करेगी बल्कि यह केवल अल्प अवधि हेतु मुक्त निधि के रूप में भ्रम का सृजन करेगी।”

“दूसरा, ... ऐसे अंतरण का उपयोग, राजकोषीय विवेक पर सरकार के इरादों में जो भी आत्मविश्वास मौजूद है, उसे कम कर देगा।”

“तीसरा, ... सैद्धांतिक रूप में, एक केंद्रीय बैंक शून्य से नीचे के स्तर सहित पूंजी स्तर की एक विस्तृत शृंखला के साथ उचित मौद्रिक नीति लागू कर सकता है। व्यावहारिक रूप से, खतरा यह है कि यह वित्तीय बाजारों और जनता के मध्य विश्वसनीयता को खो सकता है, और उसके बाद अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता है यदि इसमें पर्याप्त नुकसान होता है तथा अपर्याप्त पूंजी के रूप में देखा जाता है।

संभावित केंद्रीय बैंक घाटे के संबंध में भय भ्रामक है? अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अनुसार, 108 केंद्रीय बैंकों में से 43 ने 1984 और 2005 के बीच कम से कम एक वर्ष के लिए घाटे की सूचना दी है।

कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया है कि जब भी आवश्यक हो तो सरकार हमेशा केंद्रीय बैंक को पुनर्पूँजीकरण कर सकती है। यह सैद्धांतिक रूप में निश्चित तौर पर सही है परंतु जब सरकार स्वयं राजकोषीय दबाव से घिरी हो और अपेक्षाकृत उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात में उलझी हो, जैसा कि भारत के मामले में है, तो यह व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। यह भी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का क्षरण वास्तविकता में और संभवतः, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, दूर-दृष्टिपरक नहीं है। ...

एक बार फिर, बेहतर भावना परिलक्षित हुई है और सरकार ने आरबीआई के बैलेंस शीट पर धावा नहीं किया है।”

- (3) **विनियामक दायरा:** अंतिम मुद्दों में से एक मुद्दा ‘विनियामक दायरा’ भी है, अभी हाल ही में एक अलग भुगतान विनियामक की स्थापना करके भुगतान और निपटान प्रणाली पर केंद्रीय बैंक की शक्तियों को बाईपास करने की सिफारिश (जिसे राकेश मोहन द्वारा उनकी शृंखला में भी कवर किया गया है, आईबीआईडी), संबंधी मामला है। रिजर्व बैंक ने इस सिफारिश के विरुद्ध अपनी असहमति व्यक्त करते हुए 19 अक्टूबर 2018 को एक नोट प्रकाशित किया है।

निष्कर्ष

मैं आगे की निहित संभावनाओं के साथ कृतज्ञता और समर्पण के साथ अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

श्री मालेगाम भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड सदस्य होने के साथ-साथ लंबे समय से इसके सलाहकार, मित्र और शुभचिंतक रहे हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी विद्वता, सोच में स्पष्टता और बुद्धिमता के लिए सराहना करता हूँ। श्रीमान मालेगाम, मैं आपको इस साल के लिए ए डी श्रॉफ स्मारक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

स्वर्गीय अर्दशीर दरबशा श्राफ ने युद्ध के बाद 1944 में वित्तीय और मौद्रिक व्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र “ब्रेटन वुड्स सम्मेलन” में भारत के गैर-अधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं दीं। उनकी प्राथमिक चिंताओं में से एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड में स्थायी जगह तलाशना था, जो दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो सका था। मेरे लिए, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1954 में उनके द्वारा फ्री फोरम एंटरप्राइज थिंकटैंक का सह-संस्थापन था, जिसने खुले संवाद के माध्यम से समाजवादी प्रवृत्तियों के प्रति एक प्रति विमर्श प्रस्तुत किया जो कि स्वातंत्रोत्तर युग की सरकार के बाद देश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। सुचेता दलाल की जीवनी, ए डी श्राफ – टाइम ऑफ फाइनेंस एंड फ्री एंटरप्राइज (2000), यह उल्लेख करता है कि विश्व बैंक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक जॉर्जवुड्स ने उनसे कहा था :

“कोई भी अपने विचारों को छिपाने के ए डी श्राफ पर आरोप नहीं लगा सकता था और उनके जीवन के बाद के वर्षों में, शायद ही कभी उन विचारों को भारत में कभी फेंशनेबल माना जाता था। फिर भी कुछ देशभक्तों ने भारतीय राष्ट्र के लिए मित्र बनाने और उस देश में उन लोगों के बीच विश्वास पैदा किया जिनका कार्य दुनिया भर में अच्छे निवेश के अवसरों के लिए पूंजी प्रदान करना है।”

पूरी विनम्रता के साथ “अपने देश के कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश करने के एकमात्र उद्देश्य से कार्य करने” के मन्तव्य के साथ ए डी श्राफ की नीतियों की आलोचना करने की आजादी (रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ को लिखे गए पत्र से), का अनुकरण करने के लिए मैंने आज का अवसर चुना जो विनियामक संस्थाओं, विशेष रूप से, एक केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के महत्त्व के बारे में है, जो राज्य की अति-आग्रही पहुंच से स्वतंत्र होने के विषय में है। यह विषय निश्चित रूप से अत्यधिक संवेदनशील विषयों में से एक है, लेकिन मेरा मानना है कि यह हमारे आर्थिक परिप्रेक्ष्य के लिए भी और अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि स्वतंत्र आर्थिक संवाद और नीति नियमन की उनकी अमर विरासत के साथ मैंने कुछ न्याय किया है।

इस प्रक्रिया में, मैंने आपको यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि हमने रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता अर्जित करने में अच्छी प्रगति की है, विशेष रूप से मौद्रिक नीति ढांचे में (परिवर्तन, जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और वस्तु एवं सेवाकर को ग्यारह महीने पहले की भारत की संप्रभु रेटिंग को अपग्रेड करने में मूडी द्वारा महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों के रूप में, माना गया था)। अधिक वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित

करने के लिए, इन प्रयासों को रिज़र्व बैंक के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इसके तुलन-पत्र की सुदृढ़ता और इसके नियामक दायरे पर नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों में प्रभावी स्वतंत्रता के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए एक वास्तविक समावेशी सुधार होगा। सौभाग्य से यह केवल सही विकल्प निर्मित करने का मामला है, जिसे मैं मानता हूँ, कि एक समाज के रूप में हम पर्याप्त रूप से विचारशील “क्या-होगा यदि “ के विश्लेषण के साथ कर सकते हैं; मैंने केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता को क्षीण करने से देशों के बहुत बड़े जोखिम के परिदृश्यका खांका खींचा है, जिसे वर्तमान में विश्व के अनेक देशों द्वारा देखा जा रहा है।

अपनी उत्कृष्ट जीवनी में, वोल्कर: द ट्राइम्फ ऑफ पर्सिस्टेंस (2012), में मेरे पूर्व एनवाई यूस्टर्न सहयोगी, बिलसिल्वर ने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से 1980 के दशक में तत्कालीन फेडरल रिज़र्व के गवर्नर पॉलवोल्कर ने मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए एक कठोर दृष्टिकोण अपनाया। दरों को कम रखने के लिए किसी भी और सभी दबावों प्रतिरोध करने के अतिरिक्त, जिससे राष्ट्रपति रीगन के विस्तारकारी घाटे-आधारित घोषणापत्र के अल्पावधि में –सस्ते वित्तपोषण को प्रभावी ढंग से अनुमति दे सकता था, वोल्कर ने राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलकर उच्च राजकोषीय घाटे को चलाने के खतरे को व्यक्त किया और ठीक उसके बाद यह सिर्फ दो अंकों की मुद्रास्फीति में तबदील हो गई थी। अंत में, वोल्कर ने दिन अपने नाम किया क्योंकि बुद्धिमता से युक्त परामर्श की जीत हुई, घाटे में सुधार हुआ, और मुद्रास्फीति और भी कम हो गई। मैं तर्क दूंगा कि मुद्रास्फीति पर वोल्कर के कठिन रुख और सरकार की राजकोषीय योजनाओं के जोखिम पर स्पष्टवादिता से, फेडरल रिज़र्व की संस्था वास्तव में राष्ट्रपति रीगन के सच्चे दोस्त के रूप में हो गई।

आज, विश्व के कई हिस्सों में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के लिए सरकार के अधिक सम्मान की प्रतीक्षा हो रही है, स्वतंत्र केंद्रीय बैंक अडिग रहेंगे। सरकारें जो केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करती हैं, को अंततः वित्तीय बाजारों के नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, आर्थिक अग्नि जलेगी और उन्हें अफसोस होगा जिस दिन महत्वपूर्ण विनियामकीय संस्था को दबाया जाएगा, उनके बुद्धिमान प्रतिपक्ष जो केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में निवेश करते हैं, उधार की कम कीमतों, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के प्यार और लंबे जीवनकाल का आनन्द लेंगे।

आज दुनिया के कई हिस्सों में केंद्रीय बैंक आजादी के लिए सरकार द्वारा अधिक सम्मान दिए जाने की अपेक्षा में हैं, और इस

समय स्वतंत्र केंद्रीय बैंकों को अडिग रहना होगा। सरकारें जो केंद्रीय बैंक की आजादी का सम्मान नहीं करती हैं, उन्हें जल्द ही या बाद में

संदर्भ

एसे मोग्लू, डेरॉन और जेम्स रॉबिन्सन (2012) वाय नेशन्स फेल: द अरिजीन ऑफ पॉवर, प्रोस्पेक्टि एण्ड पॉवर्टी, क्रॉउन बिजनेस।

आचार्य, विरल वी. (2015) फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द ब्राडर मेंडेंट फॉर सेंट्रल बैंक: ए पोलिटिकल इकॉनामी पर्सपेक्टिव, वर्किंग पेपर #11, हचिन्स सेंटर ऑन फिस्कल एण्ड मोनेटरी पोलिसी ऐट ब्रुकिंग्स।

आचार्य, विरल वी., स्टिजन वैननिउवरबर्ग, मैथ्यू रिचर्डसन और लॉरेंस व्हाइट (2011) गारंटीड टू फेल: फेनी मै, फ्रेडी मैक एण्ड द डे बैकल ऑफ मॉर्टगेज फाइनेंस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

आचार्य, विरल वी. और रघुराम जी. राजन (2013) सॉवरेनडेट, गवर्मेंट मायोपिया एण्ड द फाइनेंशियल सेक्टर, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, 26(6), 1526-1560.

बुड्टर, विलेम और ऐनीसीसिबर्ट (2000) ट्रागेट, इस्टुमेंट एण्ड इंस्टिट्यूशनल एरेंजमेंट फॉर एन इफेक्टिव मोनेटरी पोलिसी, संवथनीति, संवथएल.के. झा मेमोरियल लेक्चर, डिलिवर्ड बाय विलेम बुड्टर ऐटद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 16 अक्टूबर 2000।

कोजेनिस (2018) गवर्मेंट पेग्स आरबीआई एक्सेस केपिटल ऐट 3.6 ट्रिलियन रूपी, सीक्स इट एज सरपल्स, 3 अगस्त 2018।

दलाल, सुचेता (2000) ए. डी. श्राफ – टाइटन ऑफ फाइनेंस एंड फ्री एंटरप्राइज, पेंगुइन बुक्स इंडिया।

ईशेंग्रीन, बैरी (2018) इनवेस्टर हेव द पॉवर टु टेम एडॉगन एण्ड ट्रम्प: पोलिटिशियन शुड थिंक केयर फुली बिफॉर सीकिंग टु इनफ्लुएंस सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल टाइम्स, 19 अगस्त 2018।

फ्राइडमैन, मिल्टन (1970) द काउंटर-रिव्यूलेशन इन मोनेटरी थ्योरी, फर्स्ट विनकॉट मेमोरियल लेक्चर, ट्रांसएटलांटिक आर्ट्स।

फुकुआमा, फ्रांसिस (2011) द ऑरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर: फ्रॉम प्री-ह्यूमन टाइम्स टू द फ्रेंच रिव्यूलेशन, फरार, स्ट्रॉस और गिरौक्स।

खटखटे, दीना (2005) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: ए स्टडी इन द सेपेरेशन एण्ड ऐट्रीशन ऑफ पॉवर, इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया: परफारमेंस एण्ड डिजाइन, एडिटेड बाय देवेश कपूर एण्ड प्रताप भानू

क्याडलेंड, फिनई. एण्ड एडवर्डसी. प्रेस्कॉट (1977) रूल्स रॉदर देन डिसक्रिप्शन : द इनकंसेस्टेंसी ऑफ ऑप्टीमल प्लान्स, जनरल ऑफ पोलिटिकल इकॉनामी, 85 (3), 473-492।

मोहन, राकेश (2018) प्रिजर्विंग द इनडिपेन्डेंस ऑफ दि आरबीआई (अक्टूबर 3, 2018); रिस्पांसबिलिटी फुलफिल्ड (अक्टूबर 4, 2018); प्रोटेक्ट दि आरबीआई बैलेस-शीट (अक्टूबर 5, 2018), बिजनेस स्टैंडर्ड।

मोसर-बोहेम, पॉल. (2006) द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एण्ड द गवर्मेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट।

पटेल, उर्जित आर. (2018) बैंकिंग रेग्युलेटरी पॉवर शुड बी ऑनरसिप न्युट्रल, इनेग्रुएल लेक्चर – सेंटर फॉर लॉ एण्ड इकॉनामिक्स; सेंटर फॉर बैंकिंग एण्ड फाइनेंशियल लॉज, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी।

रंगराजन, सी. (1993) ऑटोनामी ऑफ सेंट्रल बैंक्स, टेंथ एम.जी. कुट्टी मेमोरियल लेक्चर एट कलकत्ता, 17 सितंबर, 1993

रेड्डी, वाय. वी. (2001) ऑटोनामी ऑफ सेंट्रल बैंक: चेंजिंग कंटूर्स इन इंडिया, स्पीच डिलिवर्ड ऐट इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर।

रेड्डी, वाय. वी. (2007) इवाल्विंग रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: रिसेंट डेवलेपमेंट्स, स्पीच डिलिवर्ड ऑन द फाउंडेशन डे आफ द इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज, जयपुर, जून 30, 2007

सर्जेंट, थॉमस जे. (1982) द एंड्स ऑफ फोर बिग इंप्लेशंस, इन रॉबर्ट ई. हॉल, एड., इन्फ्लेशन: कॉज़ एंड इफेक्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।

सिलबर, विलियम (2012) वोल्कर: द ट्राइम्फ ऑफ पर्सिस्टेंस, ब्लूमसबरी।

क्रेडिट जोखिम और बैंक पूंजी विनियमन पर मेरे विचार*

एन.एस. विश्वनाथन

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे देश की प्रमुख प्रबंधन संस्थाओं की श्रेणी में आने वाली एक संस्था में आमंत्रित किया गया है और खास बात यह है कि मुझे होनहार युवा समूह और महत्वाकांक्षी भावी लीडरों से रूबरू होने का सुअवसर मिला है। आप सभी लोग देश के आर्थिक इतिहास के ऐसे मोड़ पर नौकरी जगत में पदार्पण करने वाले हैं जो कि काफी दिलचस्प है। हम ऐसे दौर में मिल रहे हैं जब आर्थिक सुधार के मोर्चे में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से दो पर प्रकाश डालना चाहता हूँ – दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 और दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित ढांचा विषय पर 12 फरवरी 2018 का रिजर्व बैंक का परिपत्र। मैं उक्त कदमों के प्रति विनियामक का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा तथा कतिपय गलतफहमियों को दूर करने के साथ ही आम तौर पर बैंकिंग उद्योग पर विचारविमर्श करूंगा। इस पृष्ठभूमि में मैं बैंकों से संबंधित विवेकपूर्ण पूंजी, विशेष रूप से क्रेडिट जोखिम के संदर्भ में, की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा।

आइए कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे। बैंक एक मध्यस्थता चैनल स्थापित करते हुए अर्थव्यवस्था में चलनिधि-बहुल घटकों के साथ-साथ चलनिधि-न्यून घटकों को एक साथ लाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश के प्रति बचत का प्रवाह होने में मदद मिलती है। विनियामक द्वारा दिए गए बैंकिंग लाइसेंस से ये संस्थाएं मांग जमाराशियों के रूप में जनता से असंपार्श्विकीकृत निधि जुटाती हैं। मुख्य रूप से इन्हीं जमाराशियों से बैंक उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं। अतः बैंकों के पास ऐसा कोई बड़ा संदूक है, जैसा कि अंकल स्कूज के पास था, जिसमें वे अपने पैसा दबाकर रखे हुए हों और उन पैसों को ऋण के रूप में देते हों, बल्कि वे ऋण देने के लिए उन पैसों का उपयोग करते हैं जो उन्होंने जमाराशियों के माध्यम से जुटाए हों।

* श्री एन.एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर द्वारा 29 अक्टूबर 2018 को एक्सएलआरआई, जमशेदपुर में दिया गया भाषण।

क्या हमें बैंकों की आवश्यकता है?

उक्त चर्चा से यह बात तुरंत आसानी से समझ में नहीं आती कि हमें मध्यस्थता करने के लिए बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है – क्यों बचतकर्ता सीधे ही उधारकर्ताओं को ऋण नहीं दे पाते, और हमें क्यों मध्यस्थता इन्फ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इसका जवाब यह है कि ऐसे संबंधों में रहने वाली सूचना की असमानताओं के कारण प्रत्येक बचतकर्ता द्वारा उधारकर्ताओं पर सीधे तौर पर निगरानी रखना किफायती और असरदार नहीं होता है। जहां तक उधारकर्ता की चुकौती क्षमता का सवाल है अधिकतर मामलों में उधारकर्ता अपनी चुकौती क्षमता की जानकारी ऋणदाता की तुलना में अधिक रखता है। परियोजना मूल्यांकन और जोखिम निगरानी में विशेषज्ञतापूर्ण कौशल रखने के कारण बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ता की चूक पर नियंत्रण रखें और इस प्रकार वे अर्थव्यवस्था में डेलिगेटेड मॉनिटर (डाइमंड, 1984) की ऐसी उपयोगी भूमिका अदा करें, जिससे एजेंटों द्वारा की जाने वाली सीधी निगरानी में लगने वाली लागत से काफी कम लागत आए।

डेलिगेटेड मॉनिटरों की यह भूमिका बैंकों द्वारा ऋण संविदा में एक उपयुक्त प्रसंविदा जोड़कर कूटबद्ध की जाती है। इस प्रथा के दो पहलू होते हैं – अच्छी तरह से तैयार की गई प्रसंविदाओं से बैंकों के अधिकारों को उस स्थिति में सुरक्षा मिलती है जब उधारकर्ता की चाल आशा के अनुरूप नहीं रहती हो, तथा आशा के अनुरूप उधारकर्ता की चाल नहीं रहने के मामले में प्रसंविदाओं को सही मायने में लागू की जा सके। अच्छी तरह से तैयार की गई प्रसंविदा सामान्य रूप से चूक की दृष्टि से हतोत्साहकारी होनी चाहिए, जिससे उधारकर्ता को इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि ऋण संविदा का उल्लंघन करने पर उसे विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी संविदा, जिसे ऋणदाता द्वारा तैयार की जाती है, प्रभावी मूल्यांकन व निगरानी प्रणाली का परिणाम होती है। ऐसे मूल्यांकन से इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ऋणदाता उधारकर्ता को ऋण देकर कितना जोखिम उठा रहा है। इसमें उस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी हासिल करना भी शामिल है, जिसे ऋण दिया गया है, और जिसके अंतर्गत उन बातों और विभिन्न जोखिमों का पता लगाना भी शामिल है जिनके कारण वित्त प्राप्त कर रहे उद्यमों के प्रति होने वाला अनुमानित नकदी प्रवाह बाधित हो सकता है। एक अच्छी ऋण-संविदा में इन बातों के साथ ही अन्य कई सारी बातें शामिल की जाती हैं, ताकि वह इस बात के संदर्भ में बैंक के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम आए कि ऋण की प्रचलन-अवधि में वह किस प्रकार कदम उठा सके।

लेकिन, यदि प्रसंविदाओं का उल्लंघन किए जाने पर बैंकों द्वारा की जाने वाली निगरानी या की गई कार्रवाई अपर्याप्त पाई

जाती है तो ऐसी स्थिति में निवारक उपाय कमजोर पड़ने लगते हैं और प्रसंविदाओं का ज्यादा उल्लंघन होने लगता है। बैंकों को ऋण के निगरानीकर्ता के रूप में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभानी होगी। इससे अन्य कार्रवाई करने वाले बाध्य होंगे कि वे भी अपनी भूमिकाएं ईमानदारी से निभाएं। उदाहरण के लिए, यदि बैंक किसी उधारकर्ता के बारे में ढिलाई इसलिए बरतते हैं क्योंकि उधारकर्ता को अपने ग्राहक से दावा राशि विलंब से प्राप्त हुई थी, तो ऐसा करने से ग्राहक के स्तर पर होने वाला विलंब कभी दूर नहीं किया जा सकेगा, और सच तो यह है कि यह विलंब एक प्रकार का वसूल बनता जाएगा। जब बैंक निगरानी करने की अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे तो उधारकर्ता विवश होगा कि वह दावे की राशि समय पर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कहेगा। बैंकों को अपने उधारकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के लिए प्राथमिक रूप से आघात उठाने वाले के रूप में कार्य नहीं करना है क्योंकि बैंकों के पास यह सहूलियत नहीं है कि वे अपने जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान करने में विलंब करें। हालांकि बैंक हालात को देखते हुए ऋण की शर्तों के बारे में पुनः बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे उचित कारण होना चाहिए और बैंक को ऐसा किए जाने पर उससे होने वाले जोखिम से अवगत रहना होगा। ऋण की शर्तों के बारे में पुनः बातचीत अपवाद की स्थिति में ही की जानी चाहिए न कि नियम के तौर पर, क्योंकि ऐसा करने से कई बार जमाराशि की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, बैंक द्वारा आगे और ऋण दिए जाने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है तथा मध्यस्थता करने वाली संस्था के रूप में उसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है।

इस प्रकार, अगली बार हम बैंक द्वारा उधारकर्ताओं से ऋण की वसूली के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में सुनते हैं, यहां हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जमाकर्ताओं की धनराशि को वापस प्राप्त करने की कोशिश करना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित ढांचे का प्रमुख उद्देश्य शक्तिसंतुलन ऋणदाता के पक्ष में बनाना है। हमारे देश में लंबे समय से शक्तिसंतुलन विशेष रूप से बड़े देनदारों के पक्ष में था।

देनदार बनाम लेनदार: भूमिका में परिवर्तन

बदलते देनदार-लेनदार समीकरण यथास्थिति को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसके प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहले से देनदार के प्रति जो अनुकूल माहौल मौजूद है, उसने चूक करने वाले देनदारों के लिए ऋण के स्थगन तथा इसे कम करने संबंधी दबाव डालने को संभव बना दिया था, साथ ही वे उधारकर्ता इकाइयों पर प्रबंधन नियंत्रण बनाए रखे थे

अथवा क्रमवार मुकदमों में उलझा देने से बैंकों को अपने बकाया की प्राप्ति के प्रयासों से विफल कर दिया गया था। न्यायालय के बाहर के पुनर्रचित तंत्र की विफलता का प्रतिशत भी उच्च रहा जिसके परिणामस्वरूप उधारलेने वाली संस्थाओं का बार-बार चूक करना जारी रहा क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि शक्ति संतुलन उनके साथ रहा है तथा अविश्वसनीय उधारकर्ता को अनुशासित करने में बैंकों की क्षमता कमजोर¹ रही है।

देनदार-अनुकूल माहौल का बैंकों की कारोबारी प्राथमिकताओं पर असर रहा, जबकि बैंकिंग प्रणाली में निरंतर बढ़ती हुई दबावग्रस्त आस्तियों का भी आंशिक योगदान रहा है। इससे वे व्यक्ति और संस्थाएं जिन्हें ऋण की आवश्यकता थी वे भी उधार देने की बैंकों की क्षमता तथा/अथवा इच्छा से परेशान रहे। दिवालियापन कानून सुधार समिति (2015) ने यह बात पायी है और जिसे मैंने यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ :

“जब लेनदारों को यह पता होता है कि उनके पास कमजोर अधिकार हैं जिसके परिणामस्वरूप वसूली की दर कम है तो वे उधार देने के पक्ष में नहीं होते हैं। इसलिए, भारत में उधार कुछ बड़ी कंपनियों तक ही केन्द्रित है जिनकी विफलता की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा, प्रमुख रूप से सुरक्षित क्रेडिट का वर्चस्व होता है क्योंकि केवल इस मामले में लेनदारों के अधिकार आंशिक रूप से मौजूद हैं। उधार देने वालों का सुरक्षित ऋण देने पर जोर रहता है। इस मामले में, क्रेडिट विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान है: इसे केवल संपार्श्विक के बाजार मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, एक फर्म की कारोबार संभावनाओं के एक परिष्कृत विश्लेषण के रूप में क्रेडिट विश्लेषण कम हुआ है।”

भारत में, आईबीसी के अधिनियमन से पहले बैंकिंग विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक को समाधान तंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करनी पड़ी जिसने साहित्य में पहचाने गए दिवालियापन कानून की वांछित विशेषताओं का अनुकरण करने का प्रयास किया। हालांकि, देश में दिवालियापन कानून की गैर-मौजूदगी में दबावग्रस्त ऋणों की उन योजनाओं का सार्थक समाधान नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के अंकित मूल्यों तथा इन ऋणों के अंतर्निहित आर्थिक मूल्य के बीच प्रमुख विसंगतियाँ पैदा हुईं। इस संदर्भ में आईबीसी का अधिनियमन एक ऐतिहासिक घटना है जिसने देश में दिवालियापन के शासन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को पूरी तरह बदल दिया

¹ अकादमिक अध्ययन (चांग, टॉम, और एंटोनेट शॉयर, 2016) यह दर्शाते हैं कि दिवालियापन प्रक्रिया में प्रो-क्रेडिटर पूर्वाग्रहों की तुलना में प्रो-डेब्ट पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप संकटग्रस्त फर्मों के सतत पुनरुद्धार में सफलता दर कम होती है।

है। आईबीसी के अधिनियमन ने रिजर्व बैंक को भी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित ढांचे के साथ आने में सक्षम बनाया है। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए इन कदमों को चूककर्ता उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न न्यायिक मंचों में चुनौती दी जा रही है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्नोवेटिव इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड (2017) के मामले में यह पाया कि:

“.....हमने सोचा कि इस संबंध में एक विस्तृत निर्णय देने की आवश्यकता है ताकि सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण कानून में एक मूलभूत परिवर्तन ला सकें। यदि आरोपित प्रबंधन अपने ऋण की चुकौती नहीं कर सकते हैं तो उन्हें प्रबंधन में बनाए रखने की अनुमति नहीं है।”

जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है, देश की न्यायिक प्रणाली ने कानून में मूलभूत बदलाव को समावेश किया है तथा कमजोर मुकदमों के साथ दिवालियापन व्यवस्था में बाधाएँ डालने के लिए चूककर्ता देनदारों के प्रयासों को अभी तक सफलता नहीं मिली है।

इस संदर्भ में, इसे मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है कि जब एक उधारकर्ता प्रतिभूति प्रवर्तन के साथ अपनी ऋण चुकौती में चूक करता है तो बैंक उनके लिए मौजूद कानूनी उपायों का सहारा लेते हैं तथा वे चूककर्ता उधारकर्ताओं से जमाकर्ताओं की धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक रूप से कोशिश कर रहे होते हैं चाहे चूक का कारण कुछ भी रहा हो। हालांकि, चूक करने वाले उधारकर्ता बैंक की इस कार्रवाई को एक ‘दयनीय उधारकर्ता’ की संपत्ति पर कब्जा करने वाले एक ‘निर्दयी बड़े बैंक’ के रूप में चित्रित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण का बड़े निगमों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ, एक निजी साहूकार जो लाभ कमाने के लिए अपनी धनराशि को उधार देता है तथा एक बैंक जो बड़ी मात्रा में जमाकर्ताओं की धनराशि (और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में करदाताओं की धनराशि) का उपयोग करता है, के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। स्थिति का सही चित्रण सार्वजनिक हित (अर्थात् जमाकर्ताओं+करदाताओं) बनाम उधारकर्ताओं का हित होगा।

वास्तविक “चूककर्ता” के प्रति भ्रांति

एक तर्क हम जो प्रायः सुनते हैं वह यह है कि चूक होने के कई कारण हैं, और चूक होने के विभिन्न कारणों के आधार

पर विनियमों के अनुसार अलग-अलग उनका बर्ताव किया जाना चाहिए। इस विचार के समर्थकों का यह तर्क है कि जहाँ उधारकर्ता अपने नियंत्रण से परे बाहरी कारणों से प्रभावित हैं उन्हें ‘वास्तविक’ चूककर्ता माना जाना चाहिए और विवेकपूर्ण मानदंड में रियायत दी जानी चाहिए। यह एक भ्रांति है, वस्तुतः उधार देने के कारोबार में कुछ चूक होना अवश्यभावी है, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ दो मुद्दे हैं: निर्धारण और समाधान। चूक का निर्धारण अथवा आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट के लिए लेखांकन की मान्यता ऐसे चूक अथवा गिरावट इस प्रकार के कारणों या कमी होने से स्वतंत्र होना चाहिए। जबकि, यह समाधान की योजना ही है जो उधारकर्ता के अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता और उसकी इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जहाँ उधारकर्ता अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण के परे भुगतान करने में सक्षम नहीं है, अदालतों के बाहर अथवा दिवालियापन के ढांचे के अंतर्गत त्वरित और प्रभावी कर्ज की पुनर्रचना करनी चाहिए। इरादतन अथवा रणनीति तरीके अपनाने वाले चूककर्ताओं के मामले में अर्थात् उधारकर्ताओं में क्षमता होने के उपरांत अपने कर्ज के भुगतान की इच्छा न होना, स्वामित्व में परिवर्तन के साथ चूक प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना ही एक मात्र उपाय है। अंततः, यदि कारोबार पुनरुज्जीवन से परे है, तो तत्परता से किए गए परिसमापन से लाभकारी उपयोग के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण में सहायता मिलेगी। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की इस संशोधित संरचना को अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण को निम्नलिखित मैट्रिक्स दर्शाता है:

उधारकर्ता के प्रकार	भुगतान करने की क्षमता	भुगतान करने में असमर्थ
भुगतान करने को तैयार	कोई कार्रवाई नहीं	पुनःसंरचना अथवा तदर्थ निधायन, विफलता पर, स्वामित्व अथवा परिसमापन में परिवर्तन
भुगतान हेतु तैयार नहीं	स्वामित्व में परिवर्तन अथवा डिफॉल्ट प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई	स्वामित्व में परिवर्तन अथवा परिसमापन के साथ पुनःसंरचना

एक और भ्रांति जो चूककर्ता उधारकर्ताओं के प्रबंधन द्वारा यह दावा करना है कि उनके द्वारा प्रस्तावित पुनःसंरचना योजना के परिणामस्वरूप बैंकों के लिए “शून्य मार्जिन” होगा; जबकि, यदि बैंक दिवालियापन का आवेदन दर्ज करते हैं, तो नया निवेशक केवल कर्ज पर “अत्यधिक मार्जिन” के साथ चूक करने वाली इकाइयों को लेने का इच्छुक होगा। यहाँ यह समझना आवश्यक

है कि मौजूदा प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित भुगतान आमतौर पर लंबी अवधि के लिए हैं, परंतु नए निवेशक प्रारंभिक नकद भुगतान के साथ आते हैं। बैंकों के समक्ष विकल्प है: 'भ्रामक भावी भुगतान' बनाम 'प्रारंभिक वास्तविक नकद'। बैंकों को 'भ्रामक भावी भुगतान' के वर्तमान मूल्य की गणना बीते हुए समय के हिसाब से मुद्रा के मूल्य की डिस्काउंटिंग करके और खासतौर से मौजूदा प्रबंधन के पूर्व अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए भुगतान प्राप्त करने में विद्यमान अनिश्चितता के आधार पर करने की आवश्यकता है।

इसी से संबंधित एक मुद्दा मौजूदा प्रमोटर्स की देयता है। एक सफल परियोजना में लेनदारों का हिस्सा ऋण संविदा के अनुसार नकदी प्रवाह तक सीमित है, जैसा कि इसके विपरीत इक्विटी धारक एक सफल परियोजना में असीमित उछाल का लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना विफल होती है, तो इक्विटी धारकों को उनकी सीमित देयता से संरक्षित किया जाता है तथापि उधारकर्ता को मजबूत लेनदार अधिकारों की अनुपस्थिति में उधार दी गई पूरी राशि की हानि लेनदार को होती है तो ऐसे में अधिकांश परियोजना का पूंजी विन्यास होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि सीमित देयता भले ही आधुनिक कॉर्पोरेट कानून में अधिकार के रूप में निहित है, परंतु शेयरधारकों के विशेषाधिकार के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। जबकि सीमित देयता विन्यास के लिए तर्क यह है कि यह उद्यमिता और नवोन्मेष को बढ़ावा देता है, परियोजना में निवेश हमेशा एक परिकलित जोखिम भरा दांव है। शेयरधारकों को ऐसे उद्यम में जिसमें सोसाइटी में डिफॉल्ट और उसके फैलाव के रूप में संभाव्य नकारात्मक बाह्यताएं हैं, ऐसी स्थिति में सीमित देयता का आनंद लेने के लिए किसी को इन लागतों को सहन करना होगा।

लगभग सभी मामलों में, सोसाइटी में शेयरधारकों द्वारा ली गई सीमित देयता का समापन नौकरियों के खोए जाने, राज्य द्वारा दी गई रियायतें, और इन सबसे ऊपर, बैंकों द्वारा हेयरकट की वजह से होता है जो वस्तुतः जमाकर्ताओं/ करदाताओं के धन की हानि है। सोसाइटी कंपनियों को डिफॉल्ट पर अनुमति देती है कि वह स्वयं को पुनर्गठित और पुनः समझौता और औपचारिक दिवालियापन तंत्र के अंतर्गत निजी अनुबंध करें। यह एक अन्य कारण है जिसमें इक्विटी धारकों का निपटान ज्यादातर कॉर्पोरेट

उधारकर्ता के दिवालियापन होने से कर दिया जाता है क्योंकि वे पहले ही सीमित देयता का लाभ उठा लेते हैं।

जबकि सीमित देयता की अवधारणा उद्यमशीलता को बढ़ावा और नवोन्मेष, कॉर्पोरेट ढांचे की ओट से छेड़छाड़ अर्थात्, सीमित देयता को ध्यान में न रखते हुए और शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए, आजकल जो असामान्य नहीं है, जो डिफॉल्ट कंपनियों द्वारा बनाई गई नकारात्मक बाह्यताओं पर विचार करती हैं, इसका मूल है। मैसी और मिट्स (2014) ने परिस्थितियों की अवधारणाओं के लिए एक तर्कसंगत रूपरेखा तैयार की है जिसमें कॉर्पोरेट ढांचे की ओट के लिए उचित और सुसंगत सुदृढ़ सार्वजनिक नीति है। उनकी यह अवधारणा है कि केवल और केवल निम्नलिखित तीन कारणों में से किसी एक कारण के लिए जरूरी होने पर ही कॉर्पोरेट आवरण को भेदा जा सकता है: (1) स्पष्ट और विशिष्ट मौजूदा विनियामकीय या सांवाधिक योजना के लक्ष्यों के साथ सामंजस्य और तालमेल बिठाना जैसे कि पर्यावरणीय कानून या बेरोजगारी कानून; (2) जब ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी या गलत बयानी का प्रमाण हो (और विशेष रूप से जहां उक्त गलत बयानी, ऋणदाता को त्रुटिवश यह सोचने के लिए प्रेरित करे कि कंपनी का व्यक्तिगत शेयरधारक गारंटी दे रहा है जबकि वास्तव में वह कॉर्पोरेट ऋणग्रस्तता है); (3) जहां कॉर्पोरेट फर्म का सम्मान करते हुए सुविधा दी जाती है या दावेदारों के बीच पक्षपात करते हुए एक फर्म को नकदी प्रवाह दिया जाता है जो कि दिवालिया संस्था का समाधान करने के लिए सुस्थापित दिवालियापन कानून मूल्यों के प्रतिकूल होगा जो दावेदारों के बीच राज्य विधि द्वारा स्थापित अनुबंध कानून सिद्धांतों और प्राथमिकताओं दोनों के अनुरूप है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2018) बनाम आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में अपने हालिया फैसले में निम्नानुसार टिपपणी की है:

“.....जहां एक अधिनियम स्वयं ही कॉर्पोरेट आवरण को हटाता है, या जहां सार्वजनिक हितों की रक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है, या जहां कानून द्वारा लागू किए गए दायित्वों से बचने के लिए कंपनी बनाई जाती है, तो अदालत कॉर्पोरेट आवरण को नज़रअंदाज करेगी। इसके अलावा, यह सिद्धांत समूह कंपनियों


पर भी लागू होगा ताकि कोई भी समूह की आर्थिक इकाई को समग्र रूप से देख सके।”

इसकी पृष्ठभूमि में, मैं अपने व्याख्यान से संबंधित अगले विषय पर जाना चाहूंगा, जो है विवेकपूर्ण बैंक पूंजी विनियमन। मैं बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, चूंकि ऋण वसूली इकोसिस्टम का विवेकपूर्ण पूंजी आवश्यकताओं पर असर होता है जिसे देखते ऋण जोखिम, अन्य कई अधिकार क्षेत्रों के समान भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बैंकों के तुलन पत्र में एक प्रमुख जोखिम है।

बासेल पूंजी मानदंड – विवेकपूर्ण अनिवार्यता


बैंक स्वभावगत जोखिमों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जैसे कि ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि। बैंक से भारी मात्रा में आकस्मिक आहरण चलनिधि जोखिम का एक चरम मामला है। बैंक तरल आस्तियां रखकर चलनिधि जोखिम को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें आसानी से चलनिधि में रूपांतरित करके क्रेडिटर को प्रतिबद्ध भुगतान किए जा सकें, जिनमें अधिकतर जमाकर्ता ही होते हैं। अतः चलनिधि जोखिम कम करने के लिए संतुलित निधियन और तरल आस्तियों को धारण करना होता है। एक ओर जहां चलनिधि जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को तरल आस्तियों की आवश्यकता होती है, वहीं आस्तियों का मूल्य प्रतिबद्ध ऋण दायित्वों से कम हो जाने पर उन्हें शोधक्षम जोखिम से बचने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी न हो तो घाटा उनकी जमाराशि को खाने लगगा है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी जमाराशि का क्षरण होने की संभावना शून्य के आसपास हो, पर्याप्त पूंजी बनाए रखनी होती है।

बैंकों को अपनी आस्तियों पर हानि उठानी पड़ सकती है क्योंकि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि सारे ऋण चुका ही दिए जाएंगे। परिचालनगत कुछ अन्य भागों से भी हानि हो सकती है। ये हानियां अपेक्षित या अनपेक्षित दोनों ही हो सकती हैं। क्रेडिट जोखिम पर होने वाली अपेक्षित हानि का यथोचित अनुमान ऐसे विशिष्ट उधारकर्ता वर्ग (उदाहरण के लिए रेटिंग श्रेणी) या क्षेत्र जिन्हें ऋण दिया गया हो, के ऐतिहासिक डाटा से लगाया जा सकता है। हालांकि, भविष्य के बारे में सटीक रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता लेकिन वास्तविक हानि, अपेक्षित हानि से अधिक हो सकती है। ऐसा विभिन्न कारणों से हो सकता है – उदाहरण के लिए, एक प्रणालीगत घटना जहां एक विशिष्ट क्षेत्र में सहसंबद्ध



चूक हों। इससे अनपेक्षित हानि होगी निम्नलिखित चित्र (चार्ट 1) एक बैंक के हानि वक्र का वर्णन करता है:

अपेक्षित हानियों का न्यूनीकरण प्रावधानों से किया जा सकता है जिसे वर्तमान आय से किया जाता है और अनपेक्षित हानियों (अर्थात् दिए गए विश्वास स्तर के लिए शीर्ष हानि और औसत हानि के बीच का अंतर) का न्यूनीकरण बैंकों द्वारा बनाए पूंजी के स्तर (चार्ट 2) से किया जा सकता है। अनपेक्षित हानियों



के अलावा भी कुछ संभावित हानियां हैं जिनका बचाव किसी भी बफर से नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी हानियों से बचने के लिए बनाए जाने बफर बहुत महंगे होंगे।

इस बात पर तर्क किया जा सकता है कि बैंक के पास रखी जानेवाली बड़ी मात्रा में पूंजी को बाज़ार की शक्तियों पर अप्रत्याशित क्षति के लिए छोड़ देना चाहिए, बाज़ार की शक्तियों में किसी भी तरह की विफलता में महत्वपूर्ण नकारात्मक बाह्यवादिता रही हैं और इससे भी कहीं ज्यादा पुनर्पूँजीकरण के लिए करदाताओं या जमाराशियों की क्षति द्वारा हुई लागत के रूप में था, ये सब बातें सरकार की स्वामित्व वाली बैंक कहती हैं। इससे बैंक की गतिविधियों के विवेकपूर्ण विनियमन के साथ-साथ प्रवेश बाधित होगा।

महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला विवेकपूर्ण विनियम पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 1988 में बासेल I मानदंडों की शुरुआत से पहले, बैंकों के लिए संबंधित बैंकिंग कानूनों में सबसे आम तरीका न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और लीवरेज के स्तर को मापने के लिए किसी बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की संबन्धित शक्ति के निर्धारण के लिए अनुपातों यथा जमा राशि हेतु पूंजी, या अन्य विकल्प बनाए गए थे। हालांकि, इस पद्धति में व्यापक विविधताएँ थी और पूरे देश में पूंजी विनियमों की जोखिम संवेदनशीलता अधिक महत्वपूर्ण है जिससे तुलनात्मक कठिनाई हुई।

बासेल नियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विनियामक ढांचा है बशर्ते कि बैंकों द्वारा न्यूनतम मानकों को पूरा किया जाए। 1988 से विभिन्न गतिविधियों के लिए बासेल ढांचा का विकास हुआ। विनियामक पूंजी की अवधारणा जिसे बैंक के तुलन पत्र की जोखिम के साथ मिलाया गया है जो 2004 में शुरू की गई बासेल I, बासेल II ढांचे के तहत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के माध्यम से लागू की गई थी, जिसमें बैंक की आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों के अधिक से अधिक कणिकाओं को शुरू करके जोखिमों के बेहतर निर्धारण के बारे में बताया गया है।

बासेल II मानदंड तीन स्तंभों पर आधारित है – पूंजी पर्याप्तता, पर्यवेक्षी समीक्षा, और बाज़ार अनुशासन। उल्लेखनीय है कि पूंजी प्रभार ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए किया जाना था जिनका सामना बैंकों को करना पड़ा। बासेल II को अपनाने के मुख्य कारण इस प्रकार थे (क) जोखिम के प्रति यह अधिक संवेदनशील था; (ख) यह बैंकिंग क्षेत्र

में अपनाई गई जोखिम मापन और जोखिम प्रबंधन तकनीकों में हुए परिवर्तनों की पहचान करता है और उन्हें फ्रेमवर्क के भीतर आत्मसात कर लेता है; (ग) यह विनियामकीय पूंजी को आर्थिक पूंजी के साथ संरेखित करता है। बासेल II की इन विशेषताओं ने विनियामकीय पूंजी को उन व्यावसायिक मॉडलों के समीप लाया है जिन्हें कुछ बड़े बैंकों में अपनाया गया है। बासेल II फ्रेमवर्क के तहत बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को तुलनपत्र के आधारभूत जोखिमों के साथ अधिक समरूप बनाया गया है।

तथापि, बासेल II मानदंडों की कमियां 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उजागर हुईं जिसने पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं के प्रति विनियामकीय दृष्टिकोण पर पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया। सितंबर 2010 में गवर्नर और पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह (जीएचओएस) ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम वैश्विक पूंजी मानकों को बढ़ाने की घोषणा की। यह जुलाई 2010 के उस करार के बाद हुआ जिसमें पूंजी और चलनिधि में समग्र सुधार व्यवस्था की बात कही गई थी। इसी को अब “बासेल III” के नाम से जाना जाता है। वर्धित बासेल फ्रेमवर्क बासेल II द्वारा स्थापित तीन स्तंभों को संशोधित करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा यह कुछ क्षेत्रों में बासेल फ्रेमवर्क का दायरा भी बढ़ाता है। अधिकांश सुधारों को 2013 और 2019 की अवधि के बीच चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना है। इस फ्रेमवर्क की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:

- (i) विनियामकीय पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा के लिए कड़े नियम। विशेष रूप से कॉमन इक्विटी की केंद्रीय भूमिका को पुष्ट करना।
- (ii) कॉमन इक्विटी की अतिरिक्त परत – कैपिटल कंज़रवेशन बफर का यदि उल्लंघन होता है तो विवेकाधिकार से किए जाने वाले पे-आउट्स प्रतिबंधित हो जाते हैं ताकि न्यूनतम कॉमन इक्विटी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिले;
- (iii) काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर - व्यवस्था में व्यापक रूप से ऋण की मात्रा बढ़ जाने पर यह बैंकों की उसमें सहभागिता पर प्रतिबंध लगाता है ताकि ऋण स्थिति प्रतिकूल हो जाने पर उन्हें कम हानि पहुंचे;
- (iv) लीवरेज अनुपात – बैंक की कुल आस्तियों और तुलनपत्र के इतर ऋण, भले ही उनका जोखिम भार

कुछ भी हो, की तुलना में हानि अवशोषण पूंजी की न्यूनतम राशि।

- (v) चलनिधि आवश्यकताएं – न्यूनतम चलनिधि अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) जिनका उद्देश्य 30 दिन की दबाव अवधि में वित्तपोषण आवश्यकताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराना है और दीर्घावधि अनुपात, निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) जिसका उद्देश्य संपूर्ण तुलन-पत्र में परिपक्वता बेमेलता का समाधान करना है; और
- (vi) प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें अतिरिक्त हानि अवशोषण तथा सीमापार पर्यवेक्षण और समाधान के लिए मजबूत व्यवस्थाएं शामिल हैं।

भारत में, बासेल III पूंजी विनियमन 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया गया है तथा यह 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। बासेल समिति द्वारा दिसंबर 2017 में प्रकाशित सुधारों के नवीनतम दौर के कार्यान्वयन की समयसीमा 2022 तक है।

बासेल विनियमन के लिए पृष्ठभूमि को समझने के बाद, आइए फिर से क्रेडिट पोर्टफोलियो में संभावित और असंभावित हानियों को कम करने के मुद्दे की बात करते हैं जो अन्य कारणों के बीच ऋण के अशोध्य बनने से उत्पन्न होती हैं जो ऋण बाद में गैर-वसूली या अल्प वसूली में बदल जाता है। ऋण को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में चिह्नित करने के बाद, विवेकपूर्ण कार्रवाई यह है कि उस ऋण से होने वाली संभावित हानि की शुरु में ही पहचान कर ली जाए जिससे कि जब वास्तव में हानि हो, तो बैंक के लाभ और हानि विवरण के प्रभाव का एक समयावधि में विस्तार हो। चूंकि पिछले अनुभव के आधार पर संभावित हानियों का उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, हानियों को कवर करने के लिए बैंक की वर्तमान कमाई से प्रावधान किए जाते हैं। प्रावधानों को बैंकों की बहियों में इसके आर्थिक मूल्य में अनर्जक ऋण चिह्नित करने के लिए बैंक की आय से खर्च के रूप में माना जा सकता है। कई बार, एनपीए से वास्तविक प्राप्ति इसकी चिह्नित मूल्य से अधिक हो सकती है, इस मामले

में बैंक आधिक्य प्रावधान को उस लेखांकन वर्ष में लाभ के रूप में लिखते हैं जिस वर्ष वसूली होती है। इस प्रकार, प्रावधानों को भी ऐसा विवेकपूर्ण उपकरण माना जा सकता है जो बैंकों के लाभ और हानि पर अशोध्य ऋण के प्रभाव को सहज बनाते हैं और इसे विनियामक द्वारा अधिदेशित बाध्य खर्च नहीं माना जा सकता। मूल विवेकपूर्ण व्यवहार हमेशा मांग करता है कि बैंक कभी भी अल्प प्रावधान न करें।

आदर्शरूप से, बैंक संभावित हानियों के लिए अपनी बहियों में ऋण को परखने में समर्थ होने चाहिए और किसी विनियामकीय हस्तक्षेप के बिना ऐसी हानियों के लिए प्रावधान करें। तथापि, हमारे बैंकों द्वारा बनाए जाने वाले मजबूत मॉडलों के अभाव में, जो इस प्रयोजन को पूरा करेंगे, रिजर्व बैंक ने प्रावधानों के न्यूनतम अधिदेशित स्तर निर्धारित किए हैं जो एनपीए की अवस्था से जुड़े हैं। चूंकि प्रावधान कार्यप्रणाली को अलग-अलग बैंकों के अनुसार बनाया जाना चाहिए, और आम विनियम ऐसा नहीं कर सकते हैं, विनियामकीय प्रत्याशा यह है कि अधिदेशित न्यूनतम प्रावधान मार्गदर्शी न्यूनतम स्तर (फ्लोर) का कार्य करेंगे तथा बैंक प्रबंध-तंत्र अपनी आस्तियों के बारे में अपने आंतरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए पर्याप्त प्रावधान करेंगे। तथापि, दुर्भाग्यवश भारत में बैंक सबसे अधिक अल्पप्रावधानीकृत हैं, हालांकि पिछली कुछ तिमाहियों में इस संबंध में कुछ सुधार हुआ है।

यदि किसी बैंक द्वारा बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित प्रावधान, प्रावधान से पहले इसकी कमाई से अधिक हो जाते हैं तो इससे बैंक की इक्विटी पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। यह बैंकिंग विनियमन के सबसे कम समझे गए पहलू - सामान्य रूप से बैंकों के लिए पूंजी मानदंड और विशेष रूप से बासेल मानदंड की ओर जाता है। इस संबंध में व्यापक रूप से सुनी गई शिकायत यह है कि बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताएं अनावश्यक रूप से उच्च हैं। भारत में, इसका संबंध सीआरएआर से है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि बासेल मानदंडों में यह 8 प्रतिशत अपेक्षित है। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए, आइए प्रयास करते हैं कि पूंजी की शुरु में जरूरत क्यों होती है।

धारणात्मक रूप से, असंभावित हानियों के अंतर्निहित अप्रत्याशित स्वरूप में बफर की जरूरत होती है और यह वही कार्य है जिसे बैंक द्वारा अनुरक्षित पूंजी से किया जाता है। आगे

बढ़ने से पहले, पूंजी को 'स्वयं की निधि' के रूप में समझना चाहिए जिसका उपयोग जमा राशियों जैसे उधारीकृत निधियों की तुलना में बैंकों द्वारा आस्तियों के सृजन के लिए होता है। बैंक द्वारा अनुरक्षित पूंजी से आस्तियां सृजित करने के लिए लगाई गई कुल निधियों में बैंक द्वारा लाई गई स्वयं की निधियों का अनुपात दिखाई देता है। एक गलतफहमी है कि पूंजी धन का एक ढेर है जिसे 'मुश्किल के दिनों' के लिए इकट्ठा किया जाता है और अर्थव्यवस्था को इस धन के ढेर से वंचित कर दिया जाता है। वास्तविकता इस सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं हो सकती कि बैंकों द्वारा अनुरक्षित पूंजी को पहले से ही ऋण सहित आस्तियों के सृजन के लिए इनके तुलन-पत्र पर लगाया जा सकता था।


विवेकपूर्ण पूंजी विनियमों का लक्ष्य यह है कि बैंक पूंजी का पर्याप्त स्तर अनुरक्षित करके बैंकों को अपनी बाध्यताओं, विशेषकर जमा राशियों में डिफॉल्ट किए बिना असंभावित हानियों को सहन करने में समर्थ बनाया जाए। बैंकों में उच्चतर पूंजी स्तरों का देश की समष्टि अर्थव्यवस्था पर स्थायीकरण प्रभाव भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी का उच्चतर स्तर शेयरधारकों की स्वयं की पूंजी में वृद्धि कर देता है, इस प्रकार संभावित रूप से बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन और स्क्रीनिंग होती है। पूंजी जुटाने में अवश्य रूप से लागत शामिल होती है-मुफ्त लंच नहीं होता है-कितु अर्थव्यवस्था की लागतें अवरोधित बैंकिंग संकट में टाली गई संभावित हानियों के रूप में की गई बचतों द्वारा बराबर हो जाती हैं। जब किसी बैंक में इक्विटी संघटक बढ़ता है, तो लीवरेज कम हो जाता है, इससे संभवतः बैंक सुरक्षित बन जाता है और इस प्रकार इक्विटी पर कम प्रतिफल की मांग करने के लिए निवेशक बैंक इक्विटी की ओर बढ़ता है तथा जमाकर्ता भी अपनी निधियों की अधिक सुरक्षा की दृष्टि से कम प्रतिफल स्वीकार करने के इच्छुक हो सकते हैं। बैंकिंग विनियमकों के लिए होली-ग्रेल बैंकों के लिए पूंजीगत निर्धारणों हेतु अच्छी जगह ढूंढना है जहां लाभ बराबर या शामिल लागतों से थोड़े ज्यादा हों।

हाल के बहु अध्ययन (क्लाइन, 2017) जो बैंकों के लिए इष्टतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1) अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं, स्पेक्ट्रम के विपरीत छोरों पर आंकड़ों पर पहुंचे हैं – डागर, डेल'एरिका, लीवन, रत्नोवस्की और टांग (2016) जोखिम भारित आस्तियों के 9-17 प्रतिशत के इष्टतम सीईटी 1 अनुपात का अनुमान लगाते हैं, एडमैटी और

हेलविग (2013) जोखिम भारित आस्तियों के 36-53 प्रतिशत के इष्टतम सीईटी 1 अनुपात का अनुमान लगाते हैं। इनसे और इसी प्रकार के अध्ययनों से निकाला गया माध्यिका अनुमान बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों का लगभग 13-14 प्रतिशत है। उपर्युक्त अनुमानों के विपरीत, बासेल III मानदंडों में जोखिम भारित आस्तियों की 4.5 प्रतिशत की न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा विनिर्दिष्ट की गई है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि बासेल III निर्धारण विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा लगाए गए माध्यिका अनुमान से बहुत कम है और इसे न्यूनतम (फ्लोर) माना जाना चाहिए।

भारत में, हमने जोखिम भारित आस्तियों की 9 प्रतिशत की समग्र पूंजी आवश्यकता निर्धारित की है जिसमें सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी के संबंध में बासेल मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित क्रमशः 8 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत की तुलना में 5.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। जैसाकि मैंने पहले कहा है, विनियामकीय पूंजी अप्रत्याशित हानि के लिए बफर के रूप में उपयोग होती है। बैंक की आस्तियों में संचयी अप्रत्याशित हानि, आस्ति पोर्टफोलियो के विभिन्न उप-पोर्टफोलियों के पिछले हानि आचरण का संचयन होगा। उप-पोर्टफोलियों का निर्माण आस्तियों के जोखिम के आधार पर हो सकता है। इसलिए, कहा जा सकता है कि सरकारी प्रतिभूतियां शून्य हानि संभावना के साथ उप-पोर्टफोलियो का निर्माण और अलग-अलग जोखिम के अन्य पोर्टफोलियों का निर्माण कर सकती हैं। अलग-अलग जोखिम के अन्य पोर्टफोलियों को सामान्य तौर पर क्रेडिट रेटिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि अप्रत्याशित हानि आचरण इस प्रकार की रेटिंग वाले पोर्टफोलियों के कारण भी हो सकता है। प्रत्येक उप-पोर्टफोलियो के लिए जोखिम भार अप्रत्याशित हानि आचरण, सामान्य रूप से उनकी संचयी डिफॉल्ट दरों के आधार पर होता है। इस प्रकार यह कहे बिना ऐसा होता है कि विशेष रेटिंग वाले पोर्टफोलियो को आबंटित जोखिम-भार एक अधिकारक्षेत्र में उस पोर्टफोलियो के देखे गए डिफॉल्ट आचरण का कार्य होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत का उच्चतर सीआरएआर मूलरूप से इस अंतर को दर्शाता है। बासेल III मानदंड, अप्रत्याशित हानियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा उपलब्ध कराई गई क्रेडिट रेटिंगों में देखी गई संचयी डिफॉल्ट दरों (सीडीआर) का कार्य है। सीडीआर कुछ नहीं है बल्कि सीआरए द्वारा आबंटित गैर-डिफॉल्ट रेटिंग की संभावना है जो एक निश्चित समयावधि के अंदर डिफॉल्ट रेटिंग में बदल जाती है।

चार्ट 3: देखे गए सीडीआर के आधार पर वास्तविक पूंजी आवश्यकताएं²




अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखे गए संचयी डिफॉल्ट दरों (सीडीआर) और वसूली दरों के आधार पर, बासेल मानदंडों ने विभिन्न क्रेडिट एक्सपोजर के लिए जोखिम भार निर्धारित किया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी गई सीडीआर और हानि की तुलना में भारत में देखी गई सीडीआर और हानि काफी अधिक है, हालांकि आईबीसी और आरबीआई के संशोधित ढांचे के अधिनियमन के बाद इन मानकों में सुधार के संकेत हैं। निम्नलिखित ग्राफ (चार्ट 3) भारतीय सीआरए द्वारा रेट किए गए ऋण के पोर्टफोलियो में देखे गए सीडीआर का उपयोग करके गणना की गई अप्रत्याशित हानि के साथ-साथ विभिन्न रेटिंग श्रेणियों के लिए बासेल पूंजी आवश्यकता को दिखाता है।

यह स्पष्ट होगा कि इस तरह के डिफॉल्ट व्यवहार के साथ, बासेल निर्दिष्ट जोखिम भार लागू करने से भारतीय बैंकों की बहियों की ऋण परिसंपत्तियों में वास्तविक जोखिम कम हो जाएगा। इसे दो तरीकों से दूर किया जा सकता है: (i) न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 8% पर रखकर, लेकिन भारत में देखे गए सीडीआर के अनुसार प्रत्येक प्रकार के क्रेडिट एक्सपोजर के लिए बासेल निर्दिष्ट जोखिम भार को पुनः व्यवस्थित करके; (ii) बासेल निर्दिष्ट जोखिम भार का उपयोग करके, लेकिन उच्चतम

न्यूनतम पूंजी आवश्यकता निर्धारित करके। हमने दूसरे दृष्टिकोण को अपनाया और न्यूनतम 9% की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता निर्धारित की, जबकि बड़े पैमाने पर बासेल निर्दिष्ट जोखिम भार बनाए रखा। उपर्युक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि कुछ लोगों का विचार कि हमारी पूंजी आवश्यकताएं अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में अधिक कठिन है, बिल्कुल सही नहीं है। चूंकि पुनर्पूजीकरण की पुनरावृत्ति की आवश्यकता साबित हुई है, भारत में बैंकों का पूंजी स्तर उच्च होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, बैंकों के रखरखाव प्रावधानों के मौजूदा स्तर अपेक्षित घाटे को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, और इसलिए अपेक्षित घाटे को अवशोषित करने के लिए जब भी वास्तविक रूप से उपलब्ध हो जाएं पर्याप्त बफर को पूंजी में बनाया जाना चाहिए जो कि नहीं बनाया गया है। नीचे चार्ट 4 दर्शाता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पूंजीगत स्तर के मुकाबले प्रावधान-रहित एनपीए का अनुपात उच्च है। जैसा कि मैंने कहा, आईबीसी और आरबीआई के संशोधित फ्रेमवर्क के बाद डिफॉल्ट दरों और रिकवरी दरों में सुधार के संकेत हैं, इसके परिणामस्वरूप भविष्य में बैंकों के लिए अप्रत्याशित नुकसान में कमी हो सकती है। हालांकि, जोखिम-भार या न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के पुनर्मूल्यांकन को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि ये रुझान अर्थव्यवस्था में दृढ़ता से फैल नहीं जाते हैं। संरचनात्मक सुधारों के पूरी तरह से स्थापित हो जाने से


² क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित सीडीआर और 'लेखांकन प्रावधानों के विनियामकीय संव्यवहार' पर बीसीबीएस के चर्चा पत्र से अपनाई गई कार्य-पद्धति के आधार पर (अक्तूबर 2016)



पहले विनियामक राहतों की फ्रंटलोडिंग अर्थव्यवस्था के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है।

निचले सीआरएआर की मांग के लिए दिए जानेवाले तर्कों में से एक यह है कि उच्च पूंजी आवश्यकता कम क्रेडिट वृद्धि की ओर ले जाती है। जबकि गणितीय रूप से यह सही हो सकता है, यहां दो महत्वपूर्ण तथ्य अधोरेखित किए जाने चाहिए। सबसे पहले, ऐसे सुझाव तब दिए जा रहे हैं जब अर्थव्यवस्था में क्रेडिट

वृद्धि मामूली सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुरूप है (नीचे चार्ट 5 देखें)। 12 अक्टूबर, 2018 को समाप्त पखवाड़े में बैंक क्रेडिट वर्ष-दर-वर्ष 14.4 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे एक तरफ यह बताया जा सकता है कि जहां एनबीएफसी सेक्टर को अपर्याप्त बैंक क्रेडिट प्रवाह की धारणा है, में वर्ष-दर-वर्ष बैंक क्रेडिट में 31 मार्च 2018 से 30 सितंबर 2018 तक 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और 30 सितंबर 2018 से एक मजबूत आधार पर




48.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चार्ट पर वापस लौटने पर, यह देखा जा सकता है कि अतीत में, 'सप्लाय पुश' के कारण क्रेडिट वृद्धि के उच्च स्तर बैंकिंग प्रणाली में उच्च कॉर्पोरेट लाभ और परिणामी एनपीए में परिणत हुए।

दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग प्रणाली आगे बढ़ने वाले उच्च क्रेडिट वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त लचीली है, इसमें उच्च पूंजी स्तर होना चाहिए। नीचे चार्ट 6 से पता चलता है कि जिन देशों में जीडीपी अनुपात में बैंक क्रेडिट उच्च है, उनके पास बैंक पूंजी का स्तर भी उच्च है।

एक अन्य दोहराए गए मत को मुझे स्पष्ट करने दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विवेकपूर्ण पूंजी विनियमों के अधीन नहीं होना चाहिए। तर्क यह है कि इन बैंकों के सॉवरेन स्वामित्व उन्हें वास्तव से जोखिम मुक्त बनाता है और इन पर बैंक रन का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में, लगभग सभी वाणिज्य बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक को छोड़कर, भारतीय कॉर्पोरेट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार / निवेश को दस्तावेजी क्रेडिट, ऋण पत्रों का स्टैंड बाय, आदि के रूप में सक्षम करने के लिए सक्रिय रूप से क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने में शामिल हैं भारतीय बैंकों द्वारा जारी ऐसी गारंटी की विदेशी बैंकों द्वारा स्वीकृति और पुष्टि विदेशी बैंकों द्वारा माने गए भारतीय बैंकों की सुदृढ़ता पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नियामक व्यवस्था भारतीय बैंकिंग

प्रणाली को आवश्यक विश्वसनीयता प्रदान करता है, जो भारतीय बैंकों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के बल पर भारतीय निगमों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों (वित्तीय और वास्तविक दोनों प्रकार के बाजार) तक पहुंचने में मदद करता है। अपनी पूंजी और वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए कई भारतीय बैंक भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाते हैं। भारतीय बैंकों के सम्पर्की बैंकिंग संबंध भी उनकी वित्तीय सुदृढ़ता पर निर्भर करते हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों में किसी भी शिथिलता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी विश्वसनीयता / प्रतिष्ठा को फिर से रीसेट करना पड़ सकता है। इस तरह के रीसेट से उनके ग्राहकों के लिए लागत में बढ़ोतरी और कारोबार करने में आसानी बढ़ सकती है और उनके ग्राहकों को अन्य बैंकों में माइग्रेट करने की आवश्यकता हो सकती है जो बेसल मानकों के अनुरूप हैं। तथापि, स्वामित्व संरचना के आधार पर बैंकों के लिए अंतर विवेकपूर्ण विनियमन, जब वे एक ही बाजार में काम करते हैं, विरोधी प्रतिस्पर्धी होगा और प्रणालीगत असंतुलन पैदा कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से वांछनीय परिणाम नहीं हैं।

अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक मजबूत और स्थिर बैंकिंग प्रणाली आवश्यक है। यह मजबूती असली और अंतर्निहित होनी चाहिए। वास्तविक मजबूती बैलेंस शीट में कमजोरियों को पहचानने और



उनके लिए प्रावधान करने से आती है बजाए यह ढोंग करना कि बैलेंस शीट मजबूत है। हाल ही में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ भारत को स्वच्छ बैंकिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए है। यह काम प्रगति पर है, जिसने परिणाम देना शुरू कर दिया है। जैसे ही हमारी दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता व्यवस्था में सुधार होगा, भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण वसूली और आस्ति गुणवत्ता के कई पहलू वैश्विक मानकों से मैच होंगे। फिर डिफॉल्ट और हानि के रूप में दी गई डिफॉल्ट की हमारी संभावना भी वैश्विक स्तर पर नीचे आ जाएगी। आशा है कि, वे दिन हमारे विचार से करीब हैं। तब तक, हमें अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संरेखित करने के नाम पर मानकों को कम करने के लिए किसी भी दबाव के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह चेरी-पिकिंग होगी और नतीजतन हमारा बैंक मेक-बिलिव सेंस में मजबूत होंगे और वास्तविकता में नहीं। यह ऐसे प्रलोभन का विरोध कर रहा है, मेरा मानना है कि, हम एक वित्तीय प्रणाली तैयार करेंगे जो आज से काफी मजबूत है, जिसके साथ आपको भावी उद्यमियों, जमाकर्ताओं, निवेशकों, प्रबंधकों और किसी भी अन्य क्षमता के रूप में संबद्ध होने पर गर्व होगा जिसे आपके पास बातचीत करने का अवसर होगा।

दिवाली की शुभकामनाएं।

संदर्भ:

अडमती, अनाट, और मार्टिन हेलविग, द बैंकर्स न्यू क्लॉथ: वट्स रॉग विथ बैंकिंग एंड वट टू डू एबॉउट इट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस (2013)

बैंकरप्सी लॉ रिफार्म कमिटी, द रिपोर्ट ऑफ बैंकरप्सी लॉ रिफार्म कमिटी, वॉल्यूम I: रेशनल एंड डिजाइन, (नवंबर 2015)

बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, "रेग्युलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ एकाउंटिंग प्रोविजन", बीसीबीएस डिस्कशन पेपर (अक्टूबर 2016)

चेंग, टॉम, और एंटोनेट शॉयर, "द इम्पैक्ट ऑफ ज्युडिशियल बाईस इन चैप्टर 11 रिऑर्गनाइजेशन", माइमियो (अक्टूबर 2016)

क्लाइन, विलियम आर., द राइट बैलेंस फॉर बैंक: थ्योरी एंड इविडेंस ऑन ऑप्टीमल केपिटल रिक्वायरमेंट, पोलिसी एनालिसिस इन इंटरनेशनल इकॉनामिक्स 107 (जून 2017), पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकॉनामिक्स

डाघर, जिहाद, जियोवानी डेल'एरिकिया, ल्यूक लेवेन, लेव रत्नोव्स्की, एंड हुई टोंग, "बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ बैंक केपिटल", आईएमएफ स्टाफ डिस्कशन नोट 16 (फरवरी 2016)।

डायमंड, डगलस डब्ल्यू, "फाइनेंशियल इंटरमेडिएशन एंड डेलिगेटेड मॉनिटरिंग", द रिव्यू ऑफ इकॉनामिक स्टडीज, वॉल्यूम 51, नंबर 3 (जुलाई 1984)

फराग, मार्क, डेमियन हार्लैंड, एंड डेन निक्सन, "बैंक केपिटल एंड लिक्विडिटी, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्वार्टली बुलेटिन, 2013 क्यू 3

मैसी, जोनाथन और जोशुआ मिट्स, "फाइंडिंग ऑर्डर इन द मोरस: द थ्री रियल जस्टीफिकेशन फॉर पिरियसिंग द कॉरपोरेट वेल", 100 कॉर्नेल एल. रेव 99 (2014)

मैकले, माइकल, अमर राडिया, एंड रेलैंड थॉमस, "मनी क्रिएशन इन द मॉर्डन इकॉनामी", बैंक ऑफ इंग्लैंड क्वार्टली बुलेटिन, 2014 क्यू 1

लेख

वैश्वीकरण की ओर बढ़ते लोग : भारत का आवक विप्रेषण

भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्त्व

वैश्वीकरण की ओर बढ़ते लोग : भारत का आवक विप्रेषण*

वर्ष 2016-17 में भारत में आने वाले विप्रेषणों पर प्राधिकृत व्यापारियों के सर्वेक्षण के चौथे दौर का चित्रण करते हुए इस आलेख में यह पाया गया है कि विभिन्न एक्सचेंज हाउसों के साथ बिजनेस टाइ-अप ने अन्य देशों की तुलना में गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल देशों से विप्रेषणों के सस्ते पारेषण की सुविधा दी है। इसके प्रमुख प्राप्तकर्ता राज्य केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। नकद –आधारित कम मूल्य के लेनदेनों के लिए मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ) बैंकों से ज्यादा बेहतर हैं।

प्रस्तावना

विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कल्याण संबंधी पहलुओं के कारण विप्रेषण एक बड़े वर्ग के जीवन और आचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2017 में निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं ने विप्रेषण के रूप में यूएस\$466 बिलियन प्राप्त किए (विश्व बैंक, 2018)। ये प्रवाह कतिपय निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के आधे से ज्यादा भाग का निर्माण करते हैं। चक्रीय निजी ऋण और इक्विटी प्रवाहों की तुलना में विप्रेषण बाह्य वित्तपोषण का ज्यादा स्थिर स्रोत है, जिसमें इन दोनों के विपरीत चुकौती या संविदागत या अन्य ब्याज आदि के भुगतान का दायित्व नहीं होता है। बाह्य संधारणीयता दृष्टिकोण से इन प्रवाहों की यह विशेषता महत्वपूर्ण है।

विप्रेषण स्रोत अर्थव्यवस्थाओं में समष्टि आर्थिक परिस्थितियों, प्रवासियों का स्टॉक, मेजबान देशों में राजस्व नीति का रुझान, तेल कीमतें गतिकी और कार्य के लिए प्रवास संबंधी शासन पद्धति सहित अनेक प्रकार के कारकों पर निर्भर करते हैं (आरबीआई, 2015-16)। दिलचस्प बात ये है कि

* यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग के श्री राजन गोयल, परामर्शदाता, आविनीवि के मार्गदर्शन में श्री राजीव जैन, श्री धीरेन्द्र गजभिये तथा सुश्री सौमाश्री तिवारी द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं, तथा ये भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

¹ सर्वेक्षण के प्राथमिक निष्कर्ष 09 अगस्त 2018 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए।

विप्रेषणों की लागत विप्रेषणों के आकार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बन रहा है (सेचेटी एंड शोनेहोल्ट्ज़, 2018)। चूंकि विनियामक अपेक्षाओं के कारण औपचारिक माध्यम महंगे हैं, इसलिए विप्रेषक कम महंगे अनौपचारिक माध्यमों को तरजीह देते हैं, हालांकि वे कम सुरक्षित हैं, और उनका अवैध प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग हो सकता है (कोरसे एंड वेमेउलेन, 2014)। जी20 ने अपने एजेंडा में विप्रेषण की लागतों को प्राथमिकता दी है, और यह देश के स्तर पर उचित नीतियों को प्रोत्साहन दे रहा है।

भारत में आने वाले विप्रेषण व्यापार घाटे के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण रहा है (2017-18 में 43 प्रतिशत)। वर्ष 2017 में विश्व भर में फैले कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल भारतीय प्रवासियों के बड़े समूह द्वारा भेजे गए \$69 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विप्रेषणों के साथ भारत शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना रहा।² अतएव, भारत में भेजे जाने वाले विप्रेषणों की लागत अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषतः अनौपचारिक/ अवैध माध्यमों के उपयोग की संभावना के दृष्टिकोण से।

वर्ष 2006 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उन प्राधिकृत व्यापारियों का सर्वेक्षण करता आया है जो निवासियों द्वारा प्राप्त विप्रेषणों के लिए मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। यह सर्वेक्षण, जो अपनी श्रृंखला में चौथा है³, में पहली बार विप्रेषण भेजने की लागतों के साथ ही उनके देश-वार/ राज्यवार वितरण संबंधी सूचना को प्राप्त करने हेतु इसका दायरा बढ़ाया गया है।

यह लेख इस सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के इन नए आयामों से अभिप्रेरित है, जो स्रोत, गंतव्य, आकार, अंतरण के साधनों और विप्रेषणों की लागत के अनुसार आवक विप्रेषणों के बारे में गहनता से समझना चाहता है। लेख के शेष भाग को पाँच भागों में बांटा गया है (प्रस्तावना वाले भाग सहित)। भाग 2 में सर्वेक्षण का दायरा और प्रयुक्त पद्धति पर संक्षेप में चर्चा की गई है। भाग 3 में इस लेख के लक्ष्य के अंतर्गत पहले ही बताई गई विशेषताओं के अनुसार सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। भाग 4 में

² कुल अंतरराष्ट्रीय स्टॉक में भारत का हिस्सा लगभग 6 प्रतिशत (16.4 मिलियन) है।

³ इससे पहले के सर्वेक्षण जुलाई 2006, सितंबर 2009 और अप्रैल 2013 में किए गए।

विप्रेषण की लागतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। भाग 5 में प्राप्त निष्कर्ष बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य नीतिगत विकल्पों की जानकारी देना है।

2. सर्वेक्षण का कार्य-क्षेत्र एवं कार्य-प्रणाली

वैश्विक रूप से, विप्रेषण बाजार में वाणिज्यिक बैंक, मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ), एक्सचेंज हाउसों और डाक घरों के साथ ही एजेंट और सब-एजेंट के रूप में कार्य करने वाली अनेक प्रकार की वाणिज्यिक संस्थाएं कार्य करती हैं (बॉक्स 1)। भारत में आने वाले विप्रेषण प्रवाहों की मध्यस्थता में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सर्वेक्षण के इस दौर में आरबीआई को विदेशी मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट करने वाले समस्त 80 एडी में से 42 एडी से प्रतिसाद प्राप्त किए गए, जिनकी वर्ष 2016-17 में रिपोर्ट किए गए कुल विप्रेषणों में 98.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। तीन प्रमुख एमटीओ, जिनके भारत में बड़े विप्रेषण परिचालन हैं, के बीच एक अलग प्रश्नावली परिचालित की गई।⁴

3. सर्वेक्षण के परिणाम

विभिन्न बैंकों के बीच विप्रेषण कारोबार काफी भिन्न रहा है। मध्यस्थों के कारोबारी मॉडलों में अंतर है, जो स्रोत देश, अंतरण के प्रचलित साधन और विप्रेषणों के आकार पर निर्भर करते हैं।

3.1 देश-वार विप्रेषण


भारत में प्राप्त विप्रेषणों का 82 प्रतिशत सात देशों से आरंभ होता है, नामतः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और ओमान (चार्ट 1)। चूंकि विदेश में काम करने वाले भारतीयों में से 90 प्रतिशत गल्फ क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशिया में हैं (आईएलओ, 2018) – जो अधिकतर अर्ध-कुशल और अकुशल मजदूर हैं – इसलिए इन देशों में तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट और कठोर राजस्व स्थितियों के बावजूद वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्त विप्रेषणों में गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक

बॉक्स 1: विप्रेषण चैनलों की सूक्ष्म संरचना

विप्रेषण लेनदेनों में हमेशा एक प्रेषक, एक प्राप्तकर्ता, दोनों देशों में मध्यस्थ और उनके द्वारा प्रयुक्त भुगतान इंटरफेस शामिल होते हैं। व्यवहार में, विप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों चैनलों के


माध्यम से प्रवाहित होते हैं। भिन्नतापूर्ण विनियामकीय व्यवस्था के कारण एक विशिष्ट चैनल किसी एक देश में औपचारिक हो सकता है, और दूसरे में अनौपचारिक (आकृति 1)।

आकृति 1: विप्रेषण चैनलों का विस्तृत ढांचा



स्रोत : आईएमएफ, 2009।

⁴ पिछले सर्वेक्षणों में एडी बैंक शाखाओं के प्रदर्श शामिल किए गए थे: एमटीओ शामिल नहीं किए गए थे।



था। दूसरा सबसे बड़ा योगदान यूएस में अधिक कुशलता और ऊंची कमाई की विशेषता वाले भारतीय प्रवासियों का है।

3.2 राज्य-वार विप्रेषण

सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल विप्रेषणों का 58.7 प्रतिशत हिस्सा चार राज्यों, नामतः केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ने प्राप्त किया। विप्रेषणों के प्रवाहों से मोटे तौर पर विदेश में प्रवासियों की राज्य-वार संरचना परिलक्षित होती है। कुल विप्रेषणों में 46 प्रतिशत हिस्से के साथ संयुक्त रूप से दक्षिणी राज्यों का दबदबा रहा है। इन परिणामों की बहुविध एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए सर्वेक्षणों के द्वारा पुष्टि की गई है (उदा., आईएलओ, 2018), जिन्होंने सीमा-पार प्रवास के समृद्ध राज्यों, जैसे केरल और कर्नाटक से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से मुख्यतः आय के निम्न स्तर वाले निम्न या अर्ध-कुशल संविदा मजदूरों की ओर परिवर्तन को रेखांकित किया है। वर्ष 2016- 17 में कुल विप्रेषणों में इन दो राज्यों का हिस्सा 4.4 प्रतिशत रहा (सारणी 1)।


3.3 विप्रेषणों का साधन, आकार और प्रयोजन

एडी बैंक भुगतान अंतरणों की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से परिचालन करते हैं, जिनका दायरा चेक, ड्राफ्ट जैसे पारंपरिक तरीकों से लेकर ऑन-लाइन सीधे अंतरण (अर्थात्

सारणी 1: आवक विप्रेषणों में राज्य-वार हिस्सा


राज्य	कुल विप्रेषणों में हिस्सा
केरल	19.0
महाराष्ट्र	16.7
कर्नाटक	15.0
तमिलनाडु	8.0
दिल्ली	5.9
आंध्र प्रदेश	4.0
उत्तर प्रदेश	3.1
पश्चिम बंगाल	2.7
गुजरात	2.1
पंजाब	1.7
बिहार	1.3
राजस्थान	1.2
गोआ	0.8
हरियाणा	0.8
मध्य प्रदेश	0.4
उड़ीसा	0.4
झारखंड	0.3
उत्तराखंड	0.2
पुदुचेरी	0.2
चंडीगढ़	0.2
जम्मू और कश्मीर	0.2
असम	0.1
हिमाचल प्रदेश	0.1
छत्तीसगढ़	0.1
अन्य	15.5
कुल	100.0

टिप्पणी: “अन्य” में ऐसे विप्रेषण भी शामिल हैं, जिनके लिए बैंक विनिर्दिष्ट गंतव्य की पहचान नहीं कर सके, और इसलिए ऐसे लेनदेन “अन्य” के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।




वायर अंतरण), विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (स्विफ्ट) अंतरण, रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) जैसे अधिक उन्नत, सरल और तेज गति वाले पारेषण चैनलों तक फैला है। सर्वेक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि विप्रेषणों का सबसे पसंदीदा साधन आरडीए है, विशेषतः जीसीसी देशों से, जो कुल विप्रेषणों का 75.2 प्रतिशत हिस्सा है। आरडीए उनके वोस्त्रो खाते खोलने और रखरखाव करने के लिए एडी-। बैंकों और अनिवासी एक्सचेंज हाउसों को जोड़ता (टाइ-अप) है। अनिवासी एक्सचेंज हाउस के रुपया/ विदेशी मुद्रा वोस्त्रो खाते में चेक/ ड्राफ्ट जमा होने के बाद बैंक तत्काल अंतिम प्राप्तकर्ता को विप्रेषण संवितरित करते हैं। प्रति बैंक ऐसे अधिकतम 20 टाइ-अप की अनुमति है।⁵ इस चैनल के माध्यम से लेनदेनों की लागत अन्य चैनलों से कम है। दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सविफ्ट है, उसके बाद सीधे अंतरण और चेक और ड्राफ्ट आते हैं (चार्ट 2)। आकार-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि सभी रिपोर्ट किए गए लेनदेनों का 70.3 प्रतिशत \$500 अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक के

⁵ तथापि, आरबीआई के विनियमों के अनुसार जब आरडीए की कुल संख्या 20 पर पहुंच जाती है, एडी श्रेणी-1 बैंक (आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार सभी चालू खाता और पूंजी खाता को शामिल करते हुए विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक) अपनी आंतरिक प्रणाली की विस्तृत बाह्य लेखा-परीक्षा करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं, और ऐसी अधिक व्यवस्थाओं को प्राधिकृत किया जा सके।



और केवल 2.7 प्रतिशत लेनदेन यूएस\$200 के बराबर या उससे कम राशि श्रेणी के थे (चार्ट 3)।

बैंकों से प्राप्त प्रतिसादों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि भारतीय निवासियों द्वारा प्राप्त किए गए विप्रेषणों में से आधे से ज्यादा का उपयोग परिवार के रखरखाव (अर्थात् उपभोग) के लिए, उसके बाद बैंकों में जमाराशियों (20 प्रतिशत) और भू-संपदा और शयरो में निवेश (8.3 प्रतिशत) के लिए किया गया।




4. विप्रेषणों की लागत

सीमा-पार विप्रेषण लेनदेनों में प्रेषक और प्राप्तकर्ता, दोनों के द्वारा लागत अपरिहार्य है, और वे इन लागतों के प्रति संवेदनशील होते हैं (गिब्सन और अन्य)। विश्व बैंक, और विशेषतः जी20 इन लागतों को कम करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यद्यपि वैश्विक विप्रेषणों के एक बड़े भाग की सुपुर्दगी अंतरसंबद्ध बैंकों और मुद्रा अंतरण परिचालकों (एमटीओ) द्वारा की जाती है, किंतु धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) करने संबंधी विनियमों के कारण विभिन्न क्षेत्राधिकारों में यह नेटवर्क सिमट रहा है। वास्तव में, बर्कलेज, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बहुराष्ट्रीय बैंकों ने अपना विप्रेषण कारोबार कम कर दिया है और एमटीओ द्वारा धारित खातों को भी बंद कर दिया है। वैश्विक रूप से, बैंकों की अत्यधिक नियत लागतों और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण वे निधियां विप्रेषित करने के लिए खुदरा ग्राहकों का पसंदीदा विकल्प नहीं हैं (चंद्रमौलि, 2012)। वैश्विक रूप से, वर्ष 2018 की पहली तिमाही में \$200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत 7.1 प्रतिशत थी, जो 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के 3 प्रतिशत के लक्ष्य के दोगुने से भी ज्यादा है (विश्व बैंक, 2018)।

विप्रेषण भेजने की लागत अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है – गंतव्य; अंतरण का तरीका; भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर; विप्रेषण का आकार, बाजार प्रतिस्पर्धा का फैलाव; तथा स्रोत और गंतव्य, दोनों देशों में प्रचलित विनियम। इसके अतिरिक्त, विनिमय दर मार्जिन, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित नियत शुल्क, ओरिजिनेटिंग मोड (ऑनलाइन या शाखा), लिखत के प्रकार और संबंधित मध्यस्थों (उदा. संपर्ककर्ता बैंक और लाभार्थी बैंक) के बीच राजस्व के बंटवारे की व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कॉरिडोर के बीच विप्रेषण की लागत भिन्न भिन्न पाई गई है।


4.1 प्रेषकों के लिए विप्रेषण लागत

सामान्यतः प्रेषक ही विप्रेषण की प्रत्यक्ष लागत वहन करता है। इसे सीमापार एजेंट – बैंक अथवा एक्सचेंज हाउस को अदा किया जाता है। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि भारत में आने वाले कुल विप्रेषणों में से लगभग तीन चौथाई भाग को निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भेजा जाता है (चार्ट 5)। इसके अलावा, एक बड़े भाग को आरडीए का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से निजी और विदेशी बैंकों द्वारा, भेजा जाता है (चार्ट 6)।



आरडीए – सबसे महत्वपूर्ण माध्यम – सरकारी बैंकों की तुलना में विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कम महंगा है (सारणी 2)।

सर्वेक्षण के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि भारत में विप्रेषण भेजने की लागत स्रोत/ वॉस्त्रो लेनदेनों के द्वारा एक्सचेंज हाउसों के साथ परिचालन करते हैं, जिसकी लागत 2 से 4 प्रतिशत के



सारणी 2: भारत को 200 अमेरिकी डॉलर एवं 500 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत⁶

प्रतिशत

बैंक का प्रकार/मोड	200 अमेरिकी डॉलर			500 अमेरिकी डॉलर		
	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
सीधे बैंक खाते में अंतरण/इलेक्ट्रॉनिक वायर	0-6.7	0-4.0	0-2.1	0-5.5	0-1.7	0-3.1
स्विफ्ट	0-21.3	0-22.7	0-12.7	0-8.6	0-9.2	0-7.7
आरडीए/वोस्त्रो खाता	0-13.5	0-11.8	0-8.5	0-5.5	0-4.8	0-14.1

बीच होती है, जो गैर-जीसीसी देशों की तुलना में कम है (सारणी 3)।

सर्वेक्षण से निकाला जा सकने वाला एक अन्य निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिचालन लागत सभी देशों में, आमतौर पर तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, जो विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में किराया होने में कमी लाता है। दूसरी तरफ, निजी क्षेत्र के बैंकों के लागत पैटर्न में सभी देशों में तथा अंतरण के मोड में अंतर होता है। विदेशी बैंक न्यूनतम लागत में कार्य करते हैं, किंतु भारत में मुद्रा के प्रेषण में उनकी भूमिका सीमित है। कर्षों की निर्धारित लागत के अलावा, इन बैंकों के विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन प्रभारों एवं कमीशन की व्यवस्था के चलते बैंकों के बीच लागत में अंतर होता है।

हाल के वर्षों में हुई प्रौद्योगिकीय उन्नति के बावजूद यह पाया गया कि विप्रेषणों की समग्र लागत काफी अधिक बनी हुई है (मेला एवं अन्य, 2017; सेक्केट्टी एवं स्कोएदहोल्ट्ज 2018, विश्व बैंक 2018)। भारत के मामले में, विभिन्न माध्यमों से विप्रेषण की साधारण औसत लागत 5 प्रतिशत के लक्षित स्तर से अधिक बनी हुई है (विश्व बैंक)। हालांकि, भारत औसत के

आधार पर भारत में आने वाले विप्रेषणों की लागत जी20 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तुलनीय प्रतीत होती है।

4.2 विप्रेषणों की लागत का आकलन

विश्व बैंक के तत्वाधान में रिमिटेन्स प्राइस वर्ल्डवाइड (आरपीडब्लू) सभी 365 “कंट्री कॉरिडोर”⁷ में विप्रेषण भेजने की लागत की निगरानी करता है। आरपीडब्लू प्रमुख कोरिडोर⁸ से संबंधित विप्रेषण भेजने की लागत के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए 200 अमेरिकी डॉलर (या समतुल्य) बेंचमार्क आकार का प्रयोग करता है।

- भारत में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत 2013 के 9.1 प्रतिशत से घटकर 2018 की पहली तिमाही में 5.6 प्रतिशत रह गई (500 अमेरिकी डॉलर भेजने के संबंध में 4.9 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत रह गई), हालांकि, देश के भारांक (अर्थात्, प्रत्येक कॉरिडोर से भारत के अंतर्वाही विप्रेषणों के मूल्य) को गणना में शामिल किया जाए तो भारत औसत लागत और भी कम होगी (चार्ट 7 एवं 8)⁹।

⁷ कॉरिडोरों में विप्रेषण भेजने वाले 48 देशों को और प्राप्त करने वाले 105 देशों को शामिल किया गया है। भारत से विप्रेषण भेजे जाने की लागत की जानकारी चार देशों (नामतः, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) के बारे में उपलब्ध है, किंतु भारत में विप्रेषण भेजे जाने की लागत की जानकारी 20 देशों (नामतः, आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कुवैत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, साउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, थाइलैंड, यूएई, यूके एवं यूएस) के बारे में उपलब्ध है।

⁸ 25 मई 2018 को विश्व बैंक के आरपीडब्लू के डाटा रलीज के अनुसार, भेजी गई राशि के रूप में विप्रेषण लागत में कमी के संबंध में वैश्विक लक्ष्यों को 200 अमेरिकी डॉलर (या समतुल्य स्थानीय मुद्रा) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह विशिष्ट विप्रेषण लेनदेन को परिशुद्धतापूर्वक दर्शाता है। हाल के समय तक, आरपीडब्लू 200 अमेरिकी डॉलर की राशि पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। हालांकि, 500 अमेरिकी डॉलर (या समतुल्य) से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं, किंतु विश्व बैंक ने इस उच्चतर राशि के संबंध में प्रवृत्तियों के संक्षिप्त विश्लेषण को जारी करना दिसंबर 2017 से प्रारंभ किया।

⁹ विप्रेषण लागतों में कमी के संबंध में वैश्विक लक्ष्यों के बारे में हुए प्रगति के मापन के लिए आरपीडब्लू सूचकों का प्रयोग किया जाता है। जी8 (लाक्विवा, 2010) एवं जी20 (कैन्स, 2011 एवं ब्रिसेकैन, 2014) ने वैश्विक औसत कुल लागत को 5 प्रतिशत तक घटाने का वचन दिया। 2016 में, जी20 ने लक्ष्य; अर्थात् विप्रेषण की लागत को 3 प्रतिशत से कम करने और एसडीजी के रूप में 2030 तक लागत के 5 प्रतिशत से अधिक लागत वाले कॉरिडोरों के विप्रेषणों को समाप्त किए जाने, को शामिल करते हुए अपने कार्य को 2030 के एजेंडा के अनुरूप बनाया।


सारणी 3: प्रेषणकर्ता द्वारा वहन की गई अधिकतम लागत : क्षेत्र-वार

लिखत	200 अमेरिकी डॉलर		500 अमेरिकी डॉलर	
	गल्फ के देश	गल्फ से इतर देश	गल्फ के देश	गल्फ से इतर देश
आरडीए/वोस्त्रो खाता	4.4	13.5	1.9	5.5

टिप्पणी: प्राप्तकर्ता शीर्ष 10 बैंकों से प्राप्त सूचना पर आधारित।

⁶ सर्वेक्षण के तहत विप्रेषण भेजने की रिपोर्ट की गई लागत में विभिन्न बैंकों में काफी अंतर है, इसलिए इसे दायरे के रूप में दर्शाया गया है।


चार्ट 7: 2018 की पहली तिमाही में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत



स्रोत : विश्व बैंक

- थाइलैंड और जापान के साथ का कॉरिडोर विशेषरूप से महंगा है, जिसमें मूलधन के 10 प्रतिशत से अधिक लागत लगती है। हालांकि, आने वाले कुल विप्रेषणों में इन देशों की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत थी (चार्ट 9)।
- उच्च लागत वाले कॉरिडोरों (उदा. थाइलैंड और जापान) से विप्रेषण भेजने की लागत अन्य प्रमुख विप्रेषण कॉरिडोरों के मामलों में भी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जो यह दर्शाता है कि इन देशों में

चार्ट 8: 2018 की पहली तिमाही में 500 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत




स्रोत : विश्व बैंक

विप्रेषणों से संबंधित वित्तीय सेवाएं महंगी हो सकती हैं (चार्ट 10)।


- बैंकों और एमटीओ के माध्यम से भारत को 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत घट जाने (चार्ट 11) के बावजूद बैंकों के प्रभार एमटीओ द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों के लगभग दोगुने हैं, जो संभवतः एएमएल/सीएफटी विनियमनों के संबंध में अनुपालन की उच्चतर लागत को दर्शाता है।

चार्ट 9: प्रमुख कॉरिडोर के संबंध में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत




स्रोत : विश्व बैंक।

चार्ट 10: भारत के उच्च लागत वाले कॉरिडोर से अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत



स्रोत : विश्व बैंक।



4.3 प्राप्तकर्ताओं के लिए विप्रेषण की लागत

जैसा कि पहले जिक्र किया गया, विप्रेषण लेनदेन की लागत का कुछ हिस्सा प्राप्तकर्ता को वहन करना पड़ सकता है, जो कमीशन, कर या विदेशी मुद्रा प्रभार के रूप में हो सकता है, जिसका निर्धारण मध्यस्थों के बीच हुए करार की प्रकृति पर निर्भर होगी। सर्वेक्षण के परिणामों से प्राप्तकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली लागत में बहुत अंतर होने का पता चलता है, जिसमें सभी स्रोत देशों और अंतरण के मोड में विभेदन भी शामिल हैं।

विभिन्न मोड (चेकों एवं ड्रॉफ्टों को छोड़कर) के माध्यम से 200 अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने की लागत में, सभी बैंकों में, विप्रेषित राशि के शून्य से 13.3 प्रतिशत तक परिवर्तन हुआ है। यह लागत सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी एवं विदेशी बैंकों की तुलना में कम रही। विशेषरूप से, निजी क्षेत्र के बैंकों के

पास विप्रेषण कारोबार का बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद वे शून्य से 12.6 प्रतिशत के दायरे में प्रभार लगाते हैं। 500 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण के मामले में, सभी बैंकों में यह लागत आधी हो जाती है; हालांकि, यह बैंकों के लिए बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। जीसीसी देशों के मामले में, एक्सचेंज हाउसों से समझौता वाले बैंकों के खाता-से-खाता लेनदेन हो रहे हैं। इसके कारण प्राप्त होने वाले विप्रेषणों की प्रभावी लागत शून्य हो जा रही है, सिर्फ कर वाले हिस्से की कटौती की जाती है।

4.4 मुद्रा अंतरण के परिचालन

पूरी दुनिया के विप्रेषण क्षेत्र में गैर-बैंकिंग प्रतिभागियों के बीच, एमटीओ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एमटीओ वित्तीय कंपनियां होती हैं जो उनके ग्राहकों की तरफ से, या तो आंतरिक प्रणालियों का प्रयोग करते हुए या फिर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क का प्रयोग करते हुए, निधियों का अंतरराष्ट्रीय अंतरण करने का कार्य करते हैं। भारत के मामले में भी, एमटीओ उन प्रवासी कामगारों की जरूरतों को पूरा करके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, जो वित्तीय निरक्षरता सहित विभिन्न कारणों से बैंकिंग माध्यम का प्रयोग कर पाने में सक्षम नहीं हैं। प्रवासी भारतीयों को सेवाएं प्रदान करने वाले एमटीओ विप्रेषणों के अंतरण हेतु उनके स्वयं के आउटलेटों या अन्य अंतरण एजेंटों (उदा. बैंक, एक्सचेंज ब्यूरो, डाक घर, सेल फोन सेंटर, ट्रेवल एजेंसी, ड्रग स्टोर्स एवं गैस स्टेशन) के नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एमटीओ के माध्यम से विप्रेषण की लागत बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धी है और वे सामान्यतः कम मूल्य के नकदी लेनदेन के लिए लोकप्रिय हैं। वस्तुतः, फिनटेक में हुई हाल की तीव्र वृद्धि ने एमटीओ को विप्रेषण के कारोबार में बैंकिंग क्षेत्र के प्रभुत्व को चुनौती प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाया (बॉक्स II)।

सारणी 4: भारत में प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की जाने वाली लागत

प्रतिशत


बैंक का प्रकार/मोड	200 अमेरिकी डॉलर			500 अमेरिकी डॉलर		
	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
सीधे बैंक खाते में अंतरण/इलेक्ट्रॉनिक वायर	0-1.5	0-1.9	0-2.0	0-0.7	0-1.1	0-0.8
स्विफ्ट	0.5-4.4	0-12.7	0-13.3	0-2.5	0-6.3	0-5.4
आरडीए/वोस्त्रो खाता	0-2.4	0-4.5	0-5.5	0-1.0	0-1.8	0-2.0
अन्य (चेक एवं ड्रॉफ्ट सहित)	0-2.3	0-12.6	0-40.4	0-1.0	0-5.1	0-16.4

बॉक्स 11: एमटीओ के परिचालन एवं लागत संबंधी पहलू

एमटीओ मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अधीन सीमा-पार निधि अंतरणों के विशेष विक्रय अधिकार आधारित नेटवर्क (फ्रेंचाइज्ड नेटवर्क) के माध्यम से परिचालन करते हैं। इसके अंतर्गत विदेश स्थित प्रतिष्ठित मुद्रा अंतरण कंपनियों, जिन्हें 'ओवरसीज प्रिंसिपल' के रूप में जाना जाता है और भारत में स्थित अभिकर्ताओं (ऐजेंट), जिन्हें 'इंडियन ऐजेंट्स' के रूप में जाना जाता है; के बीच गठबंधन होता है। इनमें से बाद वाले, अर्थात् इंडियन ऐजेंट्स सीधे तौर पर या फिर उप-अभिकर्ताओं के माध्यम से अंतिम लाभार्थी के लिए आहरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं (आरेख 1)। 'ओवरसीज प्रिंसिपल' को पंजीकृत संस्था होना चाहिए, जिसे मुद्रा अंतरण संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु मेजबान देश के वित्तीय विनियामकीय प्राधिकार द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस एक्ट) 2007 के तहत भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (भा.रि.बैं.) की अनुमति से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) जारी की गई होना चाहिए। इंडियन ऐजेंट को एडी-1 या एडी-11 बैंक अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी), कोई डाक घर होना चाहिए, जो उप-अभिकर्ता, नामतः खुदरा बिक्री केंद्र (रिटेल आउटलेट) एवं वाणिज्यिक संस्थानों को नियुक्त कर सके।

एमटीओ के माध्यम से किए जाने वाले विप्रेषणों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जीसीसी देशों से होता है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि एमटीओ के संबंध में भेजने की औसत लागत बैंकों की तुलना में कम है और विप्रेषणों के अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के होने के साथ लागत का अंतर कम होता जाता है। एमटीओ के माध्यम से 200 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की लागत विप्रेषित की जाने वाली राशि का 0-11.1 प्रतिशत तक होता है, जो बैंकों द्वारा सभी क्षेत्रों (कॉरिडोर) में कुल विप्रेषित की जाने वाली राशि के 0-22.7 प्रतिशत होने की तुलना में काफी कम है। हालांकि, 500 अमेरिकी डॉलर भेजने के मामले

चार्ट 11.1: विभिन्न बैंकों और एमटीओ में भेजने वाले की लागत



स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान।


में लागत का अंतर कम होता है, जो एमटीओ और बैंकों के संबंध में क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत होता है (चार्ट 11.1)।

एमटीओ की तुलना में बैंकों द्वारा विप्रेषण की लागत में अंतर सभी देशों और क्षेत्रों में विद्यमान है, जिसके अंतर्गत पहले वाले, अर्थात् एमटीओ की उपरिलागत संरचना के अपेक्षाकृत कम रहने और समेकित अंतरणों के संबंध में बेहतर विनियम दर होने के कारण उनके मूलभूत सामर्थ्य और किफायती होने में वृद्धि हुई। इसके अलावा, एमटीओ के मामले में, लागत संरचना तुलनात्मक रूप से अधिक परिवर्तनशील है और इस पर त्योहारों, स्थानों, विशेष मूल्यन और विपणन प्रोत्साहनों (मार्केटिंग प्रमोशन) जैसे विभिन्न कारकों का असर पड़ता है। समग्ररूप से, इन लाभों के कारण पैसे भेजने वाले एमटीओ के प्रयोग या अधिक अनौपचारिक एवं जोखिमपूर्ण माध्यमों का प्रयोग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं।


भारत के मामले में, एमटीओ के माध्यम से होने वाले कुल लेनदेन में से 90 प्रतिशत से अधिक नकदी आधार पर किए जाते हैं (चार्ट 11.2)। इन माध्यमों से बेनामी अंतरणों तथा उच्च मूल्य के लेनदेन के बहुत सारे कम मूल्य के लेनदेन में बंट जाने का जोखिम बढ़ सकता है। दूसरी ओर, बैंक बाधारहित और सुरक्षित विप्रेषण माध्यम उपलब्ध कराते हैं, जो सभी

(जारी...)

आरेख 1: एमटीओ के लिए निधि अंतरण-प्रक्रिया



चार्ट 11.2: बैंकों और एमटीओ के लिए विप्रेषणों के प्राथमिक माध्यम (मोड)



स्रोत : विश्व बैंक

5. निष्कर्ष

सारांश रूप में, सर्वेक्षण से विप्रेषणों के विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग हितकारी नीतिगत पारिस्थितिक तंत्र विकसित और तैयार करने में किया जा सकता है। इस तंत्र का उपयोग सुव्यवस्थित ढंग से न्यूनतम लागत पर भारत में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा को विकसित करने और उसमें वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है, ताकि कल्याण संबंधी लाभ भेजने वालों, प्राप्तकर्ताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलें। सर्वाधिक आने वाला विप्रेषण केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक को प्राप्त होता है। यह ऐसी विशेषता है जिसका प्रयोग विप्रेषण प्रवाह के पसंदीदा स्थान के चुनाव के लिए किया जा सकता है और जिन राज्यों को अपेक्षाकृत कम विप्रेषण की प्राप्ति होती है उनके लिए यह अनुकरणीय है क्योंकि भारत की जनसंख्या का हिस्सा, जिसमें हमेशा वृद्धि हुई है; काम की तलाश में, जो उनके कौशल और जनांकिकी के अनुरूप हो, विदेशों में जाता है। जीसीसी देश विप्रेषण के प्रमुख स्रोत हैं और विभिन्न एक्सचेंज हाउसों के साथ कारोबारी समझौतों के कारण अन्य देशों से विप्रेषण की तुलना में कम लागत पर विप्रेषणों की सुविधा प्राप्त हुई। इन स्रोतों - जी2जी; बी2बी; एवं पी2पी,¹⁰ की क्राउडिंग-इन, को पल्लवित करने हेतु इन्हें प्राथमिकता प्रदान करने की जरूरत है ताकि टिकेट साइज को बढ़ाया जा सके और लागत को

¹⁰ जी2जी: सरकार से सरकार को; बी2बी: कारोबार से कारोबार को; पी2पी: व्यक्ति से व्यक्ति को होने वाले लेनदेन।

विनियामकीय अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, किंतु उनकी लागत अधिक होती है।

संदर्भ

इंटरनेशनल रिमिटेंसेज, फिनैकल फ्रॉम इन्फोसिस, अक्टूबर 2011.

मुद्रा अंतरण सेवा योजना से संबंधित मास्टर परिपत्र, मास्टर परिपत्र सं. 1/2015-16, जुलाई 2015, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasterCirculars.aspx?Id=9895&Mode=0

मास्टर निर्देश - मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस), फरवरी 2017, एफईडी मास्टर निदेश सं. 1/2016-17, <https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=10868&fn=5&Mode=0>

कम किया जा सके। इसके अलावा, सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि बैंकों की आरडीए की बेहतर उपलब्धता होने के बावजूद एमटीओ द्वारा लगाई जाने वाली समग्र लागत काफी कम है। ऐसा होना कम मूल्य के विप्रेषण कारोबार और डायनेमिक कॉस्ट स्ट्रक्चर में उनके कोर लाभों के कारण होने की संभावना है। तदनुसार, एमटीओ तथा वे जिस नीतिगत ढांचे के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उसे पुनर्समायोजित करने की जरूरत है ताकि वे बड़ी और संभावनापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में कार्य कर सकें तथा उन्हें बैंकों की तुलना में समान परिस्थितियां मिल सकें। ऐसा किए जाने के लिए एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की सावधानी पूर्वक समीक्षा किए जाने की जरूरत होगी, जो चातुर्यपूर्ण, पारदर्शी और प्रभावी हो किंतु छोटे परिचालनकर्ताओं और नेटवर्कों के लिए सहायक हो। ये नीतिगत उपाय किए जाने के क्रम में, भारत ने तुलनात्मक लाभ के रूप में शुरुआत की है। आरपीडब्लू से लिए गए कॉरिडोर-वार आंकड़े से पता चलता है कि भारत में विप्रेषण भेजने की भारत औसत लागत विश्व बैंक द्वारा निर्धारित साधारण औसत लागत, जिसका प्रयोग विप्रेषण लागतों में कमी लाने में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए की जाती है, की तुलना में कम है।

संदर्भ :

सेसेट्टी, स्टीफन एवं किम स्कोन्होल्ड्ज (2018), “द स्टर्बॉर्नली हाई कॉस्ट ऑफ रिमिटेंसेज”, <https://voxeu.org/article/stubbornly-high-cost-remittances>.

चंद्रमौली, आनंद (2012), "रिमिटेंस मार्केट : रेडी एंड वेटिंग फॉर इट्स 'स्काइप' मॉमेंट", *कॉग्निजेंट रिपोर्ट*, नवंबर.

गिब्सन, जे. एंड एच. रोहोरुआ (2006), "हाउ कॉस्ट इलास्टिक आर रिमिटेंसेज ? इविडेंस फ्रॉम टोंगन माइग्रेंट्स इन न्यूजीलैंड", *पेसिफिक इकोनॉमिक बुलेटिन*, खंड.21(1) : 112-128.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2009), *इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इन रिमिटेंसेज : गाइड फॉर कंपाइलर्स एंड यूजर्स*, सांख्यिकी विभाग, आईएमएफ, वाशिंगटन, डी.सी. ।

कॉस्से, अन्नेके एवं रॉबर्ट वेर्मेउलेन (2014), "माइग्रेंट्स चॉइस ऑफ रिमिटेंस चैनल : डू जनरल पेमेंट हैबिट्स प्ले ए रोल ?", *ईसीबी वर्किंग पेपर सीरीज नं. 1683*, जून ।

मेला, माउरो (2017), "क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंसेज प्राइसिंग – डज मार्केट स्ट्रक्चर ड्राइव द प्राइसेज फॉर क्रॉस-बॉर्डर रिमिटेंसेज इन साउथ अफ्रीका ?", *फिनमार्क ट्रस्ट रिपोर्ट* ।

भारतीय रिजर्व बैंक (2006), *भारतीय रुपया (आईएनआर) के विप्रेषण की लागत से संबंधित कार्य दल की रिपोर्ट* ।

भारतीय रिजर्व बैंक (2016), *वार्षिक रिपोर्ट 2015-16*.

दुनिया भर में विश्व बैंक के विप्रेषणों का डाटाबेस ।

विश्व बैंक (2018), *माइग्रेशन एंड रिमिटेंसेज – रीसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक*, अप्रैल, 2018.

भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्व*

भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के निर्धार तत्वों के विश्लेषण से राज्यों के बीच मुद्रास्फीति में मौजूद व्यापक फैलाव के बारे में पता चलता है, जिसका मुख्य कारण खाद्य मूल्य आधारित मुद्रास्फीति है। राज्य स्तर की मुद्रास्फीति समय के साथ राष्ट्रीय औसत में परिवर्तित हो जाती है, हालांकि, भारत में मौद्रिक नीति हेतु सांकेतिक आधार के रूप में राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति को मानक माना जाता है।

परिचय

संख्यात्मक लक्ष्य के रूप में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति (अखिल भारतीय संयुक्त) के साथ भारत में एक लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को अपनाने के बाद, मुद्रास्फीति दर नवंबर 2013 के 11.5 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 3.6 प्रतिशत के औसत स्तर पर आ गई है। मुद्रास्फीति में यह गिरावट सपाट नहीं रही है, इसमें मौसमी बढ़ोतरी, बाधा उत्पन्न करने वाले आघात जिसमें विमुद्रीकरण, माल एवं सेवा कर (जीएसटी), किसानों/ ट्रांसपोर्टर्स के आंदोलन, चक्रीय, अनियमित और नीति-संबंधी बलों के संयोजन से खाद्य मुद्रास्फीति में गहरी गिरावट और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उच्च अस्थिरता शामिल रही है। नतीजतन, मुद्रास्फीति में आमतौर पर राज्यों में कमी आयी, लेकिन इसमें काफी अंतर बना रहा।

मुद्रास्फीति को लक्ष्य (आईटी) निर्धारित करने वाले किसी केंद्रीय बैंक के लिए, मूल्य संचरणों में क्षेत्रीय में विविधता मौद्रिक नीति के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकती है। एक अर्थव्यवस्था के भीतर ही क्षेत्रों के बीच बड़े मुद्रास्फीतिक अंतराल वास्तविक ब्याज दरों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव उत्पन्न कर सकते हैं और परिणामस्वरूप, कुल मांग के स्तरों को भी प्रभावित कर सकते हैं (सेकेट्टी एवं अन्य, 2002; बेक एवं

* यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के मूल्य और मौद्रिक अनुसंधान प्रभाग में कार्यरत श्रीमती सुजाता कुंडू, श्री विमल किशोर और श्री बिनोद बी. भोई द्वारा बनाया गया है। लेखक श्री एस. पट्टनायक, परामर्शदाता, डीईपीआर द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

अन्य, 2009)। सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का उच्च फैलाव मजदूरी दरों और जीवन स्तर के संदर्भ में श्रम बाजारों को भी प्रभावित कर सकता है। मुद्रास्फीति के क्षेत्रीय आयामों की अनदेखी, सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान रूप से संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मौद्रिक नीति के प्रभावों को सीमित कर सकती है (बेक एंड वेबर, 2005; वीयरस्ट्रेस एवं अन्य, 2011)। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, नए मौद्रिक नीति ढांचे की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कम और स्थिर मुद्रास्फीति के लाभ सभी क्षेत्रों और राज्यों को समान रूप से प्राप्त हों और समाज के अत्यधिक व्यापक वर्ग द्वारा उसकी स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक, भौगोलिक और संरचनात्मक कारकों के संदर्भ में भारतीय राज्यों के बीच मौजूद व्यापक असमानताएं इस बात की आवश्यकता उत्पन्न करती हैं कि क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के फैलाव में उनकी भूमिका और राष्ट्रीय मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले तत्संबंधी प्रभाव का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त, चूंकि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) राज्य स्तरीय मूल्य सूचकांकों के भारित औसत के रूप में समेकित किया जाता है, अर्थात् नीचे से ऊपर दृष्टिकोण के आधार पर, जिससे राज्यों में संबंधित मूल्य संचरणों का प्रभाव समग्र मुद्रास्फीतिक परिणामों पर पड़ेगा। तदनुसार, भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति की संरचना के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण इस आलेख की मुख्य अभिप्रेरणा है। संक्षेप में, यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय फैलाव काफी अधिक है, हालांकि यह मुख्य रूप से आपूर्ति पक्ष के खाद्य संबंधी आघातों से प्रभावित होता है। अनुमानित कर्नेल घनत्व क्रियाविधि और साथ ही बीटा (β) अभिसरण परीक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि नमूना अवधि के दौरान क्षेत्रीय मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय औसत मुद्रास्फीति की ओर अभिसरित होती है।

शेष आलेख पांच भागों में बंटा हुआ है। भाग II मुद्रास्फीति और इसमें आने वाले उतार-चढ़ावों का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर एक विस्तृत विश्लेषण समेकित रूप में और अलग-अलग रूप में प्रदान करता है, ताकि भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीतिक फैलाव की बनावट और परिचालन को समझा जा सके। भाग III क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के निर्धारक धारकों और मौद्रिक नीति पर विभिन्न देशों के दृष्टिकोण से सैद्धांतिक और अनुभवजन्य साहित्य के लिए किए गए चुनिंदा योगदानों पर आधारित है। राज्यों के बीच मौजूद मुद्रास्फीति दरों के राष्ट्रीय मुद्रास्फीति स्तर के प्रति अभिसरण


लेख

का अनुभवों के आधार पर परीक्षण भाग IV में किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर एकल मुद्रास्फीति लक्ष्य उचित है। भाग V समापक टिप्पणियों और नीतिगत निहितार्थ प्रदान करता है।


II. कुछ उल्लेखनीय राष्ट्रीय/क्षेत्रीय विशेषताएं

दिसंबर 2013 में शुरू होकर, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति¹ ने 2012-13 के 10.0 प्रतिशत के औसत से कम होकर 2017-18 में 3.6 प्रतिशत हो गई है और चालू राजकोषीय वर्ष के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्तूबर 2018) में यह 4.2 प्रतिशत रही। यद्यपि, सितंबर 2016 में कानूनी रूप से लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा गया था, परंतु इसको अपनाने की कार्रवाई हकीकत में पूर्व में की गई प्रतिबद्धताएं थीं जिन्होंने अवस्फीति को प्रारंभ किया और उनसे² प्राप्त लाभों को अर्जित कर समेकित किया (चार्ट 1)।

अखिल भारतीय रुझान के अनुसार, सभी राज्यों में मुद्रास्फीति में कमी आई हालांकि पूर्व में बताई गई स्थिति के संदर्भ में इसमें काफी अंतराल रहा (चार्ट 2)।



उल्लेखनीय रूप से, उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ-साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में सभी दक्षिणी राज्यों में



¹ हेडलाइन मुद्रास्फीति अखिल भारतीय सीपीआई-सी में हुए वर्ष-दर-वर्ष के परिवर्तनों द्वारा मापी जाती है जिसमें आधार वर्ष 2012=100 है और इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

² जनवरी 2014 में रिज़र्व बैंक ने स्वतः लागू करते हुए हेडलाइन मुद्रास्फीति को क्रमिक रूप से नीचे लाने का लक्ष्य अपनाया ताकि इसे 2014 के अंत तक 8 प्रतिशत, 2015 के अंत तक 6 प्रतिशत और 2016 के अंत तक 5 प्रतिशत के स्तर तक लाया जा सके- जिसे मुद्रास्फीति के लिए ग्लाइड पथ कहा जाता है (पात्र-2017)। मई 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन के साथ लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआइटी) मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को सांविधिक आधार प्रदान किया गया जिसके तहत संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया। मूल्य स्थिरता को आंकिक मुद्रास्फीति लक्ष्य (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन अर्थात् सीपीआई-सी) के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जिसे सरकार द्वारा 4 प्रतिशत पर, ऊपरी सहिष्णुता सीमा 6 प्रतिशत और न्यूनतम सहिष्णुता सीमा 2 प्रतिशत के स्तर के साथ निर्धारित किया गया है।

औसत से अधिक मुद्रास्फीति थी। बिहार में उच्चतम मुद्रास्फीति 16.1 प्रतिशत (नवंबर 2013) दर्ज की गई जबकि छत्तीसगढ़ में मुद्रास्फीति स्तर न्यूनतम (-) 2.3 प्रतिशत (जून 2017) दर्ज की गई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम मुद्रास्फीति 11.5 प्रतिशत (नवंबर 2013) और न्यूनतम 1.5 प्रतिशत (जून 2017) दर्ज की गई।


अंत-वर्ष अस्थिरता (मासिक-वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर के मानक विचलन द्वारा मापा जाता है) अखिल भारतीय और राज्य स्तर (चार्ट 3) दोनों पर काफी भिन्न रही। सामान्यतः, माध्य मुद्रास्फीति में कमी आने के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता में वृद्धि हुई है इसमें 2015-16 एक अपवाद है। इसी प्रकार का एक पैटर्न राज्य स्तर पर देखा गया है, जिसमें मुद्रास्फीति की अस्थिरता राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट हुई है, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में अन्य क्षेत्रों और अखिल भारतीय स्तर की तुलना में मुद्रास्फीति उच्चतर अनुभव रही (सारणी 1)।

इस अवधि में, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की अस्थिरता किसी ने भी उल्लेखनीय सह-संचरण प्रदर्शित नहीं किया, जो कि दस्तावेजों में उल्लिखित³ दो-तरफा कारण-कार्य-संबंध के विपरीत है। वास्तव में, 2012-13 में जब मुद्रास्फीति औसतन

10.0 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी, तब अध्ययन की अवधि में इसकी अस्थिरता सबसे कम 0.5 प्रतिशत थी; 2017-18 में औसत मुद्रास्फीति जब 3.6 प्रतिशत के अपने न्यूनतम स्तर पर थी तब इसकी अस्थिरता बढ़कर 1.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट 4ए)। तथापि, क्षेत्रीय परिदृश्य में इस संबंध में नाटकीय रूप से परिवर्तन होता है। अखिल भारतीय पैटर्न के विपरीत, 2012-13 से 2017-18 के दौरान राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की अस्थिरता में एक जैसा संचरण हुआ (4 चार्ट बी)। एक और दिलचस्प अवलोकन यह है कि जिन राज्यों/क्षेत्रों में औसतन उच्च स्तर पर रही (जैसे, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) वहां भी मुद्रास्फीति में उच्च अस्थिरता दर्ज की गई।

भिन्न-भिन्न स्तरों पर, अखिल भारतीय हेडलाइन मुद्रास्फीति को खाद्य मुद्रास्फीति में हुए परिवर्तनों ने प्रभावित किया (चार्ट 5ए)। वास्तव में, 2017-18 के दौरान मुद्रास्फीति में तेज गिरावट का मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति के कारण आई क्योंकि समग्र मुद्रास्फीति में इसकी भागीदारी पिछले पाँच वर्षों के औसत 52 प्रतिशत से कम होकर 30 प्रतिशत के नीचे आ गई (चार्ट 5 बी)। अन्य प्रमुख योगदानकर्ता विविध समूह (जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों सहित विविध वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं) और आवास किराया रहे।

चार्ट 3: मुद्रास्फीतिक अस्थिरता – अखिल-भारत और राज्य



टिप्पणी: खंडित काली रेखा अखिल भारतीय हेडलाइन मुद्रास्फीतिक अस्थिरता दर्शाती है। एक बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए इस चार्ट में 21 प्रमुख राज्य और उत्तर-पूर्व तथा संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। मुद्रास्फीतिक अस्थिरता को मुद्रास्फीति के मानक विचलन द्वारा मापा गया है।

स्रोत: सीएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ की गणनाएं।

³ फ्राइडमैन-बॉल हाइपोथिसिस के अनुसार मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है, दूसरी ओर क्यूकिरमैन-मेल्टज़र के तर्कों के अनुसार, उच्चतर मुद्रास्फीतिक अस्थिरता मुद्रास्फीति में इजाफा करती है (किम एंड लिन, 2012; होसन एंड आरवाँचानाकर्ण, 2016)।


सारणी 1: क्षेत्रीय सीपीआई-सी मुद्रास्फीति - प्रमुख सारांश सांख्यिकी (2012-13 से 2017-18)

	अखिल भारतीय सीपीआई में भार	माध्य	अधिकतम	न्यूनतम	मानक विचलन	तिर्यकता	कर्टोसिस
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	24.67	6.1	11.8	1.4	2.9	0.4	-1.2
हरियाणा	3.30	5.8	11.1	2.5	2.2	0.5	-0.8
हिमाचल प्रदेश	1.03	6.5	12.5	2.6	2.5	0.5	-1.0
जे.एंड के.	1.14	6.7	10.6	3.2	1.7	-0.2	-0.2
पंजाब	3.31	5.9	11.0	2.1	2.6	0.4	-1.1
यूपी	14.83	6.2	12.2	0.4	3.4	0.3	-1.2
उत्तराखंड	1.06	5.6	11.5	1.8	2.8	0.6	-1.0
पश्चिमी क्षेत्र	19.56	6.2	10.3	1.5	2.3	0.3	-1.1
गुजरात	4.5	6.0	10.8	0.2	2.5	0.1	-0.8
गोवा	0.1	6.3	11.8	1.7	2.6	0.5	-0.3
महाराष्ट्र	8.3	5.9	10.3	2.1	2.2	0.5	-1.0
राजस्थान	6.6	6.7	11.1	1.7	2.5	0.1	-1.0
मध्य क्षेत्र	6.61	6.1	12.6	-0.5	3.2	0.1	-1.0
छत्तीसगढ़	1.68	6.7	15.2	-2.3	3.7	-0.2	-0.3
एमपी	4.93	5.9	11.7	0.2	3.1	0.3	-1.2
पूर्वी क्षेत्र	20.09	6.6	14.8	0.8	3.5	0.3	-1.1
बिहार	8.21	6.7	16.1	0.8	3.9	0.4	-1.1
झारखंड	1.96	6.7	13.5	0.5	3.2	0.3	-1.0
ओडिशा	2.93	6.6	15.2	-0.6	3.3	-0.2	-0.3
पश्चिम बंगाल	6.99	6.5	13.6	1.2	3.5	0.2	-1.3
दक्षिणी क्षेत्र	24.70	6.8	11.5	2.0	2.6	0.4	-1.0
आंध्र प्रदेश	5.40	6.9	12.0	0.7	3.0	-0.2	-0.9
कर्नाटक	5.09	6.9	12.8	1.5	3.0	0.2	-0.9
केरल	5.50	6.7	11.1	2.9	2.4	0.3	-1.0
तमिलनाडु	5.55	6.9	11.9	1.5	2.9	0.4	-0.9
तेलंगाना	3.16	6.9	13.8	1.6	3.1	0.7	-0.7
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	3.90	6.3	11.6	2.3	2.6	0.2	-1.3
जिसमें से असम	2.63	6.1	11.7	1.2	3.0	0.0	-1.4
संघ राज्य क्षेत्र	0.5	6.3	10.8	3.0	2.1	0.5	-0.9
अखिल भारत	100.00	6.4	11.5	1.5	2.7	0.3	-1.2


टिप्पणी: बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समूह के रूप में दर्शाया गया है।

स्रोत: सीएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 4: माध्य मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिक अस्थिरता



चार्ट 5: 2012-13 से 2017-18 के दौरान अखिल भारतीय हेडलाइन सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के कारक



स्रोत: सीएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ का अनुमान।


खाद्य मुद्रास्फीति ने भी उच्चतम अस्थिरता (चार्ट 6) प्रदर्शित की, जिसने समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित किया क्योंकि अखिल भारतीय सीपीआई-सी में खाद्य सामग्री का भार (45.9 प्रतिशत) काफी अधिक है।

उप-राष्ट्रीय स्तर पर, औसत खाद्य मुद्रास्फीति और समग्र मुद्रास्फीति के बीच एक सकारात्मक संबंध मौजूद है (चार्ट 7ए)। इसी तरह, समग्र मुद्रास्फीति अस्थिरता और खाद्य मुद्रास्फीति

की अस्थिरता के बीच एक सकारात्मक संबंध राज्यों में देखा जा सकता है (चार्ट 7बी)।

समग्रतः, मुद्रास्फीति स्प्रेड (जिसे राज्य की हेडलाइन मुद्रास्फीति में से अखिल भारतीय हेडलाइन मुद्रास्फीति को घटाकर मापा जाता है) और खाद्य मुद्रास्फीति स्प्रेड के साथ इसकी अस्थिरता (जिसकी माप राज्य खाद्य मुद्रास्फीति में से अखिल भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति को घटाकर की जाती है) के बीच एवं राज्यों में इसकी


चार्ट 6: अप्रैल 2012-मार्च 2018 के दौरान अखिल भारतीय मुद्रास्फीति और प्रमुख उप-समूहों में मुद्रास्फीतिक अस्थिरता



टिप्पणी: X-अक्ष पर कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई-सी में संबंधित समूह के भारों को निरूपित करते हैं।

स्रोत : सीएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ की गणनाएं

चार्ट 7: राज्य स्तरीय मुद्रास्फीति एवं मुद्रास्फीति में घट-बढ़ – समग्ररूप से एवं खाद्य समूह (2012-13 से 2017-18)



टिप्पणी: सभी राज्यों के संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए समूह/उप-समूह स्तरीय भारांक की अनुपलब्धता के कारण उत्तर-पूर्व तथा संघ शासित क्षेत्रों को इस चार्ट में नहीं दर्शाया जा सका। इसलिए सिर्फ असम को शामिल किया गया है जो उत्तर-पूर्व का प्रमुख राज्य है।


स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) एवं भा.रि.बैंक के स्टाफ के अनुमान।

अस्थिरता के साथ एक मज़बूत सह-संचरण मौजूद है जिसका कारण मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं के संभाव्य बाहरी कारक हैं (चार्ट 8)।

सभी राज्यों के बीच आय स्तर के अंतर को राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि के स्प्रेड (राज्य की जीएसडीपी वृद्धि से अखिल भारतीय जीडीपी वृद्धि को घटाकर की गई माप)

के रूप में नियंत्रित करने के समय सभी राज्यों को समाहित करते हुए साधारण पैनेल रिग्रेशन⁴, जिसमें व्याख्यात्मक चर के रूप में सभी राज्यों के खाद्य स्फीति स्प्रेड और निर्भर चर के रूप में मुख्य मुद्रास्फीति स्प्रेड को लिए जाने से पता चलता है कि मुद्रास्फीति स्प्रेड में घटबढ़ के 69 प्रतिशत की व्याख्या सिर्फ खाद्य स्फीति स्प्रेड से हो जाती है (सारणी 2)।

चार्ट 8: राज्य-वार समग्ररूप से औसत एवं खाद्य स्फीति स्प्रेड तथा इसमें घट-बढ़ (अप्रैल 2012 – मार्च 2018)



स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) एवं भा.रि.बैंक के स्टाफ के अनुमान।

⁴ ब्रूश-पैगन लाग्रांज गुणक (एलएम) परीक्षण से पता चलता है कि रेंडम इफेक्ट्स पैनेल रिग्रेशन की तुलना में ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स (ओएलएस) रिग्रेशन अधिक अनुकूल है, हालांकि हमारे परिणामों में दोनों मॉडलों के बीच गुणांकों और उनके महत्व के स्तर में किसी प्रकार के बड़े परिवर्तन नहीं हुए हैं।

सारणी 2: पैन्ल रिग्रेशन के परिणाम

व्याख्यात्मक चर	निर्भर चर: मुख्य मुद्रास्फीति स्प्रेड (20 राज्य #: अवधि : 2012-13 से 2016-17)	
	गुणांक	टी-मान
खाद्य स्फीति स्प्रेड _{it}	0.69	8.80***
जीडीपी वृद्धि स्प्रेड _{it}	-0.04	-1.27
नियतांक	0.11	1.13
प्रेक्षणों की संख्या	100	
एफ (2,97)	39.18***	
आर-वर्ग (स्क्वायर्ड)	0.75	

टिप्पणी: *** 1 प्रतिशत में महत्व के स्तर को दर्शाता है।

#: इसमें आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा शामिल हैं।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) एवं भा.रि.बैंक के स्टाफ के अनुमान।

रिग्रेशन में निम्नलिखित समीकरण से अनुमान लगाया गया है :

$$\text{मुख्य मुद्रास्फीति स्प्रेड}_{it}$$

$$= \alpha + \beta \text{ खाद्य स्फीति स्प्रेड}_{it} + \gamma \text{ जीएसडीपी वृद्धि स्प्रेड}_{it} + \varepsilon_{it}$$

जहां, *i* राज्य को दर्शाता है, *t* राज्य को दर्शाता है और ε त्रुटि को दर्शाती है।

III. साहित्य से ली गई सीख

क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्वों (डायनेमिक्स) और अभिसारिता (कन्वर्जेंस) ने, विशेषरूप से यूरो की शुरुआत होने के बाद (सेक्केट्टी एवं अन्य, 2002; बेक एवं अन्य, 2005; 2009), ध्यान आकर्षित किया है। किसी मौद्रिक संघ में एक मूल्य के कानून की वैधानिकता की जांच करने पर प्राथमिक रूप से ध्यान केंद्रित रहा है। बहुत से कारकों का उदाहरण दिया गया है – सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय नीतियां; आर्थिक, संस्थागत एवं वित्तीय संरचनाएं; उत्पादों में अंतर तथा कारक बाजार (फैक्टर मार्केट) और आर्थिक विकास की वह अवस्था जिससे क्षेत्र गुजर रहा हो (हेन्ड्रिक्स एवं चैपल, 2002)। उपभोग वस्तुओं के अंतर्गत खाद्य की अधिक हिस्सेदारी वाले क्षेत्र के साथ ही साथ वे क्षेत्र जो खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, उनमें भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में मुद्रास्फीति के अधिक स्तर पाए जाने की प्रवृत्ति है।

1980-2004 के दौरान यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति के फैलाव के विश्लेषण में बिखराव की अवधारणा के पक्ष में साक्ष्य पाए

गए हैं, जो विनिमय दर प्रणाली (ईआरएम) की भूमिका की ओर संकेत करते हैं (बुसेट्टि एवं अन्य, 2007)। ऐसा प्रतीत होता है कि यूरो क्षेत्र के लिए एक ही मौद्रिक नीति होने से सभी सदस्य देशों में मुद्रास्फीति को स्थिर रखने में व्यापक रूप से मदद मिली। सभी यूरोपीय क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में अंतर, जो बड़े और दीर्घकालिक पाए गए, के साथ फैलाव के साक्ष्य भी पाए गए (बेक एवं अन्य, 2005; 2009)। इसके विपरीत, अमेरिका के शहरों के बीच मूल्य स्तरों को बहुत असामान्य रूप से निम्न दर पर माध्य की ओर बहाल होते देखा गया (सेक्केट्टी एवं अन्य, 2002), जबकि आय, मजदूरी, जनांककीय संरचना और आवास मूल्य में वृद्धि जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों ने कोरिया में क्षेत्रीय मूल्य के फैलाव की व्याख्या की (चेंग एवं किम, 2017)। दक्षिण-पूर्व एशियाई संकट (सितंबर 1999 से जुलाई 2006) के बाद की अवधि में इंडोनेशिया के 26 क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय मुद्रास्फीति और उसमें उतार-चढ़ाव संकट-पूर्व के वर्षों की तुलना में अधिक रहे (विमान्डा, 2006)। ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में, मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाए जाने की प्रक्रिया को अपनाए जाने के कारण अवस्फीति के अपेक्षाकृत अधिक रहने में सहयोग मिला (बाल्ल एवं शेरीडन, 2004)।

भारत के संबंध में, केंद्र-वार औद्योगिक कार्मिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) आंकड़ों के संबंध में सभी क्षेत्रों में मूल्यों के विभिन्न खंडों के बीच काफी स्वतंत्रता देखी गई, यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्ष मूल्य स्तरों में माध्य की तरफ बहाली की प्रवृत्ति है (दास एवं भट्टाचार्य, 2008)। स्थानिक प्रतिस्पर्धा के संबंध में संस्थानों को मजबूती प्रदान करने – उत्पाद बाजार सुधार (उद्यमिता की बाधाओं राज्य द्वारा कम किए जाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के लिए मुक्त बनाने के रूप में माप की गई) के कारण राज्यों में मुद्रास्फीति अभिसरण हो सका (पिल्लई एवं अन्य, 2002)।

IV. अभिसरण की जांच

इस बात के मद्देनजर कि खाद्य स्फीति स्प्रेड समग्र रूप से मुद्रास्फीति स्प्रेड को दिशा प्रदान करता है, जिसकी पूर्व में चर्चा की गई है, तथा खाद्य स्फीति स्प्रेड मुद्रास्फीति के अन्य अवयवों के स्प्रेड की तुलना में संकरे दायरे में घटता-बढ़ता है (सारणी 3), क्षेत्रीय मुद्रास्फीति दरों के वार्षिक औसत अपसरण की अनुमानित केर्नेल डेंसिटी (इपानिचिनकोव केर्नेल, बैंडविड्थ = 0.40) अप्रैल 2012 और मार्च 2018 के बीच रहे अखिल भारतीय औसत की तुलना में, भारत के विभिन्न राज्यों के मुद्रास्फीति स्प्रेड के

सारणी 3: मुद्रास्फीति – न्यूनतम, अधिकतम और सभी राज्यों में औसत मुद्रास्फीति स्प्रेड में घट-बढ़


(अप्रैल 2012 से मार्च 2018)

उप-समूह	न्यूनतम मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	अधिकतम मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर	मुद्रास्फीति स्प्रेड में घट-बढ़ (प्रतिशतता बिंदुओं में)
खाद्य एवं पेय (45.9)	5.8	8.7	2.9	0.67
पान, नंबाखू एवं नशीले पदार्थ (2.4)	5.1	13.2	8.1	1.36
कपड़े एवं जूते-चप्पल (6.5)	5.0	10.2	5.2	1.03
आवास (10.1)	3.4	9.0	5.6	1.39
ईंधन एवं बिजली (6.8)	-0.1	11.0	11.1	2.06
विविध (28.3)	2.9	6.8	3.9	0.83
सीपीआई-सी (100)	5.4	7.9	2.5	0.60

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए अंक समग्ररूप से सीपीआई-सी में समूह के भारांक को दर्शाते हैं। मुद्रास्फीति स्प्रेड में घट-बढ़ को अखिल भारतीय औसत से मुद्रास्फीति अभिसरण के विभिन्न-खंडों के मानक विचलन के माध्यम से मापा गया है।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) एवं भा.रि.बैंक के स्टाफ के अनुमान।

सापेक्ष लगभग 15 प्रतिशत अंकों के दायरे में घटती-बढ़ती है (चार्ट 9)⁵। इसके आगे, आरेख कमोबेश सममित है, जो यह दर्शाता है कि राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति दरों में राष्ट्रीय औसत मुद्रास्फीति के अनुरूप होने की प्रवृत्ति होती है। इस वितरण की प्रकृति तुगककुदी (लेप्टोकर्टिक) प्रतीत होती है, जो विशिष्ट अवधियों में कुछ राज्यों में स्थानीय मूल्य आघातों की भूमिका के कारण हो सकती है।



⁵ केर्नेल डेंसिटी प्लॉट निखारे गए (स्मूदन्ड) हिस्टोग्राम के तुल्य है। हिस्टोग्राम इस तथ्य से सीमित होते हैं कि असततता (बिन्स के माध्यम से) उनमें अंतर्निहित होती है और वे बिन के आकार के प्रति बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। दूसरी तरफ, केर्नेल डेंसिटी का अनुमान यादृच्छिक चर के प्रायिकता डेंसिटी फंक्शन का अनुमान लगाने का गैर-प्राचलिक तरीका है। वक्र में किन्हीं दो डाटा बिंदुओं के अंतर्गत क्षेत्र, मान लीजिए x_1 और x_2 के बीच, यादृच्छिक चर X के x_1 और x_2 के बीच पाए जाने की प्रायिकता का अनुमान लगाया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि X को उसी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया गया, जिससे केर्नेल डेंसिटी अनुमान के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि की गई थी।

में विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति अंतरालों परिवर्तनीयता और औसत मुद्रास्फीति अंतरालों की प्रवृत्ति से इस प्रेक्षण की पुष्टि होती प्रतीत होती है (चार्ट 10)।

इस पृष्ठभूमि के साथ, मुद्रास्फीति अभिसरण की जांच रेंडम इफेक्ट्स पैनल रिग्रेशन मॉडल में की गई (सारणी 4)। ब्रेउश-पैगन लॉग्रांज गुणक (एलएम) परीक्षण से पता चलता है कि ओएलएस रिग्रेशन रेंडम इफेक्ट्स पैनल रिग्रेशन की तुलना में अधिक उपयुक्त होने का पता चलने के कारण ओएलएस के परिणामों को भी यहां दृढ़ता परीक्षण के रूप में रिपोर्ट किया गया है (सारणी 5)। बीटा (β) अभिसारिता और (σ) सिग्मा अभिसारिता (बुसेट्टी एवं अन्य, 2007; लोपेज एवं पैपेल, 2012; बैरो एवं साला—मार्टिन, 1992; मांकिव एवं अन्य, 1992) अभिसारिता की सर्वाधिक प्रयुक्त माप के रूप में किताबों में उपलब्ध हैं। σ अभिसारिता तब घटित होती है जब विभिन्न क्षेत्रों के बीच किसी दिए गए चर के स्तरों के बिखराव

सारणी 4: बीटा अभिसारिता परीक्षण⁶ के परिणाम


व्याख्यात्मक चर	निर्भर चर: मुद्रास्फीति स्प्रेड (36 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र; अवधि: 2012-13 से 2017-18)	
	गुणांक	जेड-मान
मुद्रास्फीति स्प्रेड _{t-1}	-0.77	-6.06***
नियतांक	0.24	2.16**
प्रेक्षणों की संख्या	180	
वाल्ड चि ² (1)	36.75***	
आर-वर्ग (स्क्वायर्ड)	के भीतर: 0.45; के बीच: 0.19; समग्ररूप से: 0.41	

टिप्पणी: ***, ** एवं * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत में महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

स्रोत: भा.रि.बैंक के स्टाफ के अनुमान।

⁶ नियतांक एवं जेड मान मजबूत मानक त्रुटि के अनुरूप हैं। यादृच्छिक प्रभाव को व्यापक रूप में दर्शाने के लिए लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन किया गया। यादृच्छिक प्रभावों और नीयत प्रभावों के बीच चयन के लिए किया गया पैनल अनुमान हौजमैन परीक्षण पर आधारित था।

चार्ट 10: विभिन्न खंडों के बीच माध्य मुद्रास्फीति अंतर और मुद्रास्फीति अंतर की परिवर्तनशीलता



स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) एवं भा.रि.बैंक के स्टाफ की गणना।

में समय के दौरान कमी की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत, β अभिसरण में उस गति की पहचान की जा सकती है जिसमें काम के चरों के सामान्य बेंचमार्क की तरफ अभिसरण होने पर भी सभी क्षेत्रों के बीच आघात कम हो जाता है (बेक एवं वेबर, 2005)⁷। β अभिसरण में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार अनुमान अपेक्षित होता है –

$$\Delta \text{मुद्रास्फीति स्प्रेड}_{it} = \alpha + \beta \text{मुद्रास्फीति स्प्रेड}_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

जहां, Δ डिफरेंस ऑपरेटर है, मुद्रास्फीति स्प्रेड राज्य की मुद्रास्फीति और अखिल भारतीय मुद्रास्फीति के बीच अंतर की माप

सारणी 5: बीटा अभिसारिता परीक्षण के परिणाम

व्याख्यात्मक चर	निर्भर चर: Δ मुद्रास्फीति स्प्रेड (36 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र; अवधि: 2012-13 से 2017-18)	
	गुणांक	टी-मान
मुद्रास्फीति स्प्रेड _{it-1} नियतांक	-0.77	-6.85***
प्रेक्षणों की संख्या	180	
एफ (1, 178)	46.90***	
आर - वर्ग (स्क्वायर्ड)	0.4148	

टिप्पणी: ***, ** एवं * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत में महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) एवं तक घटाएँ।

⁷ साहित्य में भी मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की घट-बढ़ (विख्यात फ्रीडमैन-बाल एवं कुकिअरमैन-मेल्ट्जर सिद्धांत, जिसका उल्लेख फुटनोट 3 में किया गया है) के बीच द्वि-दिशात्मक संबंध का पता चलता है।

को दर्शाता है, i राज्य को दर्शाता है, t वर्षों को दर्शाता है और ε त्रुटि की माप है। β का आकार अभिसरण की गति, अर्थात् उस गति की माप करता है जिससे क्षेत्रीय मुद्रा स्फीति दरें राष्ट्रीय औसत के अनुरूप हो जाती हैं। नकारात्मक β गुणांक अभिसरण के अस्तित्व की ओर संकेत करता है और β गुणांक का निरपेक्ष मान 1 के जितने करीब होता है अभिसरण की गति उतनी अधिक होती है। हमारे विश्लेषण के परिणाम से बीटा अभिसरण, अर्थात् क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के राष्ट्रीय औसत के करीब अभिसरण होने की पुष्टि होती है (सारणी 4 एवं 5)।

राज्य स्तरीय मुद्रास्फीति के अभिसारित होकर राष्ट्रीय औसत के अनुरूप होने की अंतर्निहित प्रवृत्ति से भारत में राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता मूल्य आधारित (सीपीआई) मुद्रास्फीति के मौद्रिक नीति के संचालन के लिए नाम-मात्र के सहारा (नॉमिनल एंकर) के रूप में अपनाए जाने को बल मिलता है।

v. सारांश एवं समापक प्रेक्षण

सभी राज्यों में मुद्रास्फीति का अधिक फैलाव भारत में क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्वों (डायनेमिक्स) की विशेषता है, जो व्यापक रूप से क्षेत्रीय खाद्य स्फीति के निर्धारक तत्वों (डायनेमिक्स) को दर्शाती है। इसलिए, हमारे परिणामों के रूप में यह पाया जाना आश्चर्यजनक नहीं है कि खाद्य स्फीति स्प्रेड समग्र रूप से सभी राज्यों के समग्र मुद्रास्फीति स्प्रेड का प्राथमिक निर्धारक बन जाता है।

सभी राज्यों की समग्र मुद्रास्फीति के अखिल भारतीय मुख्य मुद्रास्फीति के सहगामी होने की ओर संकेत करने वाले इस अस्वाभाविक तथ्य की पुष्टि सभी राज्यों में वार्षिक औसत मुद्रास्फीति के सममित वितरण से होती है, जिसे केर्नेल डेंसिटी फंक्शन और विभिन्न क्षेत्रों के बीच माध्य मुद्रास्फीति अंतर की अपरिवर्तनशील प्रवृत्ति तथा मुद्रास्फीति अंतर की परिवर्तनशीलता के माध्यम से दर्शाया गया है। β अभिसारिता परीक्षण से सभी राज्यों की मुद्रास्फीति के राष्ट्रीय औसत की ओर बहाल होने की पर्याप्त गति होने की पुष्टि होती है। ये परिणाम, भारत के मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने वाले लचीले ढांचे के तहत राष्ट्रीय-स्तर की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के सांकेतिक निर्धारक के रूप में चयन को बल प्रदान करते हैं।

संदर्भ :

बॉल, एल. एम. और एन. शेरिडन (2004), "डज इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैटर?" 'द इन्फ्लेशन-टारगेटिंग डिबेट' में, एनबीईआर चैप्टर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च, पृष्ठ सं. 249-282।

बारो, रॉबर्ट. जे. और जेवियर साला-इ-मार्टिन (1992), "कन्वर्जेंस", जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 100 (2): 223-251।

बेक, ग्वेंटर डब्ल्यू और एक्सल ए वेबर (2005), "प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्सिटी इन ईएमयू : डज वन साइज फिट ऑल?", वित्तीय अध्ययन केंद्र, वर्किंग पेपर संख्या 2005/30, नवंबर।

बेक, ग्वेंटर डब्ल्यू., कस्टन हुब्रिक और मासिमिलियानो मार्सेलिनो (2009), "रीजनल इन्फ्लेशन डायनेमिक्स विदिन एंड एक्रॉस यूरो एरिया कंट्रीज एंड ए कंपेरिजन विद द यूनाइटेड स्टेट्स", इकोनॉमिक पॉलिसी, जनवरी, पृष्ठ सं. 141-184.

बुसेट्टी, एफ., एफ. फ़र्नी, ए. हार्वे और एफ. वेंडीटी (2007), "इन्फ्लेशन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्सिटी विदिन द यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सेंट्रल बैंकिंग, जून।

सेक्केट्टी, स्टीफन जी., नेल्सन सी. मार्क और रॉबर्ट जे. सोनोरा (2002), "प्राइस इन्डेक्स कन्वर्जेंस एमंग यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज", इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिव्यू, 43 (4), नवंबर।

चांग, ईयू जून और यंग सी किम (2017), "रीजनल रिलेटिव प्राइस डिसपैरिटीज एंड देयर ड्राइविंग फोर्सज", ईस्ट एशियन इकोनॉमिक रिव्यू, सितंबर, 21 (3): 201-230.

दास, एस. और के. भट्टाचार्य (2008), "प्राइस कन्वर्जेंस एक्रॉस रीजन्स इन इंडिया", इंपीरिकल इकोनॉमिक्स 34: 299-13.

हेंड्रिक्स एम. और बी. चैपेल (2002), "रीजनल इन्फ्लेशन डाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ़ ईएमयू एमईबी सीरीज (डिस्कॉन्टिन्यूड) 2002-19, नीदरलैंड्स सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डिपार्टमेंट।

हुसैन, अखंड अख्तर और पोपर्न अरवात्वनकर (2016), "इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी इन थाइलैंड", एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 48 (30): 2792-2806.

किम, डॉंग- ह्योन और शू (चिन लिन (2012), "इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी रिविजिटेड", इंटरनेशनल फाइनेंस, 15 (3): 327-345।

लोपेज, सी. और डी.एच.पापेल (2012), "यूरो एरिया इन्फ्लेशन रेट्स का कन्वर्जेंस", इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंस, एल्सेवियर, 31 (6): 1440-1458.

मैनकिव, एन.जी., डी. रोमर और डी. एन. वेइल (1992), "ए कांट्रीब्यूशन टू द इंपिरिक्स ऑफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ", द क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, 107 (2): पृष्ठ सं. 407- 437.

पात्रा, एम. डी. (2017), "भारत की मौद्रिक नीति समिति के कार्यकाल का एक वर्ष", भा.रि.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में 27 अक्तूबर को दिया गया भाषण।

पिल्लई, पी.एम., एन. शांता और के. पुष्पांजदन (2012), "इन्फ्लेशन इन इंडिया – वाट डू द डाटा रिवील अबाउट रीजनल डाइमेंसन्स?", ग्रोथ डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

वीयरस्ट्रैस, के. बी. एर्ले, एम. कैपलर और ए. सीन (2011), "बिजनेस साइकिल सीक्रोनाइजेशन विदिन द यूरो एरिया : इन सर्च ऑफ़ ऑफ़ ए 'यूरो इफैक्ट' ", ओपन इकोनॉमी रिव्यू, 22 (3): 427- 446.

विमांडा, आर.ई. (2006), "रीजनल इन्फ्लेशन इन इंडोनेशिया : कैरेकटेरिस्टिक, कन्वर्जेंस एंड डेटरमिनेंट्स", वर्किंग पेपर सं. 13, बैंक इंडोनेशिया।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	69
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	70
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	71
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	72
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	73
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	73
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	74
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	75
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	76
9	कुल चलनिधि राशियां	76
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	77
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	77
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	78
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	78
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	79
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	80
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	81
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	82
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	83
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	83
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	83
21	थोक मूल्य सूचकांक	84
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	87
	सरकारी खाते और खजाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	87
24	खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	88
25	खजाना बिलों की नीलामी	88
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	89
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	90
28	वाणिज्यिक पत्र	90
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	90
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	91

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	92
32	विदेशी मुद्रा भंडार	92
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	92
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	93
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	93
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	94
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	94
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	95
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	96
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	97
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	98
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	99
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	100
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	101
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	102
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	103
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	104
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	105
49	राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	106

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2017-18	2016-17	2017-18		2018-19	
		ति4	ति1	ति4	ति1	
	1	2	3	4	5	
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)						
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.5	6.0	5.6	7.6	8.0	
1.1.1 कृषि	3.4	7.1	3.0	4.5	5.3	
1.1.2 उद्योग	5.5	8.1	-0.4	8.0	10.8	
1.1.3 सेवाएं	7.6	4.9	8.5	8.2	7.5	
1.1क अंतिम खपत व्यय	7.2	6.4	8.7	8.1	8.4	
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	7.6	6.0	0.8	14.4	10.0	
	2017-18	2017		2018		
		अगस्त	सितंबर	अगस्त	सितंबर	
	1	2	3	4	5	
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.4	4.8	4.1	4.3	-	
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)						
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
2.1.1 जमाराशियां	6.2	8.9	8.2	8.9	8.1	
2.1.2 ऋण	10.0	6.2	6.5	13.4	12.5	
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10.2	7.1	7.1	13.5	12.6	
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9.5	16.6	16.4	5.1	3.7	
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा						
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	27.4	-5.1	-4.0	19.3	18.6	
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	9.2	6.7	5.6	10.8	9.4	
3 अनुपात (%)						
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.50	20.00	20.00	19.50	19.50	
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	5.0	4.9	4.7	4.9	
3.4 ऋण-जमा अनुपात	75.5	72.6	73.1	75.4	76.1	
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	117.3	**	88.8	70.5	95.3	
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.0	31.0	30.5	30.1	29.2	
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	43.0	*	184.4	84.4	34.5	
4 व्याज दरें (%)						
4.1 नीति रिपो दर	6.00	6.00	6.00	6.50	6.50	
4.2 रिवर्स रिपो दर	5.75	5.75	5.75	6.25	6.25	
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.25	6.25	6.25	6.75	6.75	
4.4 बैंक दर	6.25	6.25	6.25	6.75	6.75	
4.5 आधार दर	8.65/9.45	9.00/9.55	9.00/9.55	8.75/9.45	8.85/9.45	
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.80/7.95	7.75/8.10	7.75/8.10	7.90/8.05	7.90/8.30	
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/6.75	6.25/6.75	6.25/6.75	6.25/7.25	6.25/7.25	
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	
4.9 मांग मुद्रा दर (भारत औसत)	6.15	5.93	5.88	6.36	6.49	
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.11	6.11	6.11	6.81	7.19	
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.33	6.22	6.22	7.02	7.42	
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.49	6.25	6.24	7.33	7.73	
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.42	6.65	6.83	7.95	8.00	
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया						
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	65.04	64.07	65.36	70.93	72.55	
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	80.62	75.58	77.06	82.84	84.44	
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमेरिकी डालर						
1-माह (%)	4.61	4.68	4.96	4.40	4.96	
3-माह (%)	4.37	4.53	4.28	4.34	4.58	
6-माह (%)	4.21	4.48	4.19	4.22	4.36	
6 मुद्रास्फीति (%)						
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.6	3.3	3.3	3.7	3.8	
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.1	2.5	2.9	5.6	5.6	
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	2.9	3.2	3.1	4.5	5.1	
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.4	3.0	0.7	-0.2	3.0	
6.3.2 ईंधन और पावर	8.2	9.9	10.5	17.7	16.7	
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.7	2.4	3.0	4.4	4.2	
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)						
7.1 आयात	20.9	23.1	19.2	25.6	10.5	
7.2 निर्यात	10.0	8.1	25.5	19.5	-2.3	

फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/ 14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

** हर और अंश नकारात्मक है।

* हर नकारात्मक/नगण्य है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2017-18	2017	2018				
			अक्टूबर	सितंबर 28	अक्टूबर 5	अक्टूबर 12	अक्टूबर 19
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	18,044.20	16,091.94	18,995.47	19,106.45	19,309.85	19,430.65	19,355.66
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.15	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	18,044.35	16,092.10	18,995.60	19,106.58	19,309.98	19,430.77	19,355.78
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	733.81	727.46	720.80	735.62	735.62	735.62	735.62
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	17,303.70	15,356.67	18,265.75	18,361.95	18,565.46	18,686.31	18,611.42
1.2.3 रुपया सिक्का	6.84	7.97	9.05	9.01	8.90	8.84	8.74
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	9,854.76	8,149.29	7,210.22	7,249.10	6,375.21	6,065.40	6,229.78
2.1.1.1 केंद्र सरकार	68.08	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	946.73	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	6.51	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,256.86	4,370.59	5,051.27	4,829.04	4,738.89	5,101.40	4,747.61
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	48.28	34.01	35.76	36.06	36.27	34.54	34.59
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	25.49	17.54	21.36	20.13	21.22	19.99	19.89
2.1.1.7 अन्य बैंक	305.66	255.32	285.71	278.31	278.70	279.45	278.07
2.1.1.8 अन्य	4,143.88	2,523.65	1,800.20	2,084.13	1,284.12	621.18	1,140.76
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	-	-	14.49	-	14.59	7.41	7.43
2.1.2 अन्य देयताएं	9,141.27	8,876.17	11,294.72	11,662.02	11,780.88	11,619.26	11,521.38
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	18,996.03	17,025.46	18,504.94	18,911.12	18,156.09	17,684.66	17,751.16
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.15	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	8,887.95	9,207.53	9,276.52	9,497.31	8,989.93	8,666.82	8,614.53
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	597.69	368.49	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	7.39	2.53	2.45	64.37	68.79	70.47	17.82
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2,739.78	327.40	1,796.16	1,338.42	1,170.69	1,274.52	1,326.08
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.35	-	0.35	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	106.75	48.34	58.24	53.07	55.55	58.60	58.80
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	-	-	14.49	-	14.59	7.41	7.43
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	6,369.76	6,734.24	6,558.79	6,543.40	6,663.58	6,781.87	6,896.53
2.2.6 अन्य आस्तियां	883.90	705.26	797.81	816.73	824.34	824.85	829.85
2.2.6.1 सोना	673.37	660.72	727.26	748.03	753.28	753.28	753.28

* डाटा अंतिम है।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
सितं. 1, 2018	29.24	54.89	-	-	0.01	-	-	-	-	-25.64
सितं. 3, 2018	39.21	411.59	40.92	274.24	11.00	-4.15	-	-	-	-598.85
सितं. 4, 2018	34.71	314.92	-	151.45	-	-3.24	-	-	-	-434.90
सितं. 5, 2018	35.91	272.96	-	177.23	0.30	-	-	-	-	-413.98
सितं. 6, 2018	38.46	312.69	-	133.09	-	-2.64	-	-	-	-409.96
सितं. 7, 2018	39.56	132.00	51.24	107.85	1.20	-	-	-	-	-147.85
सितं. 10, 2018	246.84	76.59	-	-	61.10	-	-	-	-	231.35
सितं. 11, 2018	155.79	293.00	475.04	-	1.01	2.42	-	-	-	341.26
सितं. 12, 2018	36.96	122.55	-	275.09	0.84	-	-	-	-	-359.84
सितं. 13, 2018	-	216.12	-	-	9.60	-	-	-	-	-206.52
सितं. 14, 2018	39.56	593.20	235.03	-	3.00	2.18	-	-	0.10	-313.33
सितं. 15, 2018	230.50	22.92	-	-	203.35	-	-	-	-	410.93
सितं. 17, 2018	202.56	99.30	300.04	-	26.00	-	-	-	-	429.30
सितं. 18, 2018	86.60	56.26	230.01	-	1.50	-	-	-	-	261.85
सितं. 19, 2018	49.95	46.71	-	-	3.40	-	-	-	-	6.64
सितं. 20, 2018	-	49.42	-	-	37.15	-	-	-	-	-12.27
सितं. 21, 2018	40.06	151.68	230.07	-	3.00	-	-	-	100.00	221.45
सितं. 24, 2018	106.51	297.15	158.00	-	0.01	-1.20	-	-	-	-33.83
सितं. 25, 2018	39.36	785.95	480.05	-	2.35	1.20	-	-	-	-262.99
सितं. 26, 2018	37.46	1,205.15	-	-	-	-	-	-	-	-1,167.69
सितं. 27, 2018	39.21	984.36	-	481.05	0.81	-0.75	-	-	-	-1,426.14
सितं. 28, 2018	47.41	949.01	97.77	-	42.00	1.30	-	-	100.00	-660.53
सितं. 29, 2018	41.26	453.35	-	-	70.90	-	-	-	-	-341.19

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन

मद	2017-18	2017	2018	
		सितंबर	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	33,689.00	1,259.00	-2,323.00	-31.00
1.1 क्रय (+)	52,068.00	3,788.00	3,680.00	1,012.00
1.2 विक्रय (-)	18,379.00	2,529.00	6,003.00	1,043.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	2,228.28	81.08	-170.23	-6.72
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	33,689.00	16,301.00	-18,631.00	-18,662.00
(बिलियन ₹)	2,228.27	1,066.40	-1,282.43	-1,289.15
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	20,853.00	31,131.00	5,730.00	-1,358.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2017-18	2017	2018	
		सितंबर	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	3,935.00	780.00	1,350.00	2,050.00
1.2 विक्रय (-)	3,935.00	780.00	1,350.00	2,050.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	-1,400.00	-1,135.00	-1,273.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	30 सितंबर 2018 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	545	682	-137
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	1,823	1,736	87
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	8,462	9,770	-1,308
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	10,830	12,188	-1,358

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति								
	2017-18	2017	2018					सितंबर 28	अक्टूबर 26
			अक्टूबर 27	मई 25	जून 22	जुलाई 20	अगस्त 31		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 सीमांत स्थायी सुविधा	—	—	—	20.4	29.8	1.3	42.0	—	
2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त									
2.1 सीमा	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा									
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	
3.2 बकाया	25.4	19.4	23.3	23.9	24.3	23.9	19.0	20.3	
4 अन्य									
4.1 सीमा	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.2 बकाया	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	25.4	19.4	23.3	44.4	54.2	25.1	61.0	20.3	

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2017-18	2017	2018		
		सितंबर 29	अगस्त 31	सितंबर 14	सितंबर 28
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	17,597.1	14,970.3	18,468.4	18,701.6	18,429.4
1.1 संचलन में नोट	18,037.0	15,632.5	19,019.4	19,228.5	18,995.5
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	249.1	247.4	249.5	249.5	249.5
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	696.4	917.0	807.9	783.8	823.1
2 जनता की जमाराशियां	15,076.2	13,760.0	13,667.1	13,243.5	14,487.8
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	14,837.1	13,503.1	13,420.4	12,959.3	14,232.0
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	256.9	246.7	284.2	255.8
3 एम₁ (1+2)	32,673.3	28,730.3	32,135.5	31,945.2	32,917.1
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	1,092.1	981.1	1,206.6	1,206.6	1,206.6
5 एम₂ (3+4)	33,765.4	29,711.4	33,342.1	33,151.7	34,123.7
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	106,952.6	103,113.0	110,578.5	110,206.6	111,312.0
7 एम₃ (3+6)	139,625.9	131,843.3	142,714.0	142,151.7	144,229.1
8 कुल डाकघर जमाराशियां	3,008.1	2,752.4	3,266.8	3,266.8	3,266.8
9 एम₄ (7+8)	142,633.9	134,595.7	145,980.7	145,418.5	147,495.9

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
			सितंबर 29	अगस्त 31	सितंबर 14
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	40,014.0	40,773.0	43,947.1	43,625.0	43,020.0
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	4,759.6	5,428.9	6,834.6	6,653.4	6,469.9
1.1.1 सरकार पर दावे	6,435.6	6,967.3	6,836.0	6,654.8	6,536.6
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	6,418.4	6,950.9	6,831.5	6,602.8	6,534.1
1.1.1.2 राज्य सरकारें	17.2	16.4	4.5	52.0	2.5
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,676.0	1,538.4	1.4	1.4	66.7
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,675.6	1,538.0	1.0	1.0	66.2
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	35,254.4	35,344.1	37,112.5	36,971.6	36,550.1
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	92,137.2	85,519.8	93,689.9	93,867.1	95,719.0
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	140.3	74.4	95.4	91.2	91.3
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	91,996.9	85,445.5	93,594.5	93,775.9	95,627.7
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	86,254.2	79,834.4	87,807.5	87,981.1	89,816.7
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,666.0	5,529.7	5,701.6	5,711.6	5,720.6
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	76.7	81.4	85.5	83.2	90.5
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	29,223.0	27,354.6	29,574.2	29,938.3	30,225.2
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	27,607.8	26,078.3	28,337.2	28,701.2	28,988.2
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	27,609.9	26,080.3	28,339.3	28,703.4	28,990.3
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,615.1	1,276.3	1,237.0	1,237.0	1,237.0
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	254.8	257.0	257.0	257.0
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	22,004.8	22,059.0	24,754.1	25,535.6	24,992.1
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	9,069.9	9,055.4	10,606.8	10,976.0	11,271.0
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,934.9	13,003.7	14,147.3	14,559.6	13,721.1
एम₃ (1+2+3+4-5)	139,625.9	131,843.3	142,714.0	142,151.7	144,229.1

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
		सितंबर 29	अगस्त 31	सितंबर 14	सितंबर 28
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	32,673.3	28,730.3	32,135.5	31,945.2	32,917.1
एन एम ₂ (एन एम ₁ + 1.2.2.1)	80,142.1	74,524.3	81,160.0	80,793.7	82,260.0
एन एम ₃ (एन एम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	141,816.7	133,583.8	144,701.9	144,129.3	146,318.1
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	17,597.1	14,970.3	18,468.4	18,701.6	18,429.4
1.2 निवासियों की कुल जमाराशियां	120,323.4	115,267.4	122,363.6	121,511.6	123,882.7
1.2.1 मांग जमाराशियां	14,837.1	13,503.1	13,420.4	12,959.3	14,232.0
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	105,486.3	101,764.3	108,943.2	108,552.3	109,650.7
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	47,468.8	45,793.9	49,024.4	48,848.5	49,342.8
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,931.1	1,157.0	1,688.6	1,905.7	1,598.6
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	58,017.4	55,970.4	59,918.8	59,703.7	60,307.9
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	256.9	246.7	284.2	255.8
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,657.1	3,089.2	3,623.2	3,631.9	3,750.2
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	139,941.3	132,764.0	146,239.2	145,987.8	146,725.6
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	40,014.0	40,773.0	43,947.1	43,625.0	43,020.0
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	4,759.6	5,428.9	6,834.6	6,653.4	6,469.9
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	35,254.4	35,344.1	37,112.5	36,971.6	36,550.1
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	99,927.3	91,991.0	102,292.1	102,362.8	103,705.6
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	140.3	74.4	95.4	91.2	91.3
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	99,787.1	91,916.6	102,196.8	102,271.6	103,614.3
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	7,728.5	6,423.6	8,510.7	8,389.2	7,916.0
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	254.8	257.0	257.0	257.0
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,931.6	25,594.4	27,071.1	27,565.4	27,903.6
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	26,078.3	28,337.2	28,701.2	28,988.2
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-676.2	-483.9	-1,266.1	-1,135.8	-1,084.6
2.4 पूंजी खाता	20,705.2	19,907.6	23,318.2	23,678.8	24,020.2
2.5 अन्य मदें (निवल)	4,607.6	5,121.8	5,547.1	6,002.1	4,547.9

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2017-18	2017	2018		
		सितंबर	जुलाई	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	141,816.7	133,583.8	142,652.1	144,701.9	146,318.1
2 डाकघर जमाराशियां	3,008.1	2,752.4	3,217.0	3,266.8	3,266.8
3 एल₁ (1 + 2)	144,824.7	136,336.3	145,869.1	147,968.7	149,584.9
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एल₂ (3 + 4)	144,854.0	136,365.6	145,898.4	147,998.0	149,614.2
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	313.6	313.6	313.6
7 एल₃ (5 + 6)	145,167.7	136,679.2	149,927.8

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017		2018	
		सितंबर 29	अगस्त 31	सितंबर 14	सितंबर 28
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	18,293.5	15,887.3	19,276.3	19,485.5	19,252.4
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	5,655.3	4,844.8	5,086.6	5,169.8	5,394.1
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,269.1	4,534.1	4,754.6	4,825.4	5,051.3
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	256.9	246.7	284.2	255.8
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	24,187.8	20,988.9	24,609.6	24,939.5	24,902.3
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	5,393.4	3,711.2	6,622.3	6,957.3	6,928.1
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	4,759.6	5,428.9	6,834.6	6,653.4	6,469.9
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	4,742.9	5,413.0	6,830.5	6,601.8	6,467.9
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	439.9	210.2	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6,411.5	6,942.4	6,382.4	6,383.5	6,525.1
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	6,411.5	6,942.4	6,382.4	6,383.5	6,525.1
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	6.9	8.5	9.2	9.1	9.1
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,675.6	1,538.0	1.0	1.0	66.2
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	16.8	15.9	4.0	51.6	2.0
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	493.5	-1,792.1	-307.7	212.7	366.9
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	493.5	-1,792.1	-308.0	212.4	366.6
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	140.3	74.4	95.4	91.2	91.3
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	25.4	19.3	23.9	18.5	19.0
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	254.8	257.0	257.0	257.0
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	26,078.3	28,337.2	28,701.2	28,988.2
2.3.1 सोना	1,397.4	1,324.6	1,430.0	1,445.5	1,448.1
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,210.6	24,753.9	26,907.3	27,255.9	27,540.3
2.4 पूंजी खाता	8,584.3	8,413.6	10,415.5	10,773.3	11,065.6
2.5 अन्य मदें (निवल)	485.6	641.8	191.3	202.7	205.4

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2017-18	2017		2018			
		सितंबर 29	अगस्त 31	सितंबर 7	सितंबर 14	सितंबर 21	सितंबर 28
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	24,187.8	20,988.9	24,609.6	24,570.6	24,939.5	24,892.8	24,902.3
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	18,293.5	15,887.3	19,276.3	19,402.5	19,485.5	19,436.7	19,252.4
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	5,655.3	4,844.8	5,086.6	4,924.6	5,169.8	5,201.8	5,394.1
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	239.1	256.9	246.7	243.5	284.2	254.3	255.8
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	4,759.6	5,428.9	6,834.6	6,882.3	6,653.4	5,517.5	6,469.9
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	493.5	-1,792.1	-307.7	-375.1	212.7	1,322.7	366.9
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	140.3	74.4	95.4	86.6	91.2	91.2	91.3
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,607.8	26,078.3	28,337.2	28,647.8	28,701.2	28,808.2	28,988.2
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	256.5	254.8	257.0	257.0	257.0	257.0	257.0
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	9,069.9	9,055.4	10,606.8	10,928.1	10,976.0	11,103.7	11,271.0

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2017-18	2017	2018		
		सितंबर 29	अगस्त 31	सितंबर 14	सितंबर 28
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	112,794.2	107,826.7	114,829.8	113,982.5	116,337.4
1.1.1 मांग जमाराशियां	13,702.8	12,368.8	12,290.3	11,830.3	13,096.0
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	99,091.4	95,457.9	102,539.5	102,152.2	103,241.4
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	44,591.1	42,956.1	46,142.8	45,968.5	46,458.6
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,931.1	1,157.0	1,688.6	1,905.7	1,598.6
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	54,500.3	52,501.9	56,396.7	56,183.7	56,782.8
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,657.1	3,089.2	3,623.2	3,631.9	3,750.2
स्रोत					
2.1 देशी ऋण	127,142.0	119,476.5	131,369.7	131,275.4	132,196.2
2.1.1 सरकार को ऋण	33,174.1	33,245.1	35,034.7	34,874.6	34,463.1
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	93,967.9	86,231.5	96,335.1	96,400.8	97,733.1
2.1.2.1 बैंक ऋण	86,254.2	79,834.4	87,807.5	87,981.1	89,816.7
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	86,086.9	79,370.7	87,318.9	87,486.2	89,340.0
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	64.3	50.2	94.2	109.1	73.3
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	10.5	12.9	12.3	11.0	16.8
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	7,638.9	6,334.0	8,421.1	8,299.6	7,826.3
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-676.2	-483.9	-1,266.1	-1,135.8	-1,084.6
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,018.0	1,726.6	1,645.4	1,770.2	1,883.2
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,466.3	1,348.7	1,635.2	1,654.3	1,661.3
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	1,227.9	861.9	1,276.2	1,251.7	1,306.6
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	5,321.8	7,144.4	5,772.3	5,298.2	5,409.8
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,256.9	4,534.1	4,754.6	4,825.4	5,051.3
2.3.2 उपलब्ध नकदी	600.6	818.3	709.7	685.2	725.1
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	535.7	-1,792.1	-308.0	212.4	366.6
2.4 पूंजी खाला	11,879.3	11,252.3	12,661.0	12,663.8	12,712.9
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	3,457.1	3,968.7	4,761.9	5,159.5	3,720.9
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	4,360.8	4,008.2	3,929.3	4,434.4	3,718.9
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-268.2	-291.2	-432.8	-397.6	-411.4

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	30 मार्च, 2018 की स्थिति	2017	2018		
		सितंबर 29	अगस्त 31	सितंबर 14	सितंबर 28
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	33,184.5	33,258.0	35,047.0	34,885.6	34,479.9
2 वाणिज्यिक पत्र	1,159.4	1,040.4	1,287.7	1,313.2	1,203.3
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	118.7	110.8	113.7	113.5	112.2
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	745.3	677.9	726.5	728.7	731.9
3.3 अन्य	42.1	42.8	61.3	61.3	65.1
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,399.7	1,121.4	1,270.4	1,231.5	1,231.0
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	2,222.3	1,822.7	2,247.0	2,246.4	2,247.1
4.3 अन्य	994.6	635.4	1,196.6	1,187.9	1,240.5
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	177.3	203.9	708.1	618.8	190.9
5.2 वित्तीय संस्थाएं	895.8	787.4	815.8	798.2	804.3

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2017-18	2017	2018		2017-18	2017	2018	
		सितंबर	अगस्त	सितंबर		सितंबर	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	223	221	223	223	149	147	149	149
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	2,344.9	2,214.8	2,406.8	2,419.2	2,282.0	2,161.1	2,349.4	2,361.1
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	1,667.5	1,577.1	1,531.5	1,532.1	1,615.6	1,525.4	1,485.0	1,486.5
1.2 बैंकों से उधार राशि	611.7	545.0	717.9	772.6	601.2	544.5	708.7	761.4
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	65.7	92.6	157.3	114.5	65.2	91.2	155.7	113.3
2 अन्य के प्रति देयताएं	126,658.9	120,187.2	128,434.3	129,939.9	123,506.3	117,134.6	125,293.9	126,774.2
2.1 कुल जमाराशियां	117,285.4	112,088.1	119,458.9	121,018.6	114,260.5	109,175.4	116,465.2	117,998.5
2.1.1 मांग	13,994.8	12,645.3	12,573.3	13,389.0	13,702.8	12,368.8	12,290.3	13,096.0
2.1.2 मीयादी	103,290.6	99,442.7	106,885.6	107,629.7	100,557.7	96,806.6	104,174.8	104,902.7
2.2 उधार	3,693.9	3,125.1	3,671.7	3,803.5	3,657.1	3,089.2	3,623.2	3,750.2
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	5,679.7	4,974.0	5,303.7	5,117.8	5,588.7	4,870.0	5,205.5	5,025.4
3 रिजर्व बैंक से उधार	2,740.1	405.3	617.0	1,796.5	2,739.8	405.3	616.6	1,796.2
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अन्य	2,740.1	405.3	617.0	1,796.5	2,739.8	405.3	616.6	1,796.2
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	6,029.2	5,489.9	5,606.0	5,919.5	5,857.5	5,352.3	5,464.3	5,776.3
4.1 उपलब्ध नकदी	616.3	836.4	728.1	743.0	600.65	818.3	709.7	725.1
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	5,412.9	4,653.6	4,877.9	5,176.5	5,256.9	4,534.1	4,754.6	5,051.3
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	3,011.8	2,927.9	3,227.1	3,195.8	2,614.6	2,502.6	2,876.4	2,845.8
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	2,041.9	2,018.7	2,128.7	2,057.6	1,860.5	1,823.4	1,958.3	1,884.4
5.1.1 चालू खातों में	156.0	188.5	120.0	129.8	123.1	157.1	96.4	102.3
5.1.2 अन्य खातों में	1,885.9	1,830.2	2,008.7	1,927.7	1,737.4	1,666.2	1,861.9	1,782.1
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	360.5	386.0	459.1	459.2	182.4	230.1	314.8	324.1
5.3 बैंकों को अग्रिम	284.1	259.8	342.6	397.4	282.0	258.7	339.5	387.8
5.4 अन्य आस्तियां	325.3	263.5	296.7	281.6	289.6	190.4	263.9	249.4
6 निवेश	34,124.7	34,220.4	35,991.7	35,434.2	33,184.5	33,258.0	35,047.0	34,479.9
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	34,067.4	34,158.4	35,925.5	35,363.2	33,174.1	33,245.1	35,034.6	34,463.1
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	57.3	62.0	66.2	71.1	10.5	12.9	12.3	16.8
7 बैंक ऋण	88,785.3	82,287.6	90,393.8	92,470.3	86,254.2	79,834.4	87,807.5	89,816.7
7क खाद्यान्न ऋण	611.4	655.2	718.8	706.9	419.9	463.7	488.5	476.6
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	86,451.5	80,047.2	88,195.5	90,152.5	83,984.8	77,651.4	85,657.0	87,544.9
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	230.3	212.0	214.4	216.5	203.9	200.2	198.6	202.6
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,417.3	1,364.6	1,384.3	1,442.3	1,387.5	1,325.0	1,359.9	1,417.8
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	266.0	255.4	243.5	257.2	263.0	254.1	241.3	255.7
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	420.3	408.4	356.1	401.7	415.0	403.7	350.6	395.7

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2017	2018		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			सितंबर 29	अगस्त 31		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	77,303	72,133	78,191	80,250	3.8	11.3
1.1 खाद्यान्न ऋण	419	462	488	475	13.5	2.8
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	76,884	71,671	77,704	79,774	3.8	11.3
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	10,302	9,971	10,419	10,544	2.4	5.8
1.2.2 उद्योग	26,993	26,404	26,621	27,016	0.1	2.3
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,730	3,690	3,664	3,638	-2.5	-1.4
1.2.2.2 मझौले	1,037	1,019	1,053	1,053	1.5	3.3
1.2.2.3 बड़े	22,226	21,696	21,904	22,326	0.5	2.9
1.2.3 सेवाएं	20,505	17,749	20,740	22,014	7.4	24.0
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,213	1,126	1,256	1,267	4.5	12.5
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	186	181	183	192	3.2	6.0
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	365	370	370	374	2.4	1.0
1.2.3.4 नौवहन	63	75	68	66	4.9	-12.1
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,554	1,305	1,586	1,618	4.1	24.0
1.2.3.6 व्यापार	4,669	4,346	4,751	4,815	3.1	10.8
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	2,052	1,875	2,105	2,096	2.2	11.8
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,618	2,471	2,646	2,719	3.9	10.0
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,858	1,863	1,872	1,847	-0.6	-0.8
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	4,964	3,862	4,902	5,467	10.1	41.5
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	5,633	4,619	5,752	6,368	13.1	37.9
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	19,085	17,547	19,924	20,200	5.8	15.1
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	197	178	32	32	-83.6	-81.9
1.2.4.2 आवास	9,746	9,086	10,419	10,502	7.8	15.6
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	725	653	668	736	1.6	12.8
1.2.4.4 शेयरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	56	57	58	63	13.5	10.6
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	686	599	785	789	15.0	31.7
1.2.4.6 शिक्षा	697	720	698	691	-0.9	-4.0
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,898	1,786	1,955	1,954	3.0	9.4
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	5,080	4,468	5,309	5,431	6.9	21.6
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25,532	24,266	25,633	25,869	1.3	6.6
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	10,216	9,950	10,359	10,474	2.5	5.3
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,964	9,079	9,881	9,945	-0.2	9.5
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,730	3,690	3,664	3,638	-2.5	-1.4
1.2अ.2.2 सेवाएं	6,234	5,389	6,217	6,307	1.2	17.0
1.2अ.3 आवास	3,756	3,688	3,936	3,949	5.1	7.1
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	264	164	212	219	-16.8	33.3
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	607	600	578	571	-5.9	-4.7
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	3	3	3	3	16.6	25.9
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,690	5,422	5,871	5,910	3.8	9.0
1.2अ.8 निर्यात ऋण	283	458	205	223	-21.3	-51.3

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2017	2018		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2018
			सितंबर 29	अगस्त 31		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	26,993	26,404	26,621	27,016	0.1	2.3
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	413	329	414	427	3.3	29.8
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	1,554	1,385	1,427	1,415	-8.9	2.2
1.2.1 चीनी	290	280	261	251	-13.3	-10.5
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	211	179	206	208	-1.3	16.6
1.2.3 चाय	45	42	53	52	16.7	23.7
1.2.4 अन्य	1,008	883	907	904	-10.4	2.3
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	156	163	129	137	-12.3	-16.4
1.4 वस्त्र	2,099	1,954	1,981	1,980	-5.7	1.3
1.4.1 सूती वस्त्र	1,057	971	982	972	-8.0	0.1
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	22	27	19	20	-8.0	-24.7
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	243	225	238	240	-1.1	6.7
1.4.4 अन्य वस्त्र	776	730	742	747	-3.7	2.3
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	113	111	113	114	0.4	2.6
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	109	106	112	113	3.8	6.4
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	306	312	298	295	-3.8	-5.4
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	651	472	538	559	-14.2	18.5
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,630	1,575	1,673	1,760	8.0	11.7
1.9.1 उर्वरक	306	246	292	330	8.0	34.1
1.9.2 औषधि और दवाइयां	484	477	511	517	6.9	8.4
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	387	432	368	394	1.8	-8.8
1.9.4 अन्य	453	419	502	518	14.3	23.6
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	424	406	430	442	4.3	8.8
1.11 कांच और कांच के सामान	85	78	100	102	20.7	30.3
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	526	578	514	517	-1.6	-10.4
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	4,160	4,169	3,840	3,842	-7.7	-7.9
1.13.1 लोहा और स्टील	3,262	3,225	2,947	2,930	-10.2	-9.2
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	898	944	894	912	1.5	-3.4
1.14 सभी अभियांत्रिकी	1,553	1,508	1,547	1,565	0.8	3.8
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	344	349	351	359	4.4	2.8
1.14.2 अन्य	1,210	1,159	1,196	1,206	-0.3	4.1
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	787	712	754	776	-1.4	9.1
1.16 रत्न और आभूषण	727	724	692	697	-4.0	-3.7
1.17 निर्माण	901	834	878	906	0.6	8.7
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	8,909	8,949	9,237	9,367	5.1	4.7
1.18.1 पावर	5,196	5,262	5,299	5,318	2.3	1.1
1.18.2 दूरसंचार	846	871	907	919	8.7	5.5
1.18.3 सड़क	1,665	1,717	1,712	1,745	4.8	1.6
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,202	1,099	1,319	1,385	15.2	26.0
1.19 अन्य उद्योग	1,890	2,040	1,943	2,003	6.0	-1.8

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2017-18	2017	2018						
		अगस्त 25	जून 29	जुलाई 06	जुलाई 20	जुलाई 27	अगस्त 03	अगस्त 17	अगस्त 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	31	31	30	31	31	30	30	30	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	540.9	518.4	533.6	554.4	571.0	539.3	537.9	541.5	529.2
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	158.0	165.1	167.4	165.5	186.4	167.3	180.5	173.1	162.8
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	41.7	41.9	49.0	47.8	50.6	47.5	57.7	51.2	50.8
2.1.1.2 अन्य	89.9	97.4	83.2	85.7	102.9	86.7	89.4	87.7	75.9
2.1.2 बैंकों से उधार	1.2	0.0	8.7	3.7	3.2	3.7	3.0	4.2	5.9
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	25.2	25.8	26.5	28.3	29.7	29.4	30.4	30.0	30.3
2.2 मीयादी देयताएं	797.9	849.7	872.3	895.4	892.3	870.0	870.8	857.3	855.6
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	336.5	419.0	415.0	414.1	410.2	410.5	407.7	387.6	388.4
2.2.1.2 अन्य	451.0	421.0	450.4	468.7	468.1	452.6	448.4	453.8	453.3
2.2.2 बैंकों से उधार	3.1	2.8	0.0	6.6	7.3	0.0	7.5	8.8	7.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	7.3	6.9	6.8	6.0	6.7	6.9	7.1	7.1	6.9
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	404.8	447.9	429.8	428.6	424.3	432.0	415.0	409.0	423.0
4.1 मांग	112.3	168.4	152.6	148.1	147.6	157.2	148.5	140.5	140.8
4.2 मीयादी	292.5	279.6	277.3	280.6	276.8	274.9	266.5	268.5	282.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	55.6	47.1	47.5	45.8	58.1	45.4	48.0	49.6	46.4
5.1 उपलब्ध नकदी	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	3.1
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	52.8	44.1	44.4	42.7	55.0	42.5	45.2	46.8	43.3
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	15.0	6.5	10.4	7.7	7.7	8.4	7.5	9.5	8.8
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	295.6	312.1	311.4	316.1	315.4	530.8	309.9	308.8	311.7
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	208.8	216.5	186.8	184.6	191.2	173.2	185.3	184.4	169.1
9 बैंक ऋण (10.1+11)	434.4	478.5	546.5	543.8	533.8	538.9	542.8	535.0	540.3
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	434.4	478.5	546.5	543.8	533.8	538.9	542.8	535.0	540.3
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	668.5	724.0	693.3	692.1	690.1	692.8	689.6	702.3	719.0
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2017-18			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	सितं. 17	अग. 18	सितं. 18	सितं. 17	अग. 18	सितं. 18	सितं. 17	अग. 18	सितं. 18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	138.6	137.4	138.1	139.6	142.7	141.5	138.0	140.1	138.9	139.0	141.7	140.5
1.1 अनाज और उत्पाद	135.2	133.7	134.7	135.2	139.2	139.8	133.6	136.5	137.0	134.7	138.3	138.9
1.2 मांस और मछली	142.7	143.8	143.1	142.0	148.8	147.1	143.0	146.4	143.1	142.4	148.0	145.7
1.3 अंडा	134.4	134.1	134.3	130.5	139.1	136.5	129.7	136.6	132.8	130.2	138.1	135.1
1.4 दूध और उत्पाद	140.3	138.6	139.6	140.2	143.5	144.2	138.7	141.2	141.5	139.6	142.6	143.2
1.5 तेल और चर्बी	121.7	114.8	119.2	120.7	125.0	124.8	114.5	117.4	117.7	118.4	122.2	122.2
1.6 फल	146.2	137.0	141.9	147.8	154.4	148.6	137.5	146.3	140.0	143.0	150.6	144.6
1.7 सब्जी	146.8	154.3	149.3	154.5	156.3	149.5	160.7	157.3	151.3	156.6	156.6	150.1
1.8 दाल और उत्पाद	136.4	123.6	132.1	137.1	126.8	125.5	124.5	113.6	113.5	132.9	122.4	121.5
1.9 चीनी और उत्पाद	119.8	120.2	119.9	121.0	115.4	114.4	122.4	113.3	112.3	121.5	114.7	113.7
1.10 मसाले	135.0	139.2	136.4	134.7	138.6	138.7	137.3	141.1	141.2	135.6	139.4	139.5
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	131.1	125.0	128.5	131.7	133.8	134.3	124.8	127.4	127.7	128.8	131.1	131.5
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	149.4	145.1	147.4	149.3	155.2	156.0	145.0	150.4	151.3	147.3	153.0	153.8
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	150.0	153.8	151.0	149.8	156.4	157.7	153.6	162.1	163.3	150.8	157.9	159.2
3 कपड़ा और जूते	145.3	132.4	140.2	145.2	151.3	151.3	132.0	138.3	139.1	140.0	146.1	146.5
3.1 कपड़ा	146.1	133.8	141.3	146.1	152.1	152.2	133.3	140.0	140.8	141.1	147.3	147.7
3.2 जूते	140.0	124.7	133.7	139.7	145.8	146.0	124.6	129.0	129.3	133.4	138.8	139.1
4 आवास	--	136.4	136.4	--	--	--	135.7	144.6	145.3	135.7	144.6	145.3
5 ईंधन और लाइट	138.6	123.0	132.7	137.4	147.7	148.8	120.6	129.8	131.2	131.0	140.9	142.1
6 विविध	130.4	124.4	127.5	130.3	136.6	137.4	124.5	131.0	131.9	127.5	133.9	134.7
6.1 घरेलू सामान और सेवा	137.7	128.2	133.2	137.9	143.8	144.1	128.1	134.4	134.9	133.3	139.4	139.8
6.2 स्वास्थ्य	133.9	126.6	131.1	133.4	139.4	139.9	126.1	134.9	135.6	130.6	137.7	138.3
6.3 परिवहन और संचार	121.2	115.3	118.0	121.2	128.3	129.7	115.7	120.7	122.5	118.3	124.3	125.9
6.4 मनोरंजन	132.1	124.6	127.9	132.3	138.6	139.7	124.5	129.8	130.2	127.9	133.6	134.3
6.5 शिक्षा	139.7	135.9	137.4	139.6	146.9	147.6	135.9	145.3	145.2	137.4	146.0	146.2
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	126.5	124.1	125.5	126.7	131.3	132.0	124.4	128.3	129.3	125.7	130.1	130.9
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	137.2	132.5	135.0	137.6	142.5	142.2	132.4	138.0	138.1	135.2	140.4	140.3

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2017-18	2017		2018	
				सितंबर	अगस्त	सितंबर	अगस्त
	1	2	3	4	5	6	
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	284	285	301	301	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	889	893	907	910	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	—	895	899	915	917	

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2017-18		2017		2018	
			सितंबर		अगस्त	
	1	2	3	4	5	6
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)		29,300	29,899	29,644		30,538
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)		39,072	40,120	37,374		36,864

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2017-18	2017		2018	
			सितंबर	जुलाई	अगस्त (अ)	सितंबर (अ)
			1	2	3	4
1 सभी पण्य	100.000	114.9	114.9	119.9	120.0	120.8
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	130.6	131.5	135.3	135.1	135.4
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.2	144.8	144.8	144.8	144.5
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	142.6	144.0	142.6	145.0	145.4
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	155.9	162.8	156.1	155.6	154.0
1.1.1.3 दूध	4.440	139.7	140.4	143.2	143.7	143.5
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	135.7	134.9	139.3	135.7	134.2
1.1.1.5 मसाले	0.529	125.2	124.0	130.5	131.1	133.7
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	139.4	140.9	141.3	143.7
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	119.6	119.8	123.5	125.0	124.8
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.0	117.5	129.9	130.8	130.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	129.9	128.0	138.1	140.1	138.5
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	110.9	113.9	109.6	110.7	108.7
1.1.2.4 फूल	0.204	148.7	140.4	151.4	155.3	182.8
1.1.3 खनिज	0.833	122.5	129.3	135.2	123.2	135.2
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	109.1	118.3	120.7	105.6	120.7
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	169.3	168.0	186.0	184.6	186.0
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	73.0	67.8	94.9	94.9	95.9
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	93.3	91.9	104.4	104.9	107.2
1.2.1 कोल	2.138	118.7	117.5	123.0	123.0	123.2
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	134.1	135.5	132.0	132.0	132.8
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	112.5	110.7	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	104.2	95.0	120.0	120.0	120.0
1.2.2 खनिज तेल	7.950	82.5	79.6	97.5	98.3	101.9
1.2.3 बिजली	3.064	103.7	106.1	109.6	109.6	109.6
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	113.8	113.7	117.7	117.8	118.5
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	127.4	128.4	129.0	129.0	129.4
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	134.4	133.0	137.6	137.3	137.3
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	128.1	129.2	123.6	124.7	137.4
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	119.1	118.1	114.0	116.5	113.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	109.4	107.8	120.2	119.0	119.0
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	142.1	145.2	137.5	136.6	136.5
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	137.4	139.0	138.6	140.2	142.7
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	112.6	112.5	110.4	110.4	111.1
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	128.8	127.8	129.0	129.9	130.2
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	128.0	133.1	114.3	114.3	112.0
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.1	126.6	124.9	124.4	124.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	131.4	132.3	133.3	133.9	135.8
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	129.1	130.7	143.3	141.9	138.8
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	118.2	117.5	120.7	121.8	121.9
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.2	126.5	125.4	125.7	126.0
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	141.1	144.3	140.2	140.2	140.2
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	153.0	152.5	154.8	156.6	158.1
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	118.9	118.8	119.7	120.0	120.4
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	113.7	112.7	112.9	114.0
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	117.9	118.5	120.1	120.3	120.4
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	127.4	126.6	129.7	130.2	129.9
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	148.4	150.2	149.4	150.1	149.6
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	148.4	150.2	149.4	150.1	149.6
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	113.4	113.2	117.7	117.6	118.9
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.2	105.5	110.3	110.5	112.7
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	122.0	122.5	127.0	126.8	126.3
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	108.6	106.6	114.4	115.0	113.9
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	124.6	124.5	129.9	129.6	131.7
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	141.7	142.9	138.5	138.1	139.7
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	117.5	117.5	116.5	115.9	117.9
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	136.9	136.8	138.6	139.1	138.6
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	137.8	137.8	139.6	139.9	139.5
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेटेड वस्त्र	0.221	134.5	134.0	135.9	137.0	136.2

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2017-18	2017	2018		
			सितंबर	जुलाई	अगस्त (अ)	सितंबर (अ)
			1	2	3	4
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	120.1	119.9	123.7	122.5	123.0
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	110.9	109.8	116.9	114.1	113.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	131.2	130.9	135.7	134.4	134.5
1.3.6.3 जूते चप्पल	0.318	121.6	121.8	123.8	123.4	124.7
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	131.5	132.7	132.4	132.8	133.7
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.5	119.1	122.8	122.2	122.9
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	131.5	132.3	135.2	135.4	137.2
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	159.8	159.0	156.5	156.5	156.4
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.5	140.8	123.4	125.9	123.7
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	118.9	119.9	122.3	122.6	123.1
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	122.3	122.5	127.2	127.5	128.6
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.1	118.4	117.4	117.7	116.1
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	116.2	117.1	119.6	119.7	121.4
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	143.7	145.1	147.5	147.9	148.4
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	143.7	145.1	147.5	147.9	148.4
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	112.5	111.3	118.3	118.6	119.3
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	111.2	108.2	123.8	124.5	126.0
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	117.1	116.5	119.3	120.0	120.3
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	113.0	112.7	118.3	118.4	119.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रेगेमिकल उत्पाद	0.454	115.3	113.7	119.1	120.2	119.5
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैसिटक्स	0.491	108.6	107.5	111.3	110.3	111.1
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	115.2	114.4	116.3	115.6	115.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	110.1	109.0	116.8	117.4	117.9
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.5	96.4	103.9	104.3	106.0
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	121.2	121.4	123.1	123.5	123.2
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	121.2	121.4	123.1	123.5	123.2
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	107.6	107.6	109.5	109.2	109.6
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	100.3	100.8	98.8	98.8	99.0
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.0	91.3	91.0	91.5	91.7
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	113.9	113.7	117.6	117.1	117.5
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	112.7	111.9	115.9	115.9	115.9
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	117.2	116.9	119.1	121.1	119.9
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	113.2	113.3	110.8	111.6	110.2
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	94.0	89.2	96.6	91.8	98.1
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.5	112.8	112.5	112.5	112.2
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	113.8	113.8	114.3	114.2	113.6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	118.9	119.4	121.9	121.8	122.9
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	117.2	116.8	118.3	118.4	119.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	89.9	77.4	136.8	137.3	139.4
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	101.4	100.9	112.1	111.6	113.8
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	98.2	97.6	113.4	113.2	119.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	99.4	100.2	117.5	117.3	121.2
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	93.2	93.1	99.6	99.5	101.1
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	95.6	92.5	110.0	108.1	111.9
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	104.9	104.7	120.7	119.7	122.0
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	97.3	93.5	110.5	109.5	114.0
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	98.2	96.7	113.6	112.9	111.8
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	116.1	116.6	124.8	125.8	127.4
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.9	108.1	113.8	112.4	112.2
1.3.14.10 कार्बिड	0.925	104.8	105.9	108.3	109.2	111.2
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	118.4	117.7	112.5	115.5	116.1
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	109.5	108.9	114.9	115.5	115.2
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	105.9	105.7	111.6	113.5	114.3
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	122.6	119.7	129.2	129.1	128.7
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	109.0	109.4	108.5	106.8	103.7
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टेमिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	90.7	92.1	95.1	96.8	94.1
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.3	94.3	99.2	99.7	99.7
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	114.8	116.6	122.8	122.3	122.2
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.1	111.7	110.8	112.2	113.0
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	103.7	103.6	101.8	100.5	101.4
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	127.4	127.4	127.3	135.1	135.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2017-18	2017	2018			
				सितंबर	जुलाई	अगस्त (अ)	सितंबर (अ)
				1	2	3	4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	110.6	116.0	116.4	116.2	117.4	
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.1	105.0	103.0	105.3	105.4	
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	106.9	108.7	109.2	105.1	109.9	
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.8	136.7	138.9	138.9	139.9	
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.9	105.3	103.0	103.0	101.5	
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.0	112.8	112.1	112.1	107.5	
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	109.6	110.7	111.5	111.7	111.8	
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	105.8	106.8	106.9	107.5	107.1	
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.4	115.3	118.4	118.3	118.2	
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	116.5	123.8	123.5	125.7	129.6	
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	105.7	106.7	111.6	110.5	111.4	
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	109.9	110.7	108.8	108.7	108.8	
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.3	122.1	122.7	122.9	121.9	
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	107.2	109.4	107.3	107.9	109.1	
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	108.9	108.5	110.9	111.1	111.3	
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	102.3	100.4	103.2	103.5	103.3	
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	115.3	115.1	117.9	117.7	118.7	
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.6	107.9	109.0	108.9	109.1	
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	109.0	108.6	112.1	112.4	111.1	
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.5	79.4	79.1	79.1	77.5	
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	105.8	107.6	109.2	109.5	108.4	
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2	
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	127.3	128.4	130.2	130.2	130.2	
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	112.8	112.5	115.5	116.4	117.0	
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	99.6	99.7	99.4	100.6	103.8	
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.0	75.6	75.2	74.0	75.9	
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	121.1	117.3	121.6	121.5	121.6	
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	117.4	116.1	122.4	122.2	120.6	
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	119.5	119.4	123.7	123.7	124.1	
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.4	71.0	67.0	67.0	67.0	
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	110.7	110.5	112.4	113.3	113.6	
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	112.6	112.6	112.9	113.9	114.6	
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	108.6	108.1	111.9	112.5	112.5	
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	110.2	109.6	111.2	111.2	111.4	
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8	
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.0	104.7	105.3	103.9	103.9	
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	105.3	104.6	106.1	106.1	106.3	
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	121.3	120.1	126.3	126.6	127.9	
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	119.9	119.1	121.9	123.8	124.1	
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	120.3	125.0	125.3	125.5	125.4	
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	120.3	125.0	125.3	125.5	125.4	
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	109.2	106.6	106.9	106.6	107.0	
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	106.7	103.8	104.1	103.7	103.8	
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	171.0	169.2	169.9	174.3	167.1	
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	126.0	125.7	126.3	126.6	127.7	
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	128.2	126.7	129.4	131.0	133.8	
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	151.9	155.3	154.9	155.1	160.6	
2 खाद्य सूचकांक	24.378	137.3	138.7	138.9	138.9	138.9	

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2016-17	2017-18	अप्रैल-अगस्त		अगस्त	
				2017-18	2018-19	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	120.0	125.3	120.3	126.6	122.1	127.4
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	102.5	104.9	96.8	100.6	92.6	92.2
1.2 विनिर्माण	77.63	121.0	126.6	121.3	127.8	124.1	129.8
1.3 बिजली	7.99	141.6	149.2	152.7	161.5	155.4	167.2
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	117.5	121.8	117.7	124.1	117.8	120.9
2.2 पूंजीगत माल	8.22	101.5	105.6	97.3	103.9	101.7	106.8
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	122.3	125.1	121.1	122.4	123.0	125.9
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	125.0	132.0	127.8	138.4	128.3	138.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	122.6	123.6	121.5	131.9	128.1	134.8
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	126.5	139.9	130.5	135.0	131.4	139.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नजर में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - सितंबर			
	2018-19 (बजट अनुमान)	2018-19 (वर्तमान)	2017-18 (वर्तमान)	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2018-19	2017-18
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	17,257.4	6,917.5	6,232.1	40.1	41.1
1.1 कर राजस्व (निवल)	14,806.5	5,827.8	5,423.6	39.4	44.2
1.2 करेतर राजस्व	2,450.9	1,089.7	808.5	44.5	28.0
2 पूंजीगत प्राप्तियां	7,164.8	6,124.6	5,259.8	85.5	83.4
2.1 ऋण की वसूली	122.0	77.9	72.8	63.8	61.0
2.2 अन्य प्राप्तियां	800.0	99.5	197.6	12.4	27.3
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	6,242.8	5,947.3	4,989.4	95.3	91.3
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	24,422.1	13,042.2	11,491.9	53.4	53.5
4 राजस्व व्यय	21,417.7	11,415.9	10,028.0	53.3	54.6
4.1 ब्याज भुगतान	5,758.0	2,554.3	2,257.7	44.4	43.2
5 पूंजी व्यय	3,004.4	1,626.3	1,463.9	54.1	47.3
6 कुल व्यय (4+5)	24,422.1	13,042.2	11,491.9	53.4	53.5
7 राजस्व घाटा (4-1)	4,160.3	4,498.3	3,795.9	108.1	118.2
8 राजकोषीय घाटा (6-(1+2.1+2.2))	6,242.8	5,947.3	4,989.4	95.3	91.3
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	484.8	3,393.0	2,731.7	699.9	1164.7

स्रोत: महालेखाधिकारक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिट बजट 2018-19।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2017		2018				
		सितंबर 29	अगस्त 24	अगस्त 31	सितंबर 7	सितंबर 14	सितंबर 21	सितंबर 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	323.7	443.5	469.8	401.8	484.8	443.3	484.4	468.7
1.2 प्राथमिक व्यापारी	243.5	260.7	220.7	209.5	194.5	218.7	254.5	300.9
1.3 राज्य सरकारें	146.2	892.9	646.1	665.3	595.3	655.3	655.3	695.4
1.4 अन्य	343.4	706.0	591.0	699.5	661.4	708.4	658.1	657.1
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	216.2	382.4	390.5	393.6	430.0	410.9	436.6	445.2
2.2 प्राथमिक व्यापारी	316.5	295.9	353.5	338.6	350.9	351.1	338.1	313.0
2.3 राज्य सरकारें	193.6	145.6	333.0	333.8	343.8	343.8	342.9	342.9
2.4 अन्य	120.9	150.4	249.0	260.1	221.3	240.2	237.5	263.6
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	512.3	439.6	405.1	375.5	429.7	415.4	454.3	455.6
3.2 प्राथमिक व्यापारी	551.8	590.3	830.9	742.5	792.5	799.6	786.9	666.4
3.3 राज्य सरकारें	26.3	29.7	157.9	157.9	170.4	170.4	170.4	170.4
3.4 अन्य	326.4	364.9	455.7	553.7	489.0	478.7	492.2	588.4
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 प्राथमिक व्यापारी	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3 राज्य सरकारें	1,560.6	1,251.7	1,424.2	1,361.5	1,137.0	946.5	1,568.9	1,500.4
4.4 अन्य	5.1	11.0	3.4	4.4	4.0	6.2	11.8	1.8
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	3,320.8	4,702.1	5,103.4	5,131.9	5,163.7	5,235.9	5,311.3	5,367.6

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
अगस्त 29	100	56	698.94	120.01	28	100.00	120.01	220.00	98.33	6.8121
सितंबर 6	100	56	683.17	32.00	18	100.00	32.00	132.00	98.32	6.8536
सितंबर 12	100	54	360.55	92.00	27	100.00	92.00	192.00	98.29	6.9781
सितंबर 19	100	50	255.22	0.41	29	100.00	0.41	100.41	98.27	7.0612
सितंबर 26	100	53	256.58	77.00	26	100.00	77.00	177.00	98.24	7.1858
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
अगस्त 29	40	35	144.15	40.00	4	40.00	40.00	80.00	96.62	7.0157
सितंबर 6	40	39	94.19	10.00	16	40.00	10.00	50.00	96.57	7.1232
सितंबर 12	40	46	106.76	0.00	9	40.00	0.00	40.00	96.50	7.2738
सितंबर 19	40	40	83.90	5.32	19	40.00	5.32	45.32	96.47	7.3384
सितंबर 26	40	47	115.21	0.00	20	40.00	0.00	40.00	96.43	7.4247
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
अगस्त 29	40	52	124.70	0.00	20	40.00	0.00	40.00	93.19	7.3277
सितंबर 6	40	43	62.45	12.50	34	40.00	12.50	52.50	93.02	7.5244
सितंबर 12	40	77	122.68	0.00	32	40.00	0.00	40.00	92.89	7.6752
सितंबर 19	40	67	128.48	0.00	19	40.00	0.00	40.00	92.90	7.6636
सितंबर 26	40	88	153.81	0.00	41	40.00	0.00	40.00	92.84	7.7334

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
सितंबर	1, 2018	5.00-6.45	6.22
सितंबर	3, 2018	5.10-6.70	6.33
सितंबर	4, 2018	5.00-6.45	6.32
सितंबर	5, 2018	5.00-6.45	6.30
सितंबर	6, 2018	5.10-6.50	6.31
सितंबर	7, 2018	5.00-6.50	6.35
सितंबर	10, 2018	5.00-6.75	6.54
सितंबर	11, 2018	5.00-6.85	6.49
सितंबर	12, 2018	5.00-6.65	6.45
सितंबर	14, 2018	5.00-6.50	6.42
सितंबर	15, 2018	5.00-6.75	6.57
सितंबर	17, 2018	5.00-6.75	6.58
सितंबर	18, 2018	5.00-6.75	6.54
सितंबर	19, 2018	5.00-6.70	6.56
सितंबर	21, 2018	5.10-6.85	6.58
सितंबर	24, 2018	5.00-6.75	6.58
सितंबर	25, 2018	5.00-6.70	6.51
सितंबर	26, 2018	5.00-6.65	6.45
सितंबर	27, 2018	5.00-6.90	6.47
सितंबर	28, 2018	5.00-6.75	6.48
सितंबर	29, 2018	4.75-6.60	6.22
अक्तूबर	1, 2018	5.00-6.65	6.37
अक्तूबर	3, 2018	5.00-6.55	6.32
अक्तूबर	4, 2018	5.00-6.45	6.32
अक्तूबर	5, 2018	5.00-6.60	6.38
अक्तूबर	6, 2018	4.50-6.65	5.94
अक्तूबर	8, 2018	5.00-6.55	6.40
अक्तूबर	9, 2018	5.00-6.50	6.39
अक्तूबर	10, 2018	5.00-6.55	6.45
अक्तूबर	11, 2018	5.00-6.55	6.42
अक्तूबर	12, 2018	5.00-6.75	6.42
अक्तूबर	15, 2018	5.00-6.75	6.48

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2017		2018		
	सितंबर 29	अगस्त 17	अगस्त 31	सितंबर 14	सितंबर 28
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,144.5	1,586.6	1,639.8	1,572.8	1,510.1
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	169.2	114.6	241.3	184.1	110.1
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.09-6.68	6.80-8.10	6.95-8.90	6.99-8.45	7.15-8.46

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2017		2018		
	सितंबर 30	अगस्त 15	अगस्त 31	सितंबर 15	सितंबर 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	3,932.1	5,978.4	6,323.0	6,408.1	5,562.0
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	1,162.9	1,478.5	1,561.2	1,112.6	1,125.2
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.89-11.00	6.53-15.79	6.44-10.40	6.56-15.79	6.84-11.18

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2017-18	2017		2018				
		सितंबर 29	अगस्त 24	अगस्त 31	सितंबर 7	सितंबर 14	सितंबर 21	सितंबर 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	245.5	322.7	254.4	244.3	271.9	274.6	313.6	390.5
2 नोटिस मुद्रा	36.6	8.4	2.7	123.5	3.6	170.8	12.2	72.7
3 मीयादी मुद्रा	9	7.6	8.5	10.5	4.9	7.2	3.4	6.6
4 सीबीएलओ	2,130.1	2,433.7	2,289.9	2,521.7	2,289.9	2,510.1	2,483.6	3,064.5
5 बाजार रिपो	1,921.8	2,424.3	1,697.6	2,407.1	1,674.3	2,652.8	2,063.1	3,104.6
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	3.8	1.8	6.1	3.6	11.2	7.7	2.5	7.3
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	86,072	68,761	71,096	63,338	68,000	67,405	89,280
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	808.7	846.4	463.2	558.1	742.5	788.2	822.0	634.3
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	45.3	97.5	28.8	32.1	41.2	36.2	37.6	27.2
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	35.5	36.0	46.9	54.8	26.5	22.2	39.4	77.6
10.2 182-दिवसीय	10.2	13.9	8.3	13.1	16.3	7.6	4.9	10.2
10.3 364-दिवसीय	10.3	21.9	2.5	3.7	12.7	8.7	5.0	8.2
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13	—	24.0	10.0	2.7	8.1	11.9	—
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	923.0	1,015.7	573.6	671.8	841.9	871.1	920.8	757.4
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	—	20.8	0.2	0.2	—	—	—	—

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2017-18		2017-18(अप्रैल-सितंबर)		2018-19(अप्रैल-सितंबर)*		सितंबर 2017		सितंबर 2018 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	214	679.9	96	172.7	83	135.8	41	87.8	15	20.1
1ए प्रीमियम	211	657.8	95	166.7	81	131.9	41	85.4	15	19.5
1.1 पब्लिक	193	466.0	90	165.6	79	124.5	39	87.5	15	20.1
1.1.1 प्रीमियम	190	448.7	89	160.3	77	121.5	39	85.2	15	19.5
1.2 राइट्स	21	213.9	6	7.1	4	11.3	2	0.2	—	—
1.2.1 प्रीमियम	21	209.1	6	6.4	4	10.5	2	0.2	—	—
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 डिबेंचर	7	49.5	4	39.0	11	273.3	—	—	4	62.9
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	7	49.5	4	39.0	11	273.3	—	—	4	62.9
3.1.1 पब्लिक	7	49.5	4	39.0	11	273.3	—	—	4	62.9
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल (1+2+3+4)	221	729.5	100	211.6	94	409.1	41	87.8	19	83.0
5.1 पब्लिक	200	515.6	94	204.5	90	397.8	39	87.5	19	83.0
5.2 राइट्स	21	213.9	6	7.1	4	11.3	2	0.2	—	—

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2017-18	2017		2018				
		1	सितंबर	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	
			2	3	4	5	6	7	
1 निर्यात	बिलियन ₹	19,565.1	1,840.9	1,954.8	1,851.6	1,782.2	1,941.5	2,014.9	
	अमेरिकी मिलियन डालर	303,526.2	28,567.1	28,942.6	27,312.3	25,945.0	27,916.5	27,901.9	
1.1 तेल	बिलियन ₹	2,414.3	223.7	336.3	249.7	262.9	268.1	318.1	
	अमेरिकी मिलियन डालर	37,465.1	3,471.0	4,979.2	3,683.1	3,826.9	3,855.6	4,404.5	
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	17,150.8	1,617.2	1,618.5	1,601.9	1,519.4	1,673.3	1,696.9	
	अमेरिकी मिलियन डालर	266,061.1	25,096.1	23,963.4	23,629.2	22,118.0	24,060.9	23,497.4	
2 आयात	बिलियन ₹	30,010.3	2,446.3	2,963.4	3,037.8	3,008.6	3,151.8	3,028.3	
	अमेरिकी मिलियन डालर	465,581.0	37,962.7	43,876.1	44,809.3	43,796.8	45,319.5	41,934.5	
2.1 तेल	बिलियन ₹	7,003.2	526.4	778.7	865.6	848.3	830.1	788.1	
	अमेरिकी मिलियन डालर	108,658.7	8,169.1	11,529.1	12,767.6	12,348.6	11,936.6	10,913.4	
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	23,007.1	1,919.9	2,184.7	2,172.2	2,160.3	2,321.7	2,240.2	
	अमेरिकी मिलियन डालर	356,922.3	29,793.6	32,347.0	32,041.7	31,448.3	33,382.8	31,021.2	
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	-10,445.2	-605.5	-1,008.6	-1,186.2	-1,226.3	-1,210.3	-1,013.4	
	अमेरिकी मिलियन डालर	-162,054.8	-9,395.6	-14,933.5	-17,497.0	-17,851.9	-17,403.0	-14,032.6	
3.1 तेल	बिलियन ₹	-4,588.9	-302.8	-442.4	-615.9	-585.4	-562.0	-470.0	
	अमेरिकी मिलियन डालर	-71,193.6	-4,698.1	-6,549.9	-9,084.5	-8,521.7	-8,081.0	-6,508.9	
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	-5,856.3	-302.7	-566.2	-570.3	-640.9	-648.3	-543.3	
	अमेरिकी मिलियन डालर	-90,861.2	-4,697.4	-8,383.6	-8,412.4	-9,330.2	-9,322.0	-7,523.7	

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2017	2018					
		अक्तूबर 20	सितंबर 14	सितंबर 21	सितंबर 28	अक्तूबर 5	अक्तूबर 12	अक्तूबर 19
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	बिलियन ₹	26,021	28,724	28,831	29,038	29,363	29,065	28,862
	अमेरिकी मिलियन डालर	399,921	400,490	401,790	400,525	399,609	394,466	393,524
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	24,388	26,994	27,098	27,277	27,590	27,285	27,085
	अमेरिकी मिलियन डालर	374,908	376,155	377,413	376,243	375,231	369,999	369,077
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,388	1,446	1,448	1,476	1,484	1,489	1,489
	अमेरिकी मिलियन डालर	21,241	20,378	20,414	20,343	20,451	20,522	20,522
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,063	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054
	बिलियन ₹	98	106	106	107	108	109	108
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,500	1,478	1,481	1,471	1,466	1,473	1,465
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	148	178	178	179	181	182	181
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,273	2,478	2,483	2,468	2,461	2,472	2,459

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2017-18	2017	2018		2017-18	2018-19
		सितंबर	अगस्त	सितंबर	अप्रैल-सितंबर	अप्रैल-सितंबर
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	126,182	118,021	123,028	121,914	1,948	6,838
1.1 एफसीएनआर (बी)	22,026	20,238	22,623	22,422	-764	396
1.2 एनआर (ई) आरए	90,035	85,381	86,507	85,719	2,868	5,270
1.3 एनआरओ	14,121	12,401	13,899	13,773	-156	1,171

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2017-18	2017-18	2018-19	2017	2018	
		अप्रैल-अगस्त	अप्रैल-अगस्त	अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30,286	19,025	13,414	7,682	1,937	1,781
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	39,431	22,809	18,470	7,919	3,035	2,432
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	60,974	30,117	24,938	9,348	4,352	3,749
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,521	23,501	18,291	8,057	2,823	2,562
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीवी)	7,797	6,288	1,558	5,897	3	14
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	29,569	14,000	14,198	1,604	1,978	2,182
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,491	2,951	2,272	503	788	311
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	664	262	262	54	54	54
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	12,542	4,953	5,249	1,014	1,014	1,014
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	2,911	1,663	1,398	276	515	173
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	21,544	7,307	6,468	1,429	1,317	1,317
1.1.1.2.1 ईक्विटी	21,325	7,163	6,434	1,418	1,307	1,307
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	219	145	34	11	11	11
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	9,144	3,785	5,056	237	1,099	651
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	5,254	2,284	3,028	222	586	209
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,853	1,189	1,204	238	238	238
1.1.2.3 अन्य पूंजी	4,525	1,731	1,282	134	366	295
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	3,487	1,419	458	356	91	91
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	22,115	13,898	-7,817	560	281	48
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	22,165	13,616	-8,729	684	304	72
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	50	-283	-913	124	24	24
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	52,401	32,923	5,597	8,242	2,217	1,829

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2017-18	2017	2018		
		सितंबर	जुलाई	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	11,333.6	1,093.3	1,222.9	1,426.9	1,138.6
1.1 जमाराशियां	414.9	35.2	33.3	32.2	29.5
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	89.6	6.3	5.6	6.6	8.0
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	441.8	43.3	27.6	47.2	47.7
1.4 उपहार	1,169.7	83.9	113.4	116.3	97.1
1.5 दान	8.5	0.6	0.4	2.4	0.5
1.6 यात्रा	4,022.1	398.3	449.8	533.6	399.2
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,937.4	227.0	232.5	241.2	198.7
1.8 चिकित्सा उपचार	27.5	3.8	2.5	1.7	2.0
1.9 विदेश में शिक्षा	2,021.4	278.0	343.6	419.1	335.9
1.10 अन्य	200.6	16.8	14.3	26.7	20.1

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2016-17	2017-18	2017	2018	
			अक्तूबर	सितंबर	अक्तूबर
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	74.65	76.94	76.33	71.16	70.05
1.2 रीर	114.51	119.71	119.57	111.67	109.93
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	76.38	78.89	78.20	72.83	71.58
2.2 रीर	116.44	121.94	121.70	113.67	111.72
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	66.86	68.13	67.45	61.54	60.83
1.2 रीर	125.17	129.87	129.43	119.33	117.63
2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	101.90	100.89	92.04	90.98
2.2 रीर	100.00	103.75	103.40	95.34	93.97

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2017-18	2017	2018	
		सितंबर	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	769	79	90	67
1.2 राशि	20,397	3,156	3,685	1,206
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	38	2	4	1
2.2 राशि	8,471	327	1,141	500
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	807	81	94	68
3.2 राशि	28,868	3,483	4,827	1,706
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.10	6.20	4.80	4.90
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.26	0.94	1.18
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-12.25	0.00-11.00	0.00-12.00	1.00-12.45

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	अप्रैल-जून 2017 (आं.सं)			अप्रैल-जून 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	295,676	284,272	11,405	286,801	298,140	-11,338
1 चालू खाता (1.1+1.2)	139,941	154,920	-14,979	155,693	171,522	-15,829
1.1 पण्य	73,130	115,066	-41,936	83,389	129,137	-45,748
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	66,811	39,854	26,957	72,304	42,384	29,920
1.2.1 सेवाएं	45,916	27,607	18,308	48,174	29,475	18,699
1.2.1.1 यात्रा	6,242	4,851	1,391	6,448	5,907	541
1.2.1.2 परिवहन	4,159	4,072	87	4,863	4,776	87
1.2.1.3 बीमा	622	352	270	606	373	233
1.2.1.4 जीएनआईई	156	152	4	170	278	-108
1.2.1.5 विविध	34,737	18,181	16,557	36,087	18,140	17,947
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	18,592	1,136	17,457	19,930	1,516	18,414
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	8,467	8,279	188	9,436	9,461	-26
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,174	1,218	-44	1,111	744	367
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	548	237	310	522	232	290
1.2.2 अंतरण	16,148	1,657	14,491	18,803	1,772	17,031
1.2.2.1 आधिकारिक	92	204	-112	41	225	-184
1.2.2.2 निजी	16,056	1,453	14,603	18,763	1,547	17,216
1.2.3 आय	4,747	10,590	-5,842	5,327	11,138	-5,811
1.2.3.1 निवेश आय	3,605	10,043	-6,438	4,183	10,538	-6,355
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1,143	547	596	1,144	600	544
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	155,736	128,790	26,946	131,108	125,846	5,262
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	92,604	73,008	19,595	77,565	76,014	1,551
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15,305	8,161	7,144	17,112	7,416	9,697
2.1.1.1 भारत में	14,597	4,449	10,148	16,836	3,834	13,003
2.1.1.1.1 इक्विटी	10,563	4,327	6,236	12,907	3,821	9,085
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	2,924	-	2,924	3,220	-	3,220
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1,110	122	988	710	12	698
2.1.1.2 विदेश में	708	3,712	-3,004	276	3,582	-3,306
2.1.1.2.1 इक्विटी	708	1,760	-1,052	276	2,233	-1,957
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	-	713	-713	-	729	-729
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1,239	-1,239	0	621	-621
2.1.2 संविभाग निवेश	77,299	64,847	12,452	60,453	68,598	-8,145
2.1.2.1 भारत में	76,134	64,213	11,921	59,138	68,244	-9,106
2.1.2.1.1 एफआईआई	76,134	64,213	11,921	59,138	68,244	-9,106
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	57,425	56,726	699	49,357	52,107	-2,749
2.1.2.1.1.2 ऋण	18,709	7,487	11,222	9,781	16,137	-6,356
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1,165	634	530	1,315	354	961
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	34,680	33,752	927	18,763	22,394	-3,630
2.2.1 बाह्य सहायता	1,826	1,141	685	1,876	1,350	526
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	31	-17	12	31	-19
2.2.1.2 भारत को	1,812	1,110	702	1,864	1,319	545
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6,380	6,719	-338	4,738	5,405	-666
2.2.2.1 भारत द्वारा	2,438	2,283	156	1,718	1,519	199
2.2.2.2 भारत को	3,942	4,436	-494	3,020	3,886	-866
2.2.3 भारत को अल्पावधि	26,474	25,893	580	12,149	15,639	-3,490
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	25,735	25,893	-159	5,613	15,639	-10,026
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	739	0	739	6,536	0	6,536
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21,607	14,801	6,807	28,806	18,745	10,061
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	21,607	14,383	7,225	28,806	18,231	10,575
2.3.1.1 आस्तियां	7,589	1,217	6,373	11,158	5,690	5,468
2.3.1.2 देयताएं	14,018	13,166	852	17,648	12,541	5,106
2.3.1.2.1 अनिवासी जमारशियां	12,799	11,561	1,237	15,578	12,067	3,512
2.3.2 अन्य	0	418	-418	0	513	-513
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	23	-23	0	23	-23
2.5 अन्य पूंजी	6,845	7,205	-360	5,974	8,672	-2,697
3 भूल-चूक	-	562	-562	-	772	-772
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	11,405	-11,405	11,338	0	11,338
4.1 आईएमएफ	-	-	-	-	-	-
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	11,405	-11,405	11,338	0	11,338

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	अप्रैल-जून 2017 (आं.सं)			अप्रैल-जून 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	19,059	18,324	735	19,213	19,972	-760
1 चालू खाता (1.1+1.2)	9,020	9,986	-966	10,430	11,490	-1,060
1.1 पण्य	4,714	7,417	-2,703	5,586	8,651	-3,065
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	4,307	2,569	1,738	4,844	2,839	2,004
1.2.1 सेवाएं	2,960	1,780	1,180	3,227	1,974	1,253
1.2.1.1 यात्रा	402	313	90	432	396	36
1.2.1.2 परिवहन	268	262	6	326	320	6
1.2.1.3 बीमा	40	23	17	41	25	16
1.2.1.4 जीएनआईई	10	10	0	11	19	-7
1.2.1.5 विविध	2,239	1,172	1,067	2,417	1,215	1,202
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,198	73	1,125	1,335	102	1,234
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	546	534	12	632	634	-2
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	76	78	-3	74	50	25
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	35	15	20	35	16	19
1.2.2 अंतरण	1,041	107	934	1,260	119	1,141
1.2.2.1 आधिकारिक	6	13	-7	3	15	-12
1.2.2.2 निजी	1,035	94	941	1,257	104	1,153
1.2.3 आय	306	683	-377	357	746	-389
1.2.3.1 निवेश आय	232	647	-415	280	706	-426
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	74	35	38	77	40	36
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	10,038	8,302	1,737	8,783	8,430	352
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	5,969	4,706	1,263	5,196	5,092	104
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	987	526	460	1,146	497	650
2.1.1.1 भारत में	941	287	654	1,128	257	871
2.1.1.1.1 इक्विटी	681	279	402	865	256	609
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	188	0	188	216	0	216
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	72	8	64	48	1	47
2.1.1.2 विदेश में	46	239	-194	18	240	-221
2.1.1.2.1 इक्विटी	46	113	-68	18	150	-131
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	46	-46	0	49	-49
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	80	-80	0	42	-42
2.1.2 सविभाग निवेश	4,983	4,180	803	4,050	4,595	-546
2.1.2.1 भारत में	4,907	4,139	768	3,962	4,572	-610
2.1.2.1.1 एफआईआई	4,907	4,139	768	3,962	4,572	-610
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	3,702	3,656	45	3,306	3,491	-184
2.1.2.1.1.2 ऋण	1,206	483	723	655	1,081	-426
2.1.2.1.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	75	41	34	88	24	64
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	2,235	2,176	60	1,257	1,500	-243
2.2.1 बाह्य सहायता	118	74	44	126	90	35
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	2	-1	1	2	-1
2.2.1.2 भारत को	117	72	45	125	88	37
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	411	433	-22	317	362	-45
2.2.2.1 भारत द्वारा	157	147	10	115	102	13
2.2.2.2 भारत को	254	286	-32	202	260	-58
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,706	1,669	37	814	1,048	-234
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,659	1,669	-10	376	1,048	-672
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	48	0	48	438	0	438
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	1,393	954	439	1,930	1,256	674
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	1,393	927	466	1,930	1,221	708
2.3.1.1 आस्तियां	489	78	411	747	381	366
2.3.1.2 देयताएं	904	849	55	1,182	840	342
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	825	745	80	1,044	808	235
2.3.2 अन्य	0	27	-27	0	34	-34
2.4 रुपया ऋण चुकोती	0	1	-1	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	441	464	-23	400	581	-181
3 भूल-चूक	0	36	-36	0	52	-52
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	735	-735	760	0	760
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	735	-735	760	0	760

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	अप्रैल-जून 2017 (आ.सं)			अप्रैल-जून 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	139,935	154,900	-14,966	155,692	171,499	-15,807
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	119,045	142,673	-23,628	131,563	158,612	-27,049
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	73,130	115,066	-41,936	83,389	129,137	-45,748
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	73,098	103,799	-30,702	84,567	120,694	-36,127
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	32	-	32	-1,178	-	-1,178
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	11,266	-11,266	-	8,444	-8,444
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	45,916	27,607	18,308	48,174	29,475	18,699
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	26	9	17	25	10	15
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	57	153	-96	40	207	-167
1.अ.ख.3 परिवहन	4,159	4,072	87	4,863	4,776	87
1.अ.ख.4 यात्रा	6,242	4,851	1,391	6,448	5,907	541
1.अ.ख.5 निर्माण	675	286	388	1,010	649	361
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	622	352	270	606	373	233
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,174	1,218	-44	1,111	744	367
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	162	1,954	-1,792	228	2,087	-1,859
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	19,210	1,476	17,734	20,556	1,882	18,673
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	8,467	8,279	188	9,436	9,461	-26
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	402	467	-65	496	565	-69
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	156	152	4	170	278	-108
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	4,566	4,339	227	3,185	2,535	651
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4,747	10,590	-5,842	5,327	11,138	-5,811
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1,143	547	596	1,144	600	544
1.आ.2 निवेश आय	2,679	9,876	-7,197	3,534	10,361	-6,827
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,504	4,686	-3,182	1,760	4,383	-2,624
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	70	2,298	-2,228	34	2,361	-2,326
1.आ.2.3 अन्य निवेश	186	2,891	-2,705	210	3,606	-3,395
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	919	0	919	1,530	12	1,518
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	925	167	759	650	177	472
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	16,142	1,638	14,504	18,803	1,750	17,053
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तिय निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	16,056	1,453	14,603	18,763	1,547	17,216
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	15,504	1,121	14,382	18,172	1,141	17,031
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	553	332	221	591	406	184
1.इ.2 सामान्य सरकार	86	185	-99	40	203	-163
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	114	102	12	111	94	17
2.1 अनुप्यादित विरोध आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	75	39	35	66	16	51
2.2 पूँजी अंतरण	39	63	-23	45	78	-33
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	155,628	140,111	15,516	142,336	125,775	16,561
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	15,305	8,161	7,144	17,112	7,416	9,697
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14,597	4,449	10,148	16,836	3,834	13,003
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13,487	4,327	9,160	16,126	3,821	12,305
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10,563	4,327	6,236	12,907	3,821	9,085
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	2,924	-	2,924	3,220	-	3,220
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1,110	122	988	710	12	698
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1,110	122	988	710	12	698
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	708	3,712	-3,004	276	3,582	-3,306
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	708	2,473	-1,765	276	2,961	-2,686
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	708	1,760	-1,052	276	2,233	-1,957
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	713	-713	-	729	-729
3.1.आ.2 ऋण लिखत	-	1,239	-1,239	-	621	-621
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	-	1,239	-1,239	-	621	-621
3.2 संविभाग निवेश	77,299	64,847	12,452	60,453	68,598	-8,145
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	76,134	64,213	11,921	59,138	68,244	-9,106
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	57,425	56,726	699	49,357	52,107	-2,749
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	18,709	7,487	11,222	9,781	16,137	-6,356
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1,165	634	530	1,315	354	961
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	4,737	5,946	-1,209	3,631	5,113	-1,482
3.4 अन्य निवेश	58,287	49,752	8,535	49,802	44,648	5,153
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	12,799	11,980	819	15,578	12,580	2,998
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	418	-418	0	513	-513
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	12,799	11,561	1,237	15,578	12,067	3,512
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	17,015	10,680	6,334	19,842	12,919	6,923
3.4.3अ भारत को ऋण	14,562	8,367	6,196	18,112	11,369	6,743
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2,452	2,314	138	1,730	1,550	180
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	14	589	-575	102	635	-533
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	26,474	25,893	580	12,149	15,639	-3,490
3.4.6 अन्य खाते प्रायः/देय-अन्य	1,986	610	1,376	2,131	2,875	-745
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	11,405	-11,405	11,338	0	11,338
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	11,405	-11,405	11,338	0	11,338
4. कुल आस्तियां / देयताएं	155,628	140,111	15,516	142,336	125,775	16,561
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	77,535	70,695	6,840	70,807	64,991	5,816
4.2 ऋण लिखत	76,106	57,402	18,705	58,060	57,908	152
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	1,986	12,015	-10,029	13,469	2,875	10,594
5. निवल भूल-चूक	-	562	-562	-	772	-772

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	अप्रैल-जून 2017 (आ.सं)			अप्रैल-जून 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	9,020	9,985	-965	10,430	11,489	-1,059
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	7,673	9,196	-1,523	8,813	10,625	-1,812
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	4,714	7,417	-2,703	5,586	8,651	-3,065
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	4,712	6,691	-1,979	5,665	8,085	-2,420
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	2	-	2	-79	-	-79
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	726	-726	-	566	-566
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	2,960	1,780	1,180	3,227	1,974	1,253
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2	1	1	2	1	1
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	4	10	-6	3	14	-11
1.अ.ख.3 परिवहन	268	262	6	326	320	6
1.अ.ख.4 यात्रा	402	313	90	432	396	36
1.अ.ख.5 निर्माण	43	18	25	68	43	24
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	40	23	17	41	25	16
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	76	78	-3	74	50	25
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	10	126	-116	15	140	-125
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,238	95	1,143	1,377	126	1,251
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	546	534	12	632	634	-2
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	26	30	-4	33	38	-5
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	10	10	0	11	19	-7
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	294	280	15	213	170	44
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	306	683	-377	357	746	-389
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	74	35	38	77	40	36
1.आ.2 निवेश आय	173	637	-464	237	694	-457
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	97	302	-205	118	294	-176
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	5	148	-144	2	158	-156
1.आ.2.3 अन्य निवेश	12	186	-174	14	242	-227
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	59	0	59	102	1	102
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	60	11	49	44	12	32
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	1,040	106	935	1,260	117	1,142
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,035	94	941	1,257	104	1,153
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	999	72	927	1,217	76	1,141
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	36	21	14	40	27	12
1.इ.2 सामान्य सरकार	6	12	-6	3	14	-11
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	7	7	1	7	6	1
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	5	3	2	4	1	3
2.2 पूँजी अंतरण	3	4	-2	3	5	-2
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	10,032	9,031	1,000	9,535	8,426	1,109
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	987	526	460	1,146	497	650
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	941	287	654	1,128	257	871
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	869	279	590	1,080	256	824
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	681	279	402	865	256	609
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	188	0	188	216	0	216
3.1.अ.2 ऋण लिखत	72	8	64	48	1	47
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	72	8	64	48	1	47
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	46	239	-194	18	240	-221
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	46	159	-114	18	198	-180
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	46	113	-68	18	150	-131
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	46	-46	0	49	-49
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	80	-80	0	42	-42
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	80	-80	0	42	-42
3.2 संविभाग निवेश	4,983	4,180	803	4,050	4,595	-546
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	4,907	4,139	768	3,962	4,572	-610
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,702	3,656	45	3,306	3,491	-184
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	1,206	483	723	655	1,081	-426
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	75	41	34	88	24	64
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	305	383	-78	243	343	-99
3.4 अन्य निवेश	3,757	3,207	550	3,336	2,991	345
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	825	772	53	1,044	843	201
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	27	-27	0	34	-34
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	825	745	80	1,044	808	235
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	1,097	688	408	1,329	865	464
3.4.3अ भारत को ऋण	939	539	399	1,213	762	452
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	158	149	9	116	104	12
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	1	38	-37	7	43	-36
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,706	1,669	37	814	1,048	-234
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	128	39	89	143	193	-50
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	735	-735	760	0	760
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	735	-735	760	0	760
4. कुल आस्तियां / देयताएं	10,032	9,031	1,000	9,535	8,426	1,109
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	4,998	4,557	441	4,743	4,354	390
4.2 ऋण लिखत	4,906	3,700	1,206	3,889	3,879	10
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	128	774	-646	902	193	710
5. निवल भूल-चूक	-	36	-36	-	52	-52

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2017-18		2017		2018			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	157,373	379,279	151,233	353,366	157,373	379,279	160,680	372,193
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	103,734	363,190	100,879	337,476	103,734	363,190	106,419	356,508
1.2 अन्य पूंजी	53,640	16,089	50,354	15,890	53,640	16,089	54,260	15,685
2 संविभाग निवेश	2,665	272,409	2,084	251,123	2,665	272,409	1,704	254,506
2.1 इक्विटी	1,246	155,106	2,021	154,913	1,246	155,106	1,477	144,433
2.2 ऋण	1,418	117,303	63	96,210	1,418	117,303	227	110,073
3 अन्य निवेश	48,235	400,636	42,415	378,569	48,235	400,636	44,264	392,078
3.1 व्यापार ऋण	1,696	103,155	1,154	89,580	1,696	103,155	1,357	99,582
3.2 ऋण	8,225	159,289	5,217	158,214	8,225	159,289	8,268	157,662
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,790	126,456	18,051	118,476	20,790	126,456	16,294	124,506
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	17,524	11,736	17,994	12,299	17,524	11,736	18,345	10,328
4 रिज़र्व्स	424,545	–	386,539	–	424,545	–	405,740	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	632,818	1,052,324	582,272	983,058	632,818	1,052,324	612,387	1,018,778
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-419,505		-400,786		-419,505		-406,390

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2017-18	2018			2017-18	2018		
		जुलाई	अगस्त	सितंबर		जुलाई	अगस्त	सितंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	124.46	10.97	11.01	10.40	1,467,431.99	138,628.54	138,236.20	131,257.97
1.1 ग्राहक लेनदेन	120.71	10.69	10.74	10.14	1,036,698.74	99,646.35	97,993.53	91,806.84
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	3.72	0.28	0.27	0.26	130,426.03	12,366.56	11,220.57	12,230.50
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.024	0.002	0.002	0.002	300,307.22	26,615.63	29,022.11	27,220.63
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.50	0.31	0.30	0.31	1,074,802.02	95,221.90	91,744.59	93,394.77
2.1 सीबीएलओ	0.20	0.02	0.02	0.02	283,307.58	27,040.28	24,676.92	25,897.95
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.12	0.08	0.08	0.09	370,363.78	29,828.79	29,516.02	30,728.67
2.2.1 एकमुश्त	0.92	0.06	0.06	0.07	113,998.80	6,654.82	7,284.65	7,560.09
2.2.2 रिपो	0.199	0.020	0.018	0.017	256,364.98	23,173.97	22,231.38	23,168.58
2.3 विदेशी समाशोधन	2.17	0.21	0.20	0.20	421,130.66	38,352.83	37,551.65	36,768.15
3 पेपर समाशोधन	1,171.31	95.38	91.13	88.02	81,934.93	6,833.38	6,428.11	6,343.67
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	1,138.05	94.19	90.07	87.28	79,451.24	6,749.96	6,355.16	6,289.79
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2 अन्य केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	33.27	1.19	1.06	0.74	2,483.68	83.42	72.95	53.89
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	5,467.29	564.94	587.20	552.46	192,017.98	19,621.30	21,071.67	20,328.48
4.1 ईसीएस नामे	1.54	0.04	0.05	0.04	9.72	0.28	0.29	0.31
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	6.14	0.57	0.41	0.52	118.64	13.90	9.73	10.28
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	1,946.36	180.60	193.20	181.01	172,228.52	17,321.37	18,712.45	18,015.50
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	1,009.80	127.38	133.58	135.74	8,924.98	1,171.67	1,237.34	1,256.40
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	2,503.46	256.35	259.96	235.15	10,736.12	1,114.09	1,111.87	1,046.00
5 कार्ड	13,358.62	1,294.92	1,307.74	1,300.42	38,214.64	3,648.13	3,733.16	3,613.73
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,412.97	145.81	145.04	139.03	4,626.33	481.31	483.68	464.72
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	7.81	0.80	0.84	0.80	36.68	3.72	3.86	3.72
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,405.16	145.01	144.20	138.23	4,589.65	477.58	479.82	461.01
5.2 डेबिट कार्ड	11,945.65	1,149.11	1,162.69	1,161.39	33,588.31	3,166.82	3,249.48	3,149.01
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	8,602.26	781.76	805.52	798.65	28,987.61	2,683.76	2,759.76	2,690.60
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	3,343.39	367.35	357.17	362.75	4,600.70	483.06	489.72	458.41
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	3,459.05	351.80	372.94	357.86	1,416.34	175.19	189.81	177.49
6.1 एम-वॉलेट	3,025.98	325.18	340.65	324.16	1,086.75	152.02	155.73	151.02
6.2 पीपीआई कार्ड	432.63	26.62	32.29	33.70	310.41	23.16	34.08	26.47
6.3 पेपर वाउचर	0.44	-	-	-	19.19	-	-	-
7 मोबाइल बैंकिंग	1,872.26	340.49	385.81	477.57	14,738.54	2,091.86	2,021.90	2,074.95
8 कार्ड बकाया	898.56	1,002.15	1,021.23	1,031.55	-	-	-	-
8.1 क्रेडिट कार्ड	37.48	40.15	41.03	41.76	-	-	-	-
8.2 डेबिट कार्ड	861.08	962.00	980.20	989.79	-	-	-	-
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	222247	221463	221083	221492	-	-	-	-
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	3083067	3268817	3332484	3393396	-	-	-	-
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	23,584.20	2,318.31	2,370.31	2,309.47	2,555,510.68	237,512.82	232,381.44	227,895.49

टिप्पणी: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2016-17	2017		2018	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	4,341.75	418.42	75.86	69.79	59.21
	बकाया	7,312.73	7,244.24	7,791.39	7,860.86	7,919.97
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	3,879.55	307.76	66.42	57.38	46.20
	बकाया	4,689.77	4,661.62	5,094.14	5,151.52	5,197.72
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	2,474.46	183.34	21.91	23.88	15.11
	बकाया	920.64	926.38	1,027.95	1,051.83	1,066.94
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0.56	0.04	-0.25	-0.24	-0.19
	बकाया	33.01	32.73	30.75	30.51	30.32
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.01	0.00	-0.05	-0.04	-0.68
	बकाया	-0.48	-0.36	0.26	0.22	-0.46
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	353.34	32.40	4.64	6.35	5.27
	बकाया	1,800.66	1,800.78	1,796.39	1,802.74	1,808.01
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	100.02	10.23	9.24	10.16	10.39
	बकाया	294.53	284.14	385.35	395.51	405.90
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	476.65	44.02	20.38	19.88	15.00
	बकाया	796.58	782.52	939.02	958.90	973.90
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	518.38	514.82	577.61	585.35	590.68
	बकाया	36.58	35.66	44.30	45.07	45.59
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	51.77	51.22	58.38	59.50	60.36
	बकाया	189.85	180.82	258.73	268.98	277.27
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	474.51	37.83	11.11	-2.61	1.30
	बकाया	844.53	835.13	914.88	912.27	913.57
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	0.00	-0.10	-0.56	0.00	0.00
	बकाया	0.08	0.08	-0.68	-0.68	-0.68
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	289.85	34.64	6.60	8.35	7.90
	बकाया	1,989.35	1,976.30	2,043.70	2,051.73	2,059.53
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	120.63	18.11	3.81	6.15	5.83
	बकाया	872.39	869.85	850.07	856.22	862.05
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0.00	0.00	2.35	0.00	-0.01
	बकाया	8.86	8.89	11.05	11.05	11.04
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-0.01	0.04	-19.25	-15.70	-12.80
	बकाया	535.72	548.69	417.27	401.57	388.77
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	169.23	16.49	19.72	17.95	14.89
	बकाया	460.23	435.58	654.99	672.94	687.83
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0.00	0.00	-0.03	-0.05	0.00
	बकाया	-1.12	-1.09	-1.40	-1.45	-1.45
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	बकाया	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	-0.64
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	113.89	115.01	112.35	112.03	111.93
	बकाया	113.89	115.01	112.35	112.03	111.93
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	172.35	76.02	2.84	4.06	5.11
	बकाया	633.61	606.32	653.55	657.61	662.72

टिप्पणी: अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर है।

स्रोत: महालेखाकार, डाक और तारा

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2017			2018	
	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	50430.94	51451.83	52813.50	53967.78	54556.81
1. वाणिज्यिक बैंक	39.68	40.37	41.40	42.68	41.84
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.31	0.33	0.33	0.29	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	23.13	23.49	23.63	23.49	24.24
4. म्यूच्युअल फंड	1.44	1.86	1.33	1.00	1.13
5. सहकारी बैंक	2.65	2.62	2.69	2.57	2.59
6. वित्तीय संस्थाएं	0.73	0.78	0.82	0.90	0.93
7. कॉरपोरेट	1.29	1.04	1.09	0.91	1.09
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	4.29	4.58	4.53	4.35	3.84
9. भविष्य निधियां	6.13	5.99	5.32	5.88	5.79
10. भारतीय रिजर्व बैंक	14.29	12.84	11.94	11.62	11.63
11. अन्य	6.07	6.11	6.92	6.30	6.58
11.1 राज्य सरकार	1.91	1.92	1.91	1.91	1.97

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2017			2018	
	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	21467.07	22488.35	23329.53	24288.29	24954.61
1. वाणिज्यिक बैंक	37.94	37.64	38.13	35.79	35.02
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.45	0.38	0.51	0.51	0.75
3. बीमाकृत कंपनियां	33.53	34.00	33.35	34.13	34.24
4. म्यूच्युअल फंड	1.89	1.92	1.68	1.64	1.20
5. सहकारी बैंक	4.82	4.82	4.78	4.78	4.79
6. वित्तीय संस्थाएं	0.27	0.22	0.22	0.35	0.35
7. कॉरपोरेट	0.11	0.11	0.13	0.15	0.16
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.08	0.16	0.21	0.23	0.15
9. भविष्य निधियां	18.10	18.37	17.05	19.67	20.34
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	2.81	2.37	3.94	2.76	2.99
11.1 राज्य सरकार	0.00	0.00	0.01	0.05	0.06

खजाना बिल					
श्रेणी	2017			2018	
	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	6135.01	5704.50	5102.82	3798.76	5280.07
1. वाणिज्यिक बैंक	53.96	52.15	48.40	60.74	55.30
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.14	1.38	1.67	2.17	1.41
3. बीमाकृत कंपनियां	3.20	4.32	5.22	4.17	3.66
4. म्यूच्युअल फंड	15.31	12.44	10.40	2.27	7.03
5. सहकारी बैंक	2.48	2.33	2.05	2.42	1.29
6. वित्तीय संस्थाएं	2.60	3.54	3.97	3.55	2.36
7. कॉरपोरेट	1.54	1.64	2.12	2.45	1.88
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.06	0.20	0.02	0.11	0.21
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	19.72	22.01	26.17	22.12	26.87
11.1 राज्य सरकार	16.71	18.73	21.81	16.35	23.11

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17	2017-18
	1	2	3	4	(स.अ.) 5	(ब.अ.) 6
1. कुल वितरण	30,002.99	32,852.10	37,606.11	42,659.69	48,579.90	53,611.81
1.1 गतिविधियां	17,142.21	18,720.62	22,012.87	25,379.05	29,324.08	32,025.64
1.1.1 राजस्व	13,944.26	14,830.18	16,682.50	18,784.17	22,525.73	24,390.87
1.1.2 पूंजी	2,785.08	3,322.62	4,120.69	5,012.13	5,857.77	6,745.79
1.1.3 ऋण	412.88	567.82	1,209.68	1,582.75	940.58	888.98
1.2 गैर गतिविधियां	12,427.83	13,667.69	15,108.10	16,726.46	18,542.53	20,762.79
1.2.1 राजस्व	11,413.65	12,695.20	13,797.27	15,552.39	17,684.36	19,839.32
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	5,342.30	5,845.42	6,480.91	7,244.48	8,166.36	8,851.50
1.2.2 पूंजी	990.37	946.87	1,273.06	1,157.75	844.41	909.08
1.2.3 ऋण	23.81	25.63	37.77	16.32	13.76	14.40
1.3 अन्य	432.95	463.79	485.14	554.17	713.29	823.38
2. कुल प्राप्तियां	30,013.72	31,897.37	37,780.49	42,884.32	47,718.59	52,780.35
2.1 राजस्व प्राप्तियां	22,114.75	23,876.93	27,483.74	31,322.01	35,923.82	41,185.41
2.1.1 कर प्राप्तियां	18,465.45	20,207.28	22,971.01	26,221.45	30,132.23	34,941.02
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	11,257.81	12,123.48	14,409.52	16,523.77	18,296.56	22,138.76
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	7,176.34	8,051.76	8,522.71	9,656.22	11,802.47	12,775.14
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	31.30	32.04	38.78	41.46	33.20	27.12
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	3,649.30	3,669.65	4,512.72	5,100.56	5,791.59	6,244.38
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	401.62	396.22	357.79	332.20	316.10	368.35
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	391.13	609.55	598.27	690.63	1,651.83	1,428.43
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	93.85	220.72	165.61	209.42	648.80	616.50
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	297.28	388.83	432.66	481.22	1,003.03	811.93
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	7,497.11	8,365.63	9,524.10	10,647.04	11,004.25	10,997.97
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,358.58	-374.76	2,310.90	6,171.23	1,447.92	..
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	1,081.30	-3,341.85	604.72	1,958.16	-1,448.47	..
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	4,065.61	8,611.06	7,085.72	4,295.85	9,532.16	..
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	6,391.99	6,640.58	6,732.98	6,898.21	7,951.99	8,398.36
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-142.81	-565.80	-785.15	-1,050.38	-1,653.29	-1,434.61
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	312.90	343.39	352.61	456.88	406.13	474.19
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	34.63	51.09	-33.22	-64.36	6.70	31.14
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	255.45	275.45	134.70	177.92	168.45	159.10
3ख.1.6 नकद शेष	-10.72	954.74	-174.38	-224.63	861.31	831.46
3ख.1.7 अन्य	582.75	536.84	3,169.08	4,273.43	3,238.79	2,564.21
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	-25.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.7	26.3	27.3	28.0	29.0	28.6
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	26.7	25.6	27.4	28.1	28.4	28.2
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.7	19.2	20.0	20.5	21.4	22.0
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.4	16.2	16.7	17.2	18.0	18.7
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.7	6.9	7.0	6.6	5.9

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

स्रोत: केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2018 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	5.53	19	9.66	16	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	0.41	13	0.50	8	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1.31	4	-	-
11	झारखंड	-	-	4.29	7	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	-	-	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	0.07	17	5.54	17	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	2.27	12	4.06	9	0.70	2
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	0.01	13	1.84	13	-	-
29	पश्चिम बंगाल	3.60	12	5.54	10	-	-

- टिप्पणीयां:**
- 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
 - 2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
 - 3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
 - 4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
 - 5) -: नगण्य

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2018 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	71.64	7.07	0.02	0
2	अरुणाचल प्रदेश	8.69	0.00	--	0
3	असम	44.46	0.42	0	37.00
4	बिहार	53.58	--	0	0
5	छत्तीसगढ़	35.02	--	0.01	2.17
6	गोवा	5.00	2.50	--	0
7	गुजरात	118.78	4.11	0	0
8	हरियाणा	18.06	10.30	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	0	--	0	0
12	कर्नाटक	26.65	--	0	95.00
13	केरल	18.68	--	0	0
14	मध्य प्रदेश	--	8.02	0.00	0
15	महाराष्ट्र	302.69	--	--	490.00
16	मणिपुर	3.25	0.86	0	0
17	मेघालय	4.82	0.22	0.09	0
18	मिज़ोरम	4.60	0.21	--	0
19	नगालैंड	12.82	0.28	--	0
20	उड़ीसा	115.77	12.50	0.73	224.00
21	पुदुचेरी	2.77	--	--	9.65
22	पंजाब	0	0	0.08	0
23	राजस्थान	--	--	1.29	62.92
24	तमिलनाडु	57.40	--	0.46	287.91
25	तेलंगाना	41.56	6.06	0.01	0
26	त्रिपुरा	2.83	0.04	--	0
27	उत्तरप्रदेश	--	--	1.87	0
28	उत्तराखंड	25.99	0.68	0.01	0
29	पश्चिम बंगाल	91.74	3.65	2.14	0
	कुल	1066.79	56.92	6.70	1208.64

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य	2018-19											
		2016-17		2017-18		जुलाई		अगस्त		सितंबर		2018-19 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	195.00	177.06	228.00	189.22	30.63	30.63	35.01	29.17	30.00	30.00	166.17	157.42
2	अरुणाचल प्रदेश	4.53	2.87	8.88	7.03	-	-	-	-	-	-	4.00	4.00
3	असम	30.90	19.94	77.60	67.97	10.00	10.00	15.00	15.00	4.00	4.00	44.00	44.00
4	बिहार	177.00	168.15	100.00	89.08	-	-	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	42.00	38.98	81.00	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	13.20	11.71	18.00	14.00	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	9.50	9.50
7	गुजरात	247.20	209.44	240.00	157.85	-	-	10.00	10.00	25.00	15.00	85.00	75.00
8	हरियाणा	158.00	153.59	166.40	158.40	45.00	40.00	-	-	15.00	15.00	65.25	60.25
9	हिमाचल प्रदेश	34.00	21.63	46.00	25.51	-	-1.03	-	-0.87	-	-1.12	15.00	11.98
10	जम्मू और कश्मीर	27.90	18.99	62.00	39.74	7.00	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	24.36
11	झारखंड	51.54	47.25	60.00	48.07	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00
12	कर्नाटक	280.07	240.26	220.98	173.48	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	173.00	146.86	205.00	162.03	10.00	10.00	40.00	37.00	-	-	115.00	103.15
14	मध्य प्रदेश	161.00	145.51	150.00	131.25	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	60.00
15	महाराष्ट्र	400.00	364.72	450.00	364.80	18.84	18.84	40.00	40.00	-	-	108.69	108.69
16	मणिपुर	6.30	4.78	5.25	2.78	-	-	-	-	-	-	3.50	3.50
17	मेघालय	10.01	7.18	11.16	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	1.70	-0.35	4.24	2.77	-	-	-	-0.27	-	-	-	-0.27
19	नगालैंड	10.70	7.33	11.35	7.66	-	-	-	-	1.50	1.50	3.50	1.90
20	उड़ीसा	76.20	69.90	84.38	84.38	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	45.00	45.00
21	पुदुचेरी	5.25	5.25	8.25	4.88	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
22	पंजाब	136.00	121.44	174.70	133.49	20.29	15.29	22.00	12.00	21.00	16.00	104.54	84.54
23	राजस्थान	160.54	143.25	249.14	167.77	25.00	25.00	35.00	35.00	50.00	45.00	200.30	172.18
24	सिक्कीम	7.44	5.74	9.95	7.45	3.00	3.00	-	-	2.00	2.00	5.00	5.00
25	तमिलनाडु	372.50	349.94	409.65	360.23	30.00	30.00	35.00	35.00	34.70	34.70	181.40	181.40
26	तेलंगाना	218.61	205.79	246.00	218.28	12.50	12.50	17.50	13.33	19.68	19.68	124.68	118.43
27	त्रिपुरा	9.90	7.53	11.37	11.37	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	9.00
28	उत्तरप्रदेश	410.50	369.05	416.00	371.78	-	-	-	-10.00	-	-	80.00	50.00
29	उत्तराखंड	54.50	50.81	66.60	58.30	10.50	10.50	4.50	4.50	8.50	8.50	39.50	35.00
30	पश्चिम बंगाल	344.31	312.30	369.11	253.04	30.00	30.00	-	-8.00	15.00	-3.00	65.00	2.47
	कुल	3819.79	3426.92	4191.00	3402.81	274.26	263.23	280.51	238.37	254.38	214.26	1575.02	1376.50

-: शून्य

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7: माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12: माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13: माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: अमेरिकी डालर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2: चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2: नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिजर्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉरवर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2: आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि . 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका. प्लान .बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2: आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4: अनुमान

1.1.1.2: नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10: जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2018	₹ 300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 37, 2016	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 18 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 18 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुंबई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।